अनुबन्ध

अनुबंध-1क
रोजगार, गरीबी की स्थिति तथा निधियों के निर्गम के राज्य-वार विवरण

(पैरा 1.5 के संदर्भ में)

राज्य	रोजगार प्रदान किये गये परिवारों की औसत संख्या*	गरीबों की संख्या#	निर्गम की गयी कुल निधि (₹ करोड़ में)@
आन्ध्र प्रदेश	41,75,350	1,27,90,000	17,267.41
अरूणाचल प्रदेश	7,293	2,70,000	172.07
असम	14,39,779	1,05,30,000	3,295.50
बिहार	19,27,579	4,98,70,000	6,292.44
छत्तीसगढ़	24,84,636	1,08,30,000	6,959.36
गोवा	9,105	60,000	15.20
गुजरात	11,36,895	91,60,000	2,219.80
हरियाणा	2,23,447	30,40,000	715.10
हिमाचल प्रदेश	4,84,126	5,60,000	1,880.34
जम्मू एवं कश्मीर	2,17,661	7,30,000	1,446.04
झारखण्ड	16,85,494	1,02,20,000	5,468.85
कर्नाटक	24,70,768	97,40,000	5,662.81
केरल	11,86,135	21,60,000	2,390.88
मध्य प्रदेश	37,95,298	2,16,90,000	15,717.43
महाराष्ट्र	8,07,898	1,79,80,000	1,711.60
मणिपुर	1,64,736	8,80,000	1,832.02
मेघालय	2,74,920	3,50,000	843.37
मिजोरम	1,54,793	1,60,000	1,007.94
नागालैण्ड	3,23,848	2,80,000	2,060.01
ओडिशा	15,54,758	1,35,50,000	4,401.29
पंजाब	2,60,448	25,10,000	483.75
राजस्थान	53,42,937	1,33,80,000	17,928.73

सिक्किम	46,833	70,000	281.13
तमिलनाडु	58,29,489	78,30,000	8,128.97
त्रिपुरा	5,66,777	5,40,000	2,858.82
उत्तर प्रदेश	73,69,867	6,00,60,000	20,425.74
उत्तराखण्ड	4,20,241	10,30,000	1,154.13
पश्चिम बंगाल	52,76,742	1,77,80,000	8,307.31
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	9,783	0	34.91
चण्डीगढ़	0	0	0.65
दादरा एवं नागर हवेली	0	1,00,000	2.77
दमन एवं दीव	0	20,000	1.12
लक्षद्वीप	2,287	0	7.76
पुडुचेरी	27,472	0	40.06

* 2009-10 से 2011-12 के वर्षों के लिए औसत, स्रोतः नरेगासॉफ्ट मॉ.सू.प्र.
# 2009-10, स्रोतः योजना आयोग
@ 2007-12 की अवधि हेतु स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध-2क
नमूना चयन का संक्षिप्त विवरण
(पैरा 2.1.4 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.
1	आन्ध्र प्रदेश	5	15	150
2	अरूणाचल प्रदेश	4	9	43
3	असम	8	21	83
4	बिहार	15	54	252
5	छत्तीसगढ़	6	14	140
6	गोवा	2	4	14
7	गुजरात	6	15	150
8	हरियाणा	6	12	114
9	हिमाचल प्रदेश	4	9	90
10	जम्मू एवं कश्मीर	6	12	113
11	झारखण्ड	6	17	167
12	कर्नाटक	8	16	157
13	केरल	4	13	39
14	मध्य प्रदेश	13	29	290
15	महाराष्ट्र	9	24	240
16	मणिपुर	4	9	90
17	मेघालय	4	8	90
18	मिजोरम	2	4	39
19	नागालैण्ड	3	7	54
20	ओडिशा	8	20	200
21	पंजाब	6	13	118
22	राजस्थान	8	18	180
23	सिक्किम	2	4	8
24	तमिलनाडु	8	23	230
25	त्रिपुरा	2	6	60
26	उत्तर प्रदेश	18	46	460
27	उत्तराखण्ड	4	10	100
28	पश्चिम बंगाल	5	15	120

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.
29	अंडमान एवं निकाबार द्वीपसमूह	2	4	14
30	दादरा एवं नागर हवेली	1	1	10
31	लक्षद्वीप	1	3	3
32	पुडुचेरी	2	3	30
कुल		**182**	**458**	**3,848**

अनुबंध-2ख
नमूना चयन का संक्षिप्त विवरण
(पैरा 2.1.4 का संदर्भ लें)

क्र.सं	राज्य का नाम	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्रा.पं. के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	नालगोंडा, रंगा रेड्डी, कुरनूल, विशाखापट्नम, विजियानगरम (पाँच)	कृष्णागिरीञ तुग्गाली, चागलमारी, गंत्यादा, गुर्ला, कुरूपम, कोटौराटला, बत्चायापेटा, सब्बावरम, पोचमपल्ली, नेरेदचेरला, चिन्टापल्ली, यलाल, यचाराम, मोमीनपेट(15)	भीमनपल्ली, घौसेकोण्डा, वनकामामिदी, शिवारेड्डीगुडेम, डोथीगुडा, जुलूर, पोचमपल्ली, मुक्तापुर, जलालपुर, जिबलैकपल्ले, बेट्टाटंडा, बोथलापलेम, गुडुगुन्टलापलेम, गुंडला पहाड, कोमाटीकुंटा, मुकुंदपुरम, मुसीवोदुसिंगरम, पलकीडु, रवि पहाड, सामवरम, चिंतापल्ली, किस्तारामपल्ली, गद्दा गौराम, कुरमापल्ली, मदनापुर, मल्लारेड्डीपल्ली, मेलवालपल्ली, वरकल, विन्जामूर, तीदीद, अगनूर, अक्कमपल्ले, बेन्नूर, चेन्नारम, देवानूर, दोलापुर, जंतपल्ले, नागसमन्दर, रसनुम, संगमकुर्द, चिंतपाटला, चौदर पल्ली, गद्दामल्लइयाहगुडा, कोथापल्ली, कुरमिद्दा, मल्ल, नानकनगर, नन्दीवाना पार्थी, थातीपार्थी, तुले खुर्द, आमरादीकलां, देवरामपल्ली, इजरा चित्तमपल्ली, केसाराम, कोलकोन्डा, मेकावानामपल्ली, मोमीनपेट, वेलचाल, येन्काथला, येंकीपल्ली, आलमकोंडा, चित्याला, कंबालापाडु, कतरीकोंडा, लक्कासागरम, पोथुगल, शो येरागुडी, तल्ला गोकुलपाडु, थोगारचेडु, येरूक्कलाचेरुवु, चेन्नमपल्ले, गुटी येरागुडी, पेन्डेकल्लू, रामपल्ली, रतना, सभाषपुरम, तुग्गली, कदमकुतला, पगीडीरोय, उप्परलापल्ली, मल्लेवेमुला, गोडीगनूर, पेड्डावांगली, नीलमपाडु, सेट्टीवीडू, डी. वानीपेन्टा, मुत्यलापाडु, चागलामर्री, मद्दुरू गोतलूर, बुडाथनापल्ली, गंतायदा, जिंगेरू, किर्थुबारथी, कोण्डातमारपल्ली, मुरापाका, नरावा, पेंटाश्रीरामपुरम, रामभद्रपुरम, रामावरम, दमरसिंगी, गुडेम, गुर्ला, जम्मू, केल्ला, कोंडागनरेडू, पेदबंतुपल्ली, ततीपुडी, तेत्तांगी, वल्लापुरम, बिय्यालवलसा, गुज्जूवई, कुरूपम, मर्रीपल्ली, नीलकंटपुरम, पेडागोत्तील्ली, थीत्तीरी, वलसबल्लेरू, वूसाकोण्डा, उदयापुरम, येण्डापल्ली, थांगेडू, रामचन्द्रपलेम, पीप्पल्लाकोठापल्ले, पंडुरू, नीलीगुंटा, चिन्नाबोड्डेपल्ले, कोडावतीपुडी, बोडापलेम, आकासाहेबपेट, बूचयापेटा, चित्तायापलेम, गुन्नेमपुडी, कोंडापलेम, मल्लम, पेडापुडी, राजम, आर. शिवारामपुरम, तुरकालपुडी, विजयारामराजुपेटा, अन्ताकापल्ली, अरीपका, अशाकापल्ले, बंगारामापलेम, बटाजांगलापलेम, गुल्लेपल्ले, नल्लारेगुलापलेम, नारापाडु, रायापूरा अग्रहरम, तेक्कालीपलेम(150)
2.	अरूणाचल प्रदेश	पापुमपरे, पश्चिम शियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव (चार)	दोईमुख, सागली, आलो पूर्व, बसर, लिरोमोबा, रोइंग-कोरोनू, हुनली-दीशाली, हायुलियांग, हवाई-वलांग(नौ)	बैंदरदेवा, बैट, दोईमुख, गंगा, बोबिया, बोकोरियांग-I, खील, कीगी, लैंगपंग, रैच-ताबियो, दोजी जेल्ली, कोम्बो पोमटे, नीचली लोगम जीनी, ऊपरी लोगम जीनी, पकम-I, तारसू मोबक-I, डाली, दिशी, गालू/साईब, गोरी-I, जाइम/जिरदो, पाडी-I,पेगी/कामदक/एवरेस्ट, एस्सी ग्रुप, पोक्तो/लिगो/बोपू, राइज/दोर्दी/लेग्गी/बोपू, बालेक, ब्लौंग-II, ब्लौंग-III, इंताया, जिया-I, जिया-III, मायू-II, मिका-I, परबुक, एलोप, हुनली, आमलीयांग, ब्रेगोंग, सुपलांग जीपीसी, लौतूल, मिचोंग, वालोंग(43)
3.	असम	चिरांग, कार्बी एंगलांग, डीब्रूगढ, जोरहाट, गोलपाडा, कामरूप(ग्रामीण), काचर, हैलाकंडी(आठ)	बोरोबाजार, सिदली चिरांग, लैंगसोमेपी, हौराघाट, निलीप, खोवांग, टिंखोंग, उत्तर पश्चिम जोरहाट, जोरहाट(बागचुंग), हाजो, चामरिया, कमालपुर, गोरोइमारी, मतीया, कुशधोवा, अलगापुर, हैलाकंडी, पालोनघाट,	अमगुडी, बागडगांव, बारलावगांव, बाडपाथर, हकुआ सरफंग, कुमारसाली बाताबाड़ी, मालीपाडा, बमुनगांव-दत्तापुर, बेसोरबाडी-नांगलबंगा, खुनरींग, मालीवीता, ओगुडी, पाताबाडी, रंचाईधाम, तुकराझार, हावराघाट, लांघीन, फुलौनी, हावराघाट, लैंगफर, लांघीन, देवपानी, दुआर बागोडी, निलीप, बामनबाडी, गजपुरिया, हल्धीबाडी, नहारानी, धामन, कोनवाडी गांव, महमोरा/बोरपाथर, सलमाडी, 38 नं. बालीगांव, 31 नं. मध्य चारीगांव, 44 नं. मध्य सारूसारी, 45 नं. पश्चिम सारूचराय, 37 नं. राजाहौली, 54 नं. सीन्नामोडा, 60 नं. मरियानी बगीचा, 66 नं. पचीम थांगल, 64 नं. पब थांगल, 57 नं. उत्तर गडमूर बगीचा, 48 नं. उत्तर नमोनी चारीबाही, बरनी, बोंगलपाडा, दामपुर, सोनीयादी, हेकरा जोगीपाडा, किस्मत काथमी, महटोली, पिजुपारा, बोडसील, बोडका सतगांव, केंदूकोना, अचलपाडा, जोडसीमुलु, मेजरटॉप, काडीपाडा,

			तपांग, राजाबाजार, उधरबोंद(21)	सिधाबाडी, श्री सुर्यागिरी, दूधनाइ, दारंगीरी, लेला, कलीनगर, पंचग्राम, सैयदबोंद, सुदर्शनपुर/बंदकमाना, कंचनपुर, गंगपर/धुमकर/लखीरबोंद, निताइनगर, भूबंदहर, भूबनहिल्ल, मोहनखल/रम्मानिकपुर, इंद्राघर, कथाल, तपांग, हरिनगर, जोयपुर कामरंगा, लबोग, खासपुर, काशीपुर, मधुरा, सलगोंगा(83)
4.	बिहार	मुंगेर, जहानाबाद, बांका, दरभंगा, मधुबनी, बेगुसराय, भभुआ, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, औरंगाबाद, अररिया, सीतामढी, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज(15)	असरगंज, धरहरा, हुलासगंज, मखदुमपुर, अमरपुर, चंदन, शंभूगंज, बहेडी, बिरौल, हनुमान नगर, तारडीह, जले, बासोपट्टी, लखनौर, बिस्फी, कलुआही, जयनगर, बलिया, नवाकोठी, दंदारी, खोदाबंदपुर, बीरपुर, कुंद्रा, रामगढा, रामपुर, मुरौल, मुशहरी, साहेबगंज, सरैया, बिहिया, ओदवंतनगर, शाहपुर, संदेश, चांडी, हरनौत, इस्लामपुर, नूरसराय, राहुई, ओबरा, हसपुरा, रफीगंज, सिकटी, जोकीहाट, बाजपट्टी, नानपुर, रून्नीसैदपुर, सुरसंड, बरिया, मिथान, लौरिया, मझौलिया, नरकटियागंज, दिघलबैंक, पोठिया(54)	असरगंज, मकवा, चोरगांव, अजीमगंज, अमारी, माताडीह, बौरी, दौधू, मडगांव, दाकरा, जमनगंज, कलानौर, मनझौस, सरेन पश्चिम, सुमेरा, गरीबपुर, गोरगामा, भीकमपुर, पवई, सलेमपुर, धानुवसारा, दक्षिण कस्बा बैसाला, कुसुमजोरी, बर्फेरा, तेतरिया, गुलनी, झाखरा, बिरनौधा, मालडीह, पकरिया, भगौनी, भाक्षी, दोहट नरायण, हबिदाह मध्य, हरहच्चा, जोरजा, मिटुनिया, अफजाला, बैरमपुर, देकुली जगरनाथपुर, नेउरी, पटानिया, पोखराम दक्षिण, सोनेपुर पगरी, गोदायपट्टी, पंचोभ, रामपुरडीह, सिनौरा, वीसथ बाथिया, महथौर, राजा खरवार, अहियारी उत्तर, ब्रह्मपुर पूर्व, दोघरा, कमतौल, मासा, मुरैठा, रतनपुर, बासोपट्टी पश्चिम, बीरपुर, कटैया, महिनाथपुर, बलिया, कचुआ, लौफा, तमूरिया, बलहा, चौहट्टा, जगवान पश्चिम, नहास रूपौली उत्तर, परसौनी उत्तर, रहतोस, सदुल्लापुर, हरिपुर उत्तर, मधेपुर, परसुलिया, देवढा उत्तर, देवढा मध्य, दोरभर, बेलही पूर्व, बलिया लखमनिया-I, बलिया लखमनिया-II, भगतपुर, नूरजामपुर, ताजपुर, दफरपुर, महेश्वर, रजकपुर, कटहारी, कतरमाला दक्षिण, बैंक, बरियारपुर पश्चिम, खोदाबंदपुर, बारा, बिरपुर पश्चिम, गेनहरपुर, भावानन्दपुर, पचपोखरा, मेउरा, दरवन, चिलबिल, अहिवास, बरौरा, साहुका, अमनव, बेलनव, कुरारी, हरसिंहपुर लौतन, महमदपुर, विध्याझपुर, मनिका विष्णुचन्द दत्त, दुमारी, अब्दुलनगर/माधोपुर, शेरपुर, प्रह्लादपुर, भगवानपुर, पताही, नवानगर निजामत, हलीमपुर, माधोपुर हजारी, जगदीहपुर, सरैया, परसौनी रईसी, बहिलवारा रीपानाथ उत्तर, बहिलवारा रूपानाथ दक्षिण, चकना, दातापुर पचभिरवा, मदवा पाकर, रामकृष्ण दुवियाही, रामपुर बल्ली, रीवा बसन्तपुर उत्तर, घाघा, पी. चकवास महाव, पीपरा जगदीशपुर, शिवपुर, अकुना, बकारी, कुसुम्बी, सरथुआ, खुताहन, सरना, सुहिया, हरिहरपुर, झानवा बेलवनिया, अहपूरा, जमुआनव, संदेश, माधोपुर, रूखई, गंगौर, सरथा, बसनियावन, कोलावन, पोवारी, तिलमर, वेशवक, संदा, रानीपुर, सकरी, भौरीडीह, अन्धान्ना, जगदीशपुर तियारी, नीरपुर, रसलपुर, पैशोर, राहुई, सोसंडी, सुपासंग, भरूब, दीहरा, कंचनपुर, ओबरा, रतनपुर, दीनदीर, ताल, अहियापुर, घुसारी, कजपा, बालीगंज, भदूकी कला, तोसीला, सिहुली, बलार, कुच्छा, मुरारीपुर, रोकनतारी, भीडभीडी, सिमरिया, सिसुना, कुरसैल, भगवानपुर, चिराह, धुबरा, मटियारी, बाजपट्टी, बनगांव दक्षिण, हुमायूंपुर, मधुबन बासहा पूर्व, रतवारा, बाथ असाली, जानीपुर, नानपुर दक्षिण, सिरसी, गुरदाह, बगही रामनगर, गिधा फुलवरिया, अठारी, बरहेटा, बलुआ, दिवाना बुजुर्ग, मेशा फड़कपुर, बनौली, दीवारी मलौना, मलाही, पतनपुरा, विरख, सिसवा सरइया, बिथाहा, बगही रतनपुर, फुलिया खंड, बरिया, हथुहवा, मच्छहान, सेमनवारी, बगही बसवरिया, लकर सिसरे, सिसवनिया, लौरिया, गोबरौरा, राजा भर, लाला सराय, महनवा रामपुरवा, महनागनी, मोहदीपुर, रतनमाला, रूलाही, हर्दी तेरहा, शिकारपुर, केसरिया, पुरनिया हसरी, परोरहा, बरवा बरौली, गोकुला, पत्थर घाटी, तारावारी पदमपुर, मनगुरा, सिंघीमारी, कोल्था, सरोगोरा, पनासी, छत्तरगच्छ, जहांगीरपुर, उदगरा, सोनपुर पगरी(252)
5.	छत्तीसगढ़	दुर्ग, महासमुद, जशपुर, कोरीया, बस्तर, कांकेर (छः)	बलोड, दुर्ग, साजा बसना, पिथोरा, कांसाबेल, पाथलगांव, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, बस्तर, बकवंद, मकडी, चरामा, नरहरपुर(14)	बी. जमगांव, भोइनापार, देवरभात, जमरूवा, झुंगेरा, लताबोर, लोण्डी, नेवारीकला, परसोदा, तरोद, अमाती, भेंडसर, बोदेगांव, चिरपोती, गुरसीडीह, कटरो, कोलिहापुरी, नागपुरा, रसमारा, रावेलीडीह, भटगांव, दंगनिया, गुदवा, कन्हेरा, मात्रा, ओडिआ,सहसपुर, सौरी, तिरियाभट, उमरावनगर, बदतेमारी, बेलतिकारी, विचिया पी, बिरसिंहपाली, चिमारकेल, गनेकरा, खेमदा, लैम्बर, पालसापाली ए, सरकंडा, बडे लोरम, भीखापाली, बीजेमल, धनोरा, गोपालपुर, जन्धोरा, कोदोपाली, मोन्हाडा, पिलवापली, सावित्रीपुर, बरजोर, चिदोरा, फ्रसाजुदवेन, कटंगखर, खुटेरा, कुसुमताल, पत्रपाली, पोंगरो, सजापानी, तंगरगांव, बागबहार, बुत्रबहार, घर्जियाबथान, कादरो, कुदकेल खजिरी, मधुवन, पालीडीह, राजा आमा, रोकबहार, तिरसोथ, आमापारा,

				बडगांव, बारपारा, बुडार, चिल्का, दकईपारा, गडबडी, कदमनारा, खोंद, सालबा, बंदेली, चरवाही, दुगला, हर्रा, कचौड़, लालपुर, महाय, नारायणपुर, पारसगढी, रोकडा, बर्दा, चिंदगांव, चिउरगांव, फर्सीगांव, किंजोली, मंगनर, मतनर, पंडानर, सतोसा, तोंगकोंगेरा, बकेल, भोंड, दुबेउमरगांव, करमारी, केशरपाल, कुंगरपाल, लामकेर, मंडलापाल, रेतावंद, तुरपुरा, बडेघोर्डसोडा, बागबेदा, भीरगांव, धार्ली, जरान्डी, कोसाहरदुली, मकडी, पथारी, तामरावंद, थेमगांव, आंवरी, भानपुरी, देदकोहाका, गीतपहार, जेप्रा, किलेपार, लिलेझार, पंद्रीपानी, सरधुनवागांव, अमोदा, भैसमुंडी, चारभट्टी, देवीनवागांव, धनेसरा, गोतियावाही, कुर्ना, मारामपानी, रिसेवडा, सरवंदी, सरधुनवागांव(140)
6.	गोवा	उत्तरी गोवा, दक्षिणि गोवा(दो)	परनेम, सत्तारी, कैनाकोना, सैंगुएम(चार)	कैसने-अमेरे-पोरोस्कोडेम, टैम्बाक्झीम-मोपु-उगावेम, ओजोरीम, क्वैरीम-तरखोल, पैलीयम, कोतोरेम, मोरलेम, नगरगाव, अगोंडा, कोला, पोइंग्युइम, सैंकोरडेम, रिवोना, मोल्लेम(14)
7.	गुजरात	बनासकंठा, दाहोद, सुरेन्द्रनगर, वलसाड़, अहमदाबाद, एवं पाटन (छः)	धरमपुर, वलसाड, बरवाला, रनपुर, साणंद, पाटन, हलवाड, लिमबाडी, दंतीवाडा, देवदार, पालनपुर, गरबडा, फतेपुरा, सायला, सिद्धपुर(15)	भदाली (जट), भिलाचल, दंतीवाडा, गुंदारी, महुदी-मोती, नन्द्रोत्रा (ब्राहमणवास), पंठावडा, ओधावा, सतसार, जट, चालवा, धुनसन, कोतारवाडा, लवाना, ओढा, रैया, रावेल, सरदारपुरा (जासेली), वदिया, वतनजूना, चित्रसानी, धांगधा, गढ, हथिद्रा, करजोडा, मोता, मदाना (गढ), रतनपुर, सुंधा, वासना (जगाना), अभलोद, आम्बली, छराछोदा, दादुर, गुंगर्दी, मातवा, नेलसर, पंठावडा, वादवा, जारी-बुजर्ग, बिचोर, डुंगर, हिन्डोलिया, करोडिया, लखनपुर, मोती-दाधेली, नानी-दाधेली, सागदापदा, सरसावा (पूर्व), वंदरिया (पूर्व), चरादवा, धनाला, ग्नानश्यामपुर, कवादिया, खेतर्दी, कोयबा, मानेकवाडा, नवा घनश्यामगढ, सिरोली, वंकिया, एंकेवालिया, भगवानपार, भागमदा, बाथन, भोजपाडा, धलवाना, जलियाला, कटरिया, नानी कटाची, परनाला, छडियाली, धमरशाला, धिंगवाली, गोसाल, खिंतला, मोतासाखपार, नवागाम, समाधियाला, सापर, सुदामदा, अम्बातलत, भेंसदारा, गुंडिया, कांगवी, खंडा, मनाईचोंडी, पांडव-खादक, पेंढा, रनवेरी, तानाछिया, अंजलव, भागल, डांडी, धानोरी, कलवाडा, कापडिया, मालवन, पंचालाई, सरोन, वालवच, चंचरिया, धाधोदर, हेबतपुर, कापरियाली, पिपरिया, रामपुरा, रानपरी, रेफ्दा, संगसार, सानलापुर, अलाऊ बोदिया, चारंकी, गुंडा, गधिया-देरादी, नानी-वादवी, राजपुरा, रानपुर, संगलपुर, उमरला, अनियारी, अंदेज, चारल, गरोडिया, घोदवी, खोरज, कुंडल गोविंदा, मखियाव, रूपवती, वनालिया, अजीमाना, बालवा, धारपुर, हाजीपुर, खानपुरदा, महमदपुर, राखव, सगोदिया, वछाल्वा, वासनी, चतावडा, गेनेशपुरा, काकोशी, खोलवाडा, लुखासन, मेलोज, नागवासन, संदेसरी, सुजानपुर, उमरू (150)
8.	हरियाणा	सिरसा, फतेहाबाद, मेवात, पलवल, अम्बाला, कुरूक्षेत्र(छः)	अम्बाला-I, साहा, भट्टू कलां, रातिया, बाबेन, थानेसर, फिरोजपुर झिरका, तौरू, पलवल, हसनपुर, बारागुधा, ओढान(12)	जांसुई, बरौला, कालेरान, रौलान, अमीपुर, मोहरा, शेखुपुरा, जागौली, भुरंगपुर, केसरी, सामलेहरी, खेडा, साबगा, अकबरपुर, नूर्द, शेरगढ, झारू माजरा, चुडियाली, साहा, खाबरा कलां, सिरधान, धांद, मेहुवाला, बांमनडोरी, जंदवाला बागर, सरवरपुर, दैयार, भट्टू कलां, पील्ली मंडोरी, सहनाल, अहरवन, बादलगढ, चिम्मो, रायपुर, जंडवाला सोत्तर, स्ताखेडा, कामना, अलिका, बीर सुजरा, बर्थला, बिन्ट, झंडोला, काशीथल, नखरोजपुर, फलसान्दा रंगरान, बरगट, महुआ खेडी, बारना, भांसी माजरा, गामरी जट्टन, खासपुर, अजराना कलां, झीवरहेडी, तिगडी खालसा, उंटसाल, मिर्जापुर, दौलतपुर, झारपुरी, दुंगेजा, बालखेडा, साबपुर, मल्हाका, समीर बास, चित्तोडा, सुलेला, शेखपुर, पंचगांव, निजामपुर, हसनपुर, शिकारपुर, बावला, पारा, उतोन, डींगरहेडी, भांगोह, सिल्खोन, घोरी, पारोली, कलवाका, बाधा, कारना, चिरवाडी, जोधपुर, अलावलपुर, दुर्गापुर, थेरकी, हसनपुर, माहोली, बाटा, रैदास्का, फटस्को नगर, टिकरी गुज्जर, कवारका, सहनौली, कुशक, झीरी, थिराज, भागसर, बुरज करमगढ, शेखपुरिया, कुरगानावाली, सुखचैन, लहंगेवाला, आलिका, मलिकपुरा, ओढान, चोरमार खेडा, घुकानवाली, रोहिरानवाली, खत्रावान, हास्सू, सलामखेडा, खेववाली, तिगडी(114)

9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला, कांगडा, लाहौल एवं स्पिती, सोलन(चार)	भावरना, देहरा, इंदोरा, काजा, लाहौल, बसन्तपुर, नारकंडा, धरमपुर, कुनिहार(नौ)	फारेर, बांघीयार, बिन्द्राबन, चाचैन, पारौर, गोपालपुर, भट्टू सामुला, बागोरा, घुग्गर, दराती, पनायली, रेल, सनाही, जसाई, मजियार, सारेरी, सापरोह, नारीआल, चौरू बाधरोल, बाजरोल, चारीन डी धर, तापरे, डिम्मी, बरारा, धरोग, दरबियार, उतपुर, बारियान, टिक्कर बुहुला, क्यार्तु, धारकंदरू मुंडु, दादास, परगया, टिक्कर, कुथार, कोट-सिलारू धारेच, भरना, ठाकुरद्वारा, गंगथ, दाह कुलारा, राजा खासा, मोहताली, माजरा, दैकवान, भापू, मंड मियानी, घोदन, कोटला, माझीवाड, चानावाग, नीन, ओखरू घरियाना, ओगली, बलदेयान, जूनी, खुंदीयान, घालौर, कोपरा, हिरान, जैकलहाद, घुरकल, आलुहा, बैंगोली, सिहोरपाय, धानोत, बरोटीवाला, हुरंग, जाडला, पट्टा नाली, नारायणी, धाकरियाना, बुघर कनैटा, आंजी माटला, दरवान, रोआरी, सानन, पलोग, कुनिहार, गियाना, बनोह, बैरल, कोटली, मंजु, कोठी, दानोघाट, दरोतीबाला(90)
10.	जम्मू एवं कश्मीर	पुलवामा, सोपियान, लेह, राजौरी, पूंछ, उधमपुर (छः)	केल्लर (स.वि.आ.सोपियान), सोपियान, खारू लेह, सासपोल, दूंगी, राजौरी, सुंदरबानी, मेंढर, पूंछ, चेनानी, उधमपुर(12)	अंड्रोला, बाधोन ए, बलजारन, डांगरी, डी गोरसैन, एफ खास, कलाल कास, कोटेधर, एम गुग्ज्जरन, मुरादपुर, ए दक्षिण, बागला, देहरियां, धनवान, डी ब्राह्मण, दोगानी, कल्लर, ल्कोटे, नाद्याला, एस कोटे, बन्दीपायेन, दुदबुध, वारीपोरा, ककवाथल, चंदोसा, कालान्त्रा, नौपोरा, वुलरहम, खैतांगन, वागोरा बी, वारपोरा ए, वारपोरा बी, जनवारा, जालूरा ए, दांगेरपोरा, माल्मापेन्पो, शिवा ए, दांगेरपोरा, नाथीपोरा, मुंडजी, चारी, गंदाला, गरनई, तिरसी, कल्लेर, रेहम्बल, मंडीएस्ट, मानसर, पाडनू, टिकरी, बात्रा, घंटवाल, कारलाह, कोसार, लाढा, ल्माधा, माटलोवा, पंचोटे, आर पूर्व, सत्याल्ता, अजोते, बनवात ढोकरी, चाकत्रू, चंदक, देगवार, इस्लामाबाद, खानेतर, देलेरा, खानेतर दुपरियां, कुनियान, नूना बंदी, भातीधर, चक बनोला, घानी निचली, गोहलाद मुस्तफा नगर, गुरसाई हरमुत्ता, गुरसाई मूरी, गुरसाई फमबानार, कलाबान, सागरा, सालवाह उपरी, लेतपोरा ए, लाढो बी, अंड्रूरसू, सेमपोरा ए, मंडलपाल, हातीवारा, पाहू, लेरो, काकपोरा ए, परीगाम ए, वेगम, गुदूरा, मारवल, गुंडीपोरा, रत्नीपोरा, काकपोरा बी, बास्गो, चोगलाम ए, चोगलाम बी, लिकीर, नेय, नीमू, फ्यांग, साबू, स्पीतुक, तारू चेमडे, इगू, मार्तसेतंग, शक्ति, शक्ति ए, सारा, गिया(113)
11.	झारखण्ड	पश्चिम सिंहभूम, रांची, डुमका, पाकुर, गुमला, पलामू (छः)	चाईबासा, चक्रधरपुर, झिंकपानी, अंगारा, चान्हो, कांकी, दुमका, जामा, जारमुंडी, पाकुर, हिरानपुर, भरनो, गुमला, सिसाई, चैनपुर, डालटनगंज, लेसलीगंज (17)	दिलीयामारचा, हरीला, करलाजोडी, कुरसी, लोपुनगुटु, नारसंडा, टोन्टो, तुईबीर, बदुरी, सिम्बिया, भर्निया, हथिया, होयाहातू, इटोड, कींकी, कुलीतोरंग, सिलफोरी, सुरगुरा, बैपी, गोपीनाथपुर, असूरा, चोया, जोदापोखर, केलेन्दे, कुदाहातू, नवागांव, टूटूगूटू, चतरा, गेतलसूद, हसातू, कुच्छु, नवागढ, राजाडेरा, सूरसू, टाटी, अंगारा, बीसा, बालसोकरा, चामा, चोरेया, लुंडरी, पंडरी, रघुनाथपुर, रोल्ल, ताला, तांगेर, तरंगा, बाधू, गागी, कामदे, माल्सीरिंग, पिथोरिया, सुकुरहुतु (दक्षिण), उपरकोंकी, उरूगुट्टू, अर्सेंडे, बोरेया, बाराताली, घासीपुर, हरिपुर, केराबानी, लाखीकुंडी, मालभान्ड्रो, परसिम्ला, रामपुर, आसनसोल, भुरकुंडा, आसनसोल कुरूआ, भैरावपुर, छकीलापाथर, चिकानिया, लागल, नाचनगडिया, तपसी, थानपुर, सिकतिया, सिमरा, बरमासा, चमरा बहियार, हथनामा, खरबिला, पाहरीडीह, पुतली डाबर, सिंघनी, ठेकचा, घोंघा, हरीपुर बाजार, शंकरपुर, भवानीपुर, हिरानन्दपुर, जयकिस्तोपुर उर्फ नारायणखोर, कालीदासपुर, कुमारपुर, नासीपुर, रहसपुर, सितापहरी, मदन मोहनपुर, नवादा, बाबूपुर, बडातल्ला, दंगपाडा, घाघरजानी, हथकाठी, मंझलाडीह, मुर्गादंगा, वाघशीशा, कैंदुआ, सुंदरपुर, अटाकोरा, डुम्बो, दुरिया, करंज, करौंदाजोर, मारासिल्ली, दक्षिण भरनो, सूपा, अमलिया उत्तर भरनो, अरमाई, ब्रिन्दा, घटगांव, कसीरा, कतरी, कोटाम, कुम्हरिया, सिलाफारी, आंजन, टोटो, बरगांव, भदौली, बोन्दो, लकेया, मुर्गू, नागर, पंडरिया, रेरवा, घाघरा, शिवनाथपुर, अवसाने, बांसडीह, बसरिया कलां, चंदो, हुत्तर, महुगावां, ओरनार, रामगढ, चैनपुर, पूर्वडीहा, बारालोटा उत्तर, झबर, जोनर, कौडिया, लहलहे, पोलपोलकला, सरजा, सिंगराखुर्द, चियांकी, जमुने, चौरा, डबरा, हरतुआ, जामूडीह, कुंदरी, नौडीहा, पूरनाडीह, संगबर, कोटखास, लेसलीगंज(167)

12.	कर्नाटक	चिकबल्लापुर, शिमोगा, बीजापुर, गदाग, बेल्लारी, रायचूर, चामराजनगर, हस्सन(आठ)	बागेपल्ली, गुडीबंडे, होसानगर, सोराब, मुद्देबिहाल, सिंदगी, नरगुंड, शिराहट्टी, होसपेट, कुडलीगी, देवदुर्गा, लिंगसुगुर, चामराजनगर, कोल्लेगल, बेलूर, हस्सन (16)	देवरागुडीपल्ली, गुलुर, कोट्टाकोटे, मित्तेमारी, नल्लप्पारेड्डी, पल्ली, नरमद्देपल्ली, परागोडु, पथापाल्या, रास्चारावु, सोमनाथपुरा, बीचनागनाहल्ली, हंपसांद्रा, सोमनहल्ली, तिरुमनी, उल्लुडु, वर्लाकोंडा, येल्लुडु, अम्मुथा, बलुरू, होसुरू (सम्पेकत्ते), हुमचा, केरीमाने, मेलिनाबेसिग, नित्तुरू, पुरप्पेमाने, रेप्पनपेट, यादुरू, बेन्नूर, चित्तुरू, द्यावानहल्ली, गुडुवी, हेच, जाडे, सामनवल्ली, सिग्गा, तलगड्डी, येन्नेकोप्पा, आलूर, बेवर, भंटानूर, बिदाराकुंडी, धावालगी, हिरूर, कोलूर, मुकिहाल, रक्कासागी, तुम्बागी, बेकिनाल, बोम्मनाहल्ली, चत्तारकी, गब्बासावालागी, कोंडागुली, मन्नूर, रामपुर पा, यलागोड, यंकांची, यारागल बीके, बनाहट्टी, भिरनाहट्टी, चिक्कानारागुंड, हादली, हिरेकोप्पा, हुंसीकत्ती, कनाकीकोप्पा, कोन्नूर, सिरोल, सुरकोड, अरादाकट्टी, बालेहोसुरू, बन्नीकोप्पा, बेल्लाटृटी, चेबी, दोड्डूरू, कोगानूर, मगाडी, सिगली, वादावी, 114. दानापुरा, बुक्कासागरा, बायलुवाद्दीगेरी, गडीगानूर, मालापानागुडी, मरियाम्मनहल्ली, नागेनहल्ली, नं.10 मुद्दापुरा, रामसागरा, सीथारामा थंदा, बनावीकल्लू, चौदापुर, गुदेकोटे, हिरेहेगदल, हुरालीहल, ह्याल्या, के.अय्यनहल्ली, कंडागल्लू, निंबलागेरी, रामपुरा, अरकेरा, ब.गनेकल, चिंचोडी, गनाधल (दूवदुर्गा), हिरेबुदूर, होसूर सिद्दापुर, जागीराजादलादिन्नी, जालाहल्ली, मालाडका, रामदुर्गा, बन्नीगोल, बय्यापुर, देवराभुपुर, हुत्ती, काचापुर, कलापुर, कन्नाल, नारकलादिन्नी, रोडालाबंदा (यू.के.पी.), अरकलवाडी, बदानागुप्पे, देमाहल्ली, होन्नाल्ली, कागलवाडी, कोठालवाडी, मादापुरा, मालीयुरू, नंजेदेवनपुरा, पुनाजानुरू, दोद्दीनदुवाडी, येल्लेमाला, कौदल्ली, कुंथुर, कुरत्तीहोसुरू, मनगल्ली, मरतल्ली, पाल्या, सिंगनल्लुरू, सुलेरीपाल्या, बिक्कोड्डू, चीकनहल्ली, घत्तडहल्ली, हगारे, हालेबीदु, मालसावरा, नारायनपुरा, सवासीहल्ली, थोलालू, यमसंडी, चन्नांगीहल्ली, डोड्डागेनीगिरी, गोरूर, हनुमंथपुरा, होन्नावरा, कट्टाया, कोरावांगला, मोसालेहोसाहल्ली, शांतीग्रामा, तेजूर(157)
13.	केरल	तिरूवनन्तपुरम, कोट्टायम, मलप्पुरम, पलक्कड(चार)	अथियान्नूर, वामनपुरम, वरकला, एत्तुमानूर, कांजीरापल्ली, लालम, एरियाकोड, कोन्डोत्ती, मनकड, पेरीन्थालमन्ना, मन्नारक्कड, ओट्टाप्पलम, श्रीथला(13)	कांजीरामकुलम, कारूमकुलम, वेंगान्नूर, कल्लार, पेरिंगमाला, पुल्लमपारा, एदावा, एलाकमोन, ओत्तूर, अरपूक्करा, अथीरामपूझा, नीनदूर, एरूमेली, मनीमाला, पराथोड, बारानंगनम, करूर, मीनाचील, कवान्नूर, उर्नगत्तीरी, पुलपत्ता, कोन्डोत्ती, निदियीरूप्पू, वझायूर, मक्करपराम्बा, मंकड, मूरकांडू, अंगदीपुरम, एलमकुलम, किझात्तुर, करिम्बा, कोट्टापदम, थाचाम्परा, अम्बालाप्पारा, नेल्लया, वल्लापुझा, नागालास्सेरी, पत्तीथारा, श्रीथला (39)
14.	मध्य प्रदेश	बालाधाट, शाहडोल, खारगौन, सतना, धार, अशोक नगर, दातिया, छिंदवारा, इंदौर, सेहोर, विदिशा, शाजापुर, नीमच(13)	बालाघाट, खैरलंजी, किरनापुर, सौहागपुर, गुरहार, भीकानगावं, गोगावान, रामनगर, माझगावन, उमारबन, तिरला, गंदवानी, चंदेरी, मुंगाउली, भंडेर, सियोंधा, हराई, पांढुरना, सोसार, इंदौर, देपालपुर, सिहोर, इच्छावर, विदिशा, कुरवाइ, शाहजहाँपुर, बादोध, मनासा, नीमच (29)	नाइत्रा, नाहरवानी, भालेवड़ा, सरवी, लिंगा, अमगा, धनसुआ, पारसवडा, कटांगी, भारवेली, बेनी, मीरागपुर, स्वर्गा, पंजारा, खेरी, खेरलांजी, चतेरा, टेमनी, सिलोतपर, घोटी, मोहगांवखुर्द, पराडे, बक्कर, दाहेडी, जमादीमेता, कसांगी, लवेरी, मुंदेसरा, पीपलगांव, सरद, चुनिया, सारंगपुर, अराझूला, बोदरी, धनूरा, जमूई, केलमानिया, लालपूर, पदमानिया खुर्द, सिंदूरी चुनिया, धूमादौल, रायकोबा, बैरिहा, बिजूरी, छंटाई, गोदिनबूदा, कटकोना, कुडी,नवातोला, साकरा, कंझर, पत्थर वडा,,बडिया गो, बोरूथ, इगारिया, केदवा, नरगांव, पीपालिया बुजुर्ग, रहेगांव,, सुदरेल, घाटी, पीपरखेडा, बालगांव, भीखेड़ बुजुर्ग, देवली, जगन्नाथ पुरा,लाखी, नाजिहीरी, राजपुरा, सोलना, सोहैला, अरगत, देवारी, तिगाना, जिगाना, माझातोलवा, नारायणपुर, नादो, गोरासरी, भरतपुर, तेलनी, पीपरीतोला, हरदी, लालपुर, केलहोरा, बंका, नायागांव, भाटवा, कारोदिकाला, वीरपुर, खरबर्दी, जमली, मलहेरा, देदली बी, धौला हनुमान, सीरोंज, जलौखया, पुरा, बलवरीकाला, छुन्प्या, घौलीबावड़ी, पदला, भुवडा, कालीबावडी, रालामंडल, उखलदा, घनौरा, कुवाद, कोठडा, बादिया, अम्बापुरा, बगाडिया, ग्यानपुरा, मुसापुरा, चांदवाडा, खरमपुर, सिन्धुकुवा, माफीपुरा, मवाड़ीपुरा, सदारियाकुवां, केनवारा, खौडीबारी, बामोरितंका, भ्याना, धेचरी, झागर, खोकसी, मेरकाबाद, रूसाला, सिंघाड़ा घनोदिया, आरोन, नवनी, आकेत, बारी, गोधन, खानपुर, ललोइतंका, मुरादपुर, पिपरोड़, सिंघपुर चालदा, बड़चौली, कुलारिया, अजीतपुरा, सलैतरा, बिन्दावा, भालका, मुस्तरा, सुनारी, मैथनापौज, गोदन, बिलासपुर, इगोई, जूहाडपुरा, कंजोली, चिलना, रूहेरा, करेरूवा, नेहला, अतरेता, बर्चा, एलकापुर, खापा,, नन्देवानी, रंगारी,

				देवली, पंगाडी, सतनूर, गंगतवाडा, मेहराखापा, दुकरझेला,खमतारा, सलधना, मोहरिया, अंडोल, सुखपुरा, भोइपार, सेजवाडा, सुरला,चोपना, गौडपानी, धवादीखपा, पंडोनी, भाजीपानी, जूनवानी, लोनादेही, सिल्लेवानी, मोरडोंगरी, सवजपानी, छवाडी, चिमनखापा, अर्निया, बावलिया खुर्द, असरावद बुजुर्ग, बुरानाखेड़ी, गोगकखेड़ी, खटी पीपालया,, नैनोद, पीपालदा, शिवनी, उपरीखेड़ा, पीरनालवासा, कटाकोदा, अरोदाकोट, बीरगोडा, फरकोदा, हरनासा, करादिया, नेवड़ी, रलायता,, सेमडा, नयापुरा, बलोनदिया, आमलानोबाद, भुखेड़ी, धबलामाता, फंगिया, खाजुरियाघेंगी, मोलगा, नीलबाद, सोहनखेडा, सीलखेडा, बंसिया, बारखेड़ा, हसन, बिलकिसगंज, दोराहा, झारखेडा, लेलाखड़ी, निपानिया, सारखेडा, सोंदा, नीमखेड़ा, पीपारिया अजीत, पीपल खेड़ा, थार, करारिया अहमदपुर, शजाखेड़ी, बर्रो, चितारिया, काबुला, हर्रोखेड़ी, पाराखेड़ी, नेहरा, तालापार, गुडावल, रोशनपीपारिया, इश्खेड़ी,सिमरधन, करेबारखेडी, सिरावली, कच्चीकुम्हारिया, बर्चा, टांडा पिंडोनिया, बमोरी, बिरगोद, हरन गाँव, लदावद, नीचमा, पीपलोदा, तिलावड़ गोविंद, सतगाँव, उच्चवास, जयसिंह पुरा, बरगादी, सारंगा खेड़ी, गुरादिया बेडोड, झोटा, खजूरी बडौड, लौधा खेड़ी, पीपालिया घाटा, उमरपूर, अमलीखेड़ा, बिसलवास सोंगरा, छांयां, हरनावड़ा, कनकखेड़ा, पीपालियाबाग, सावन, सेमलीमेवाद, सीरखेड़ा, सोनियाना, भाडवास, बक्खतूनी, भगौरी, देंथाल, हंसपुर, खेतपालिया, मोकाडी, पलासिया, तलाऊ तमोती(290)
15.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, नन्दूरबार, नांदेड़, लातूर, गोंदिया, यावतमाल, बुलधाना, सिंधुदुर्ग, थाणे (नौं)	अकोला, संगमनेर, कोपारगांव, अक्कलकुवा, शाहादा, कन्धार, मुखेड़, नांदेड़, रेनापुर, शिरूर अनंतपाल, दियोनी, लखानी, तुमसार, केलापुर, यवतमाल, जरी-जमीनी, मोटाला, खामगांव, मेकर, जवहर, वाडा, मुरबाद, सावंतवड़ी, कनकावली (24)	बहिरवाडी, धमनगांव अवारी, धमनगांव पत, गरादनी, कलम्ब, लवहाली ओतूर, पलसुन्डे, पिंपलगांव निपानी, शेरनखेल, उंचखडक ख, चिनकोली गुरव, ज्वालेबालेश्वर, लाहौर, नन्दूर खंडरमल, पारेगांव बी.के., पारेगांव क्ख, पिम्परीलोकी आजमपुर, स्वारचोल, तालेगांव, वदजारी ख, आपेगांव, बहादरपुर, धोन्देवाडी (एन.वी.), जवालके, मधी बी.के., रंजनगांव देश्न, शिरासगांव, तकाली वेस, येसगांव, भगादरी, भंगरापानी, घंटनी, काकडखुंट, मोगरा, ओहावा, पौरांबी, सिंदूरी, वार्डफली, वेली, असलौध, भागापुर, डोंडवाडे, काकारदे दिगार, कथारदे दिगार, लम्बोला, लंगाडी भवानी, नंदे, सहाणे, उधालौद, कौठा, गुंटूर, मुंडेवादी, कोटकालम, वर्वत, पोखरणी, नवरगापुरा, हिपरगशाह, धरमापुरी माजरे, बहादुरपुरा, हंगारगा, संघ्वी भोदो, बेनाल, उमारदारी, वसूर, बावनबाड़ी, औरल, चिंचगांव, सावली, खेरका, ब्रहमणवाडा, भोंडार, सिद्धनाथ, धानेगांव, विष्णुपुरी, लिम्बगांव, थू गांव, नीला, सोमेश्वर, कालहाल, बोरोल, दियोनी (बू, हेलाम्ब, ज्वालगा, लासौना, नागरल, तेलेगांव, वालंदी, दवानी हप्पारग, सैययतपुर, आरी, चमरगा, दिघोर, कलमगांव, सेन्ड, ठेरगांव, उज्जेड़, येरोल, अजनी बी, सकौल, अरजखेड़ा, भौकरम, गावन, कोष्टगांव, मोटेगांव, निवाड़ा, तकलगांव, तलनी, दरजी बोरगांव, लकमापुर, बोरी, देवहाड़ी, गोन्डीतौल, कोष्टी, मंगली (के) , पथरी, सिहोर, वाहिनी, सिन्धापुरी, येराली, अलेसर, डिघोरी, गोंडी, केसालवाडा (वॉग) , लोहार, मोरगाँव, पेंडरी, सेलभात, पिंपालगांव (सड़क, सेलोटी, भिसानी, दहेली, खरद, मोहा, मानपुर, रटचंदना, सवारगढ़, साकूर, वाघडा, यवाली, धरना, चिकालदारा, चंखा, भट्टार, खेरगांव (डी) , कोपमंडवी, जूली, क्वाथा, वायी, अर्ली, मंडवी, दुर्भा, जमनी, अडकोली, भेंडाला, लिंगोटी, जम्कोला, मुलगावाहन, आदेगांव, मथरजुन, चिंचपुर, पर्दा, बोरखेड़ी, कबरखेड़, कोली गुलार, महलुंगी जाहगिरी, तकाली, तकली घाडेकर, उबालखेड़, वाडगांव ख, परखेड़, अम्बीकापुर, चित्तोडा, गरदगांव, हिवारखेड़, कालेगांव, कोंती, कुम्बेपहल, पिंपालगांव राजा, वजर, वरूद, अन्धरूद, गजरखेढ़, गानपुर, कल्याणा, मोहाना ख, मुंडेफल, रतनापुर हिवारा सबलेह, विश्वि, वरवंद, आयरे, देंगाचिमत, भूरिटेक, गोस्थन, बोराले, जेप, वलवंदा, वडोली, धिवांदा, ऐने, मोज, अबजे, पिंपास, केलथन, नंदिनी, सेंज, गोरद, चाम्बले, बिलघर, अखाड़ा, शेलगांव, मनीवाली (खू) , मर्दी, खानीवेर, नधाई, म्हासा, फनसोली, टेमभेर (बू), डोंगरहवे, बालेगांव, अम्बोली, भलवल, कलामबिष्ट, कोलगांव, मालगांव, निरवादे, स्तारदा, वफोली, चाख्था, चौकुल, आयनाल, हलकुल बडख्क, कालसुई, नागवे, ओसारगांव, पैसेकमाते, शिरवल, वगाडे, दारिसते, कॉरूल (240)

16.	मणिपुर	इम्फाल ईस्ट, थोबल, टमेनग्लोंग, चुड़ाचंदपुर (चार)	इम्फाल ईस्ट I, इम्फाल ईस्ट II, थोबाल, कॉकचिंग, टमेनग्लोंग, नंगबा, लमका, संगाईकोट, वेंगाई (नौ.)	हेयीगेंग, खुरई चिंगांगबम ल्यीकई, खुरई नंदीबम ल्यीकई, लुवानग्शनबम, नीलाकुठी, पुंगडोंगबम, तखेल, वैटोन, लाइफम खुनोउ, कैरंग, बमोनकामपुर, चनम सेंडरोक, काइरो मेकटिंग, काइरो, कियामगेई मुसलिम अरापती, नहारप, थोंगजू पीटी.-II, टॉप नारिया, टुमुखोंग मोइरानपुरेल, उचेकान नांगपोक, हेईराक पीटी।I, कांग्याबेम, खेंगाबेक पीटी III, लिशांगथेम, ओईनाम स्वामबंग, संगाईयुफम पीटी II, तुरेल आहम्बी, वांगखेम, लिरांगथेल निंगल, मेईबम उछीवा, चेरल, आयरंगबंद, लंगमेईडांग, म्यंगलांगजाओ, सेक्मायजिन, सिरोउ, वेखांग, वांगू, पालेल, हियांगलम, चेंगदाई, गुईगेलांग, हेप्पी विला-ए, खांगचियोलान, मॉडल विलेज,रिगनलांग, सालेम न्यू, टाओबम, तामेग्लान्ग विलेज, मखुअम, रांगडाई, थिंगो, टोडाईजंग, लुगबा एच क्यु, खोंगसांग, चरोई, चरोई II, रेंगपांग, लोगमाई (नोने), पुइलोन (कैम्बीरोन), बंगमोल, डोरकास वेंग, गोचिंखुपवेंग, हियांगतम लामका, एचक्यू वेंग, माता मौलटम, सिमवेंग, वेंगनोम, जेन्नांग लामका, रेग्काई, डोंगियांग, हेंकेन, एल. गंगीमोल, मखाओ, मोंगनेलफाइ, सैबोह, टी. लैलोइफाइ, तुइतम वजांग, सांगलकोट, तुइनिंग, हेंगचुंगपुंजी, कसूरबाली, कैंगरींग, नुंगसेकपुंजी, फिलियांगथंग पुंजी, तहातुईमोहान, थिंगपुई कोल, तुईसेन, सिमापुरी फ्ल (अंगखासुआ), कांगरेंगदोर (90)
17.	मेघालय	पूर्व खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, पश्चिम गारो, हिल्स एण्ड दक्षिण गारो हिल्स (चार)	चोकपोट, गासूपारा, मेयरंग, माफलांग, माथडरेशन, रोंगराम, शैला-भोलागंज, टीकरीकिला (आठ)	मदन उमसा पाइलन, रंग्शकन, उरूर, फुडमायडोंग, लमशुरयी, मावरीपीह "ए ",मार्पना, नोंगसेप, मापुनेंग, मापनघोंग, लेटमावपन, मदानबिता, मातप पाइलन, तिबाह, त्रासेतखली, लेन डेंगश्नांग, उमसॉ "ए ", मदनकोर, डांगसुरोक लेटरिंगु, लेतुध, लम्सकुल माफु, मासमई, मामलुह, शाईरांग, पाइडेंग नान्गलोरी, पाइडेंग दोंबाह, नोंगरंग, नोंगखला, लाकिन्तेर, लन्गकाइट्रेंग,नांगथाइलडेप, डांगबीर, उम्थलांग, मदान बाइंथर, लेटकेश, मांगोर, मांवलगखर, मावलांगसु, माकोहलुर, लाबिरटुन, नोंगलेट, नोंगशिलाँग, मरकासा, असानंग, जेनद्रेगर, अलागरे, रिंगिगरे, चंदीग्रे, चोकाग्रे, गोडेग्रे, रोम्बाग्रे, चिकासिंग्रे, अनोग्रे, वारिबोकग्रे, गलवांग्रे, डनाकग्रे, रोंगखानग्रे, मारकपारा, मोंगालग्रे, निचली सबानग्रे, जुगीरझर, नगुआपारा, नीचली रेम्बीग्रे, पेडालाडोबा, बुंडुकमाली, फोटामाती, ऐतीबी, टीकरीकील्ला, घंगुआपारा, ओडालगुरी, वाँकोलेग्रे, सीमपारा-ए, सीमपारा-बी, जटराकोना, डीमपारा-ए, डीमपारा-बी, कपासीपारा-ए, टेलीकाली, रामछेंगा-ए, रामछेंगा-बी, बोकोंगपारा, चोकपोटग्रे, डागल वेजबोकग्रे, डाजी टेक्सराग्रे, गांचीकलक, गोंगेंग्रे, मीतापग्रे, रोंगग्रेकग्रे, सांगनिग्रे, वॉरीमाग्रे (90)
18.	मिजोरम	लुनग्लेई, लांगटलेई (दो)	लंगसेन, ह्नाथियॉल, लांवंग्तलाय, बंगत्लांग "एस " (चार)	वैराकई, सिफरत्लांग, उपरी लंगग्रेंग, लंगग्रेंग "एस ", सिलगुर, नंसरी, खमावी, बिंदासोरा, लंगसेन, जोदिन, सेरहुआँ, टिपराघाट, चेन्गकालुई, छुमखुम, फेरुन्गकाई, दक्षिण साउथ वेनलेफाई, पंगजाल, एथुर, रॉपुई, नाथियॉल "एन ", नाथियॉल "एस ", जोछाछुआ, इलैक्ट्रिक वेंग, बजार, दितलांग, एओसी वेंग, चांगतेलुई, चांगते-पी, सितलांगपुई, तुईदेंग्तलेंग, कॉलेज वेंग, लाँगत्लेई III, चिखुलुई, वासेकाई, कानखुआ (सेकुलकाई) , तुईचांगलेंग, मुनुअम, बंगत्लांग "एस ", कर्लुई (39)
19.	नागालैण्ड	मोन, तुएनसेंग दिमापुर (3)	चेन, तोबू, संगसेंगन्यू नोक्लाक, चेसोर, धनसीरिपर मीडजीफेमा (7)	चाओहा चिंगन्यु, चेनलोसिओ, चोकन्यु, जेकफेंग, न्योंनचिंग, वांगती, मानिएकशु, पिसाओ, उखा, यक्शु, हकचंग, हेलीपोंग, माक्षा, मोमचिंग, संगसनज्यू, सोच्यू, चेसोर गांव, कियत्सूकिर, कुथर, शिपोंगर, इखाओ, केनगन्यू, नक्याक, न्यू पांगशा, पांसौ बी, टकन्यू, यखाव, यिमपंग, दिशागफु, दोयापुर, खेकीयो, कीयोटो, रजाफे, रजाफे बासा, शिगरीजन, तोश्जो, ओयनीति, बंगशेंग, दरोगापत्थर, दीफुपर, हीखेशे, इंडस्ट्रीयल गांव, खोपानाला, खरिएजेफे, मोलवाम, नागरजन, पगलापहाड़, फाईफीजंग, समागुरी, सिथेकेमा, सोडजिलेहु, सोवीमा, थिल्लिक्सु, टोलूवी (54)
20.	ओडिशा	केन्द्रापारा, खोरधा, अंगुल, भद्रक, गंजाम सम्बलपुर, बोलांगिर,	अल, राजनगर, बालीअंता, खोरधा, तांगी, अंगुल, कनिहा, बासुदेवपुर, चंदबली, गंजाम,	अटाला, चांदीय गाडी, दीमल, केतुपाला, माहु, मेंधा पुर, पातरा पुर, साहीरा, सींगिरी, टोंगा, ब्राहमंसाही दंगामाला, दीरा, ईश्वरपुर, कन्दीरा, कोलीपुर, माहुली, ओसतीय, राजनगर, रंगानी, बैनचुआ, बलीयंता, बेंतापुर, जगनाथपुर, कक्रुदरापुर, प्रतापरूद्रपुर, पुर्णपराधन, उमादेवबुरांपुर, साराकाना, झींतीसासन, बजापुर, धोली मुहान, गढ हालादीय, जंकीय, कानपुर,

		गजापति (8)	असका, दीगापहांदी, बमरा, कुचींदा, रेनगाली, अगलपुर, मुरीबाहाल, पटनाघर, गोसानी, नौदादा (20)	मलीपुर, नेलीपादा, अर्जुनपुर, नारागढ पल्लांतोतापादा, पुबुसाही, अच्युतपुर, बादापरी, बादोखारीय, छन्नागिरी, कुहुदी, लेंदो, नौगढ, ओलासिंह, रामेश्वर, सुन्दरपुर,बादाकंताकुला, बालंगा (न्यू) बालासिंगा, बालुकाता, बारागुनीय, खालारी खींदा कुमुरसिंघा मणिकाजोदी, सरधापुर बादागुंदुरी बालीपसी बीजिगो बीरू देरांगा हनुमानपुर कर्नापाल कुली, कुलुमा प्रबील अरांदु, अरूहन बारांदु, ईरटल, के.के.पुर, कुमारपुर, लोंगा, सुदर्शनपुर बालीमुंदा बालीमुंदा, बांसादा भाटपादा भुंबुराती मधापुर मौसुधा नागुंदा नंदापुर तोतोपाडा, जोशीपुर नोलोजोहीरा, रामगढ, हुमा, राजापुर मालदा एस.रामचन्द्रपुर पालीबानधा सुबालाया पालांगा पैरोसी खंडादेली बेनपत गुंठुपाडा कलासनधापुर कामागढ केंदुपादर खंडादेली खैरा मुनीगादी नीमिना सीधानै बोमके च.नीमाखंडी च.तीकरपादा गडगोबीनदापुर गोकरनापुर खामरीगांव कुसापादा नीमाखंडीपेंथा फेसीगुडा एस. टिकारापाडा बाबुनीकिटमल जराबग किनाबाग सागरा गरपोश महोलपाली तुरे पिंदापाथर केसबाहाल कबरीबाहाल बॉक्समा तेलीतीलैमल पारूभादी बौरीगुदा गोछांरा कुंतारा तेनसर कुसुमी के.जामनकीरा सलेभादी लायदा रैंगलोई जंगला तामपरकेला झांकारपाली कटरबागा लापंगा रैंगली सलाद तबाडाभाल अगलपुर बाबुफसाद बैंदरा भरसुजा बुदुला दुदुका कुतासिंह रिनबाचा नुनीपाली झारनीपाली बेनकल चलकी चनाबहल गोमुंड हल्दी लखाना लेबडा तपौदर इच्छापादा मलीसीरा देलुगांव गेरदा खुंतसामली मरून सुनामुदी तामैन तेनदापादर उलबा केन्दुमुंदी दंगाबहल बदाकटुरू भुसकुदी बुमीका गारबनधा घोरानी कटलाकेथा केरांदी लावण्यगादा रमपा उप्पलदा अट्टरसिंगी बेतंरसिंगी केरादंग खजुरीपाडा नुगडा पेकंटरादा परिमाला पुतरूपादा समबालपुर तबरादा (200)
21.	पंजाब	होशियारपुर, बरनाला, फजिल्का, अमृतसर, मुक्तसर, पठानकोट, (6)	भुंगा, टंडा, तलवाडा, सेहना, बरनाला, अबोहर, जलालाबाद, अजनाला, वेरका, गिद्दरबाहा, मलौट, बामियाल, नरोट जय मल सिंह (13)	तंटपाल, गुगियाल, कहल्वान, चाक गुजरन, कपाहट, दुरेन, गल्लोवाल, जल्लोवाल, धूत कलां, बस्सी बाबू खान, झांस, कलोया, भागियान, हमबरन, कोटली बोदल, कोटली जांड, जौडा, झावन, हरसी पिंड, खुड्डा, छत्तरपुर, दिपुर, फतेहपुर, गोवाल, बेह बीडिया, चांगरवान, चामुही, हीर बेह, गल्लचक, शिंगरू, भादीरन, चान्ना, गुलाब सिंह वाला, चीमा, दराज, धर्मपुर, पाखोक, धीलवान पटियाला, सुखपुरा, तेजोक, रूरेकखुर्द, गुर्म, कोटदुन्ना, पंढेर, मानल, भुरे, बादरा, थुलेवा, थीकरीवाल, चक कला टिवा, शेरगढ रूहरियांवाली, शेरेवाला, जोधपुर, भागु, घुरियाना, मालुक्कपुर, धाबन कोकरिया, भावल बस्सी अट्टु वाला चक गरिबन संदर ढावखरियाल हजारराम सिह वाला, किरीयनवाला लामोचर कलां उत्तर, मोहर सिंह वाला पक्का कला वाला सुखेराबोधला सराय काटली अम्ब जाफर कोट कमीरपुर इसापुर हसंपुरा भुरेगिल कोटलाकजीयन कोटलीशाह हबीब दयालभट्टी मीरां कोट कलां नागंली मुरादपुरा अबादी दयानंद नगर लोहरका खुर्द, खप्पर खेरी अबादी सुन्दर नगर थंडे बाल गोनसाबाद छतीयाना चकगील्जेवाल कोट भाई कोटलीआबलू मालन शाहिब चन्द सोथा भंगचारी रानीवाला पक्कीटिबी रामनगर खुन्नकला करनीवाल काटोरे वाला दाने वाला खनेकीदाब अनियल बामियाल भाखरी चक अमीर गोहला खोजकी चक मुठी आबादी फुलपुर बेगोवाल फेतहपुर नक्की नांगल नांगल फरीदा सहोदाकला शरीफ चक शेखोपुर मंजीरी (118)
22.	राजस्थान	भीलवाडा, बुंदी, चुरू, धोलपुर, डुंगरपुर, जैसलमैर, जयपुर, जालोर (8)	बनेरा, सुवाना, रायपुर, नैनवा, तालेरा, सरदारशहर, तारानगर, धोलपुर, राजा खेरा, सगवारा, सीमालवारा, सम, सांकरा, चाकसु, फागी, वीराटनगर, सनचोर, रानीवारा (18)	बबराना, बारन, बेरन, चमनपुरा, दाबला, कुंदीया, कलां, रक्षी, सलरिया कलां, सरदारनगर, उपरेदा, अतुन, भोपालगढ़, दारीबा, गुंदली, गुरला, महुवा कलां, रामपुरीया, संगवा, सुवाणा, स्वरूपगंज, असहोली, बागार, बीनता, बोरियापुरा, झारोल, खेमाना, नारायण खेरा, पिथा, रायपुर, थाला, बछोला, दे, गुरहा सदावर्तीयन, जैतपुर, करवार, खानपुरा, मनी, मरन, राजलवाता, तलवास अकतासा बाजाद बुधपुरा दाबी दोरा जाखमुंद लादपुर लक्ष्मीपुरा लीलेद ब्यासन राजपुरा अजीतसर भोजसर उपाधीयान बोघेरा जैतसीसर कल्याणपुरा पुरोहितान कीकसर खीनवानसर मेलूसर फोगा भारधारी रूपलीसर अलायला बैन भालेरी धीरवास बारा गजोवास केलवास रेतुंडा रेदी सहवा सरायन बीपारपुर बोथपुरा करीमपुर कोकरा माकरा कुरेंधा मलोनी पनवार नागला खारपुर नीधेरा कलां पचगांव सेपउ बाजना बासै घीयाराम बासै करे जटोली कसीमपुर खेरली

				मंगरोल नगर सादापुर सीकरोदा बारबुदानिया भीलोरा देंचा, दीबरा छोटा, हदमाला, केहला, ओड, परवा, पीपलागंज, वगरी, बाबा की बार, बांसीया, बाओरी, छातनगर, फतेहगढ़, हबुर, कपुरीया, खुहरी, लूनार, सम, सीपाला, बलाद, बाराथ का गांव, भानीयाना, दंतल, केलवा, खेतोली, लाठी, नेरन, पानासर, राजमाठी, अरनै, दामाना, दंता, धंता, हरियाली, करोला, खारा, नैनोल, पामना, सुरावा, अजोदर, अखरद, जखादी, जलेरा खुर्द, जोरवास, कोरका, कुरा, रतनपुर, रोपसी, सिलासन, गारोदवासी, झापडा कलां, कडेरा, कठावाला, कुमहारीयवास, महादेवपुरा, मन्दालीया, नीमोडीया, रूपहेरी खुर्द बापुगांव, सावै, मधोसिंहपुरा, चित्तौरा, दाबीच, दीदावाता, हरसुलीया, कनसेल, किशोरपुरा, लादाना, लासरीया, पीपला, फागी, बाडोडिया, बागावास, अहीरन, भामोद, भानखरी, छीतोली, जाज कलां, जोधपुरा, पोरावाला, रामपुरा, तुलसीपुरा (180)
23.	सिक्किम	इस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम (2)	पकयोंग, रेगु, नामची, तेमी तारकु (4)	अहो यांगतान, कारतोक नमचेबोंग, अरीतर, दालापचन, अस्संगठांग, मनीराम, बेन नमपरीक, तेमी (8)
24.	तमिलनाडु	कोमबटोर, इरोद, पेरामबलूर, पुदुकोटटी, तिरूवाल्लू, वेल्लोर, सिवागांगी, विरूद्धनगर, (8)	पोलंची साउथ, किंठुकादावु, सुल्तानपट, अलंगायम, थिमरी, थिरपत्तूर, कादमबाडर, वीलिवाकम, पोंदी, भवानीसागर, टी एन पलायम, कुदुमदी, अलाथुर, वेपुर, मनामुधरए एस पुडुर, कन्नगुडीर, वेमवकोटाई करियापटटी, राजापुलायम, थिरमयम, पोनामरावथी, विरालीमलाय, (23)	वीरालपथी, नाईकेनपलायम, गोमानगलम, अमवारमपलायम, गोमानगलमपुडुर, थीनकोमारपलायम, नलूर (एस) वाक्कमपलायम, जमीनकोट्टामपट्टी, थुनडामुथुर, पानापटटी, कवीलपलायम, अरासापलायम, कक्कादबु, मीटूपलायम, सीरूक्कलंडाई, सोलावंपलायम, देवरायपुरम, एण्डीपलायम, सोक्कानूर, कुमारपलायम, वारापटटी, सलाकेरिचल, वदावेदमपति, बोगमपति, सेन्चरीपुडुर, एस अयामपलायम, कमलपति, कलापलायम, पछापलायम, वीमालूलम, पूंगमपटूनाडु, गोबिन्दापुरम, गीरासामुदिरम, नीकन्नमलाय, अलायनाग्राम, मडानाचेरी, पुडुमाडु, पेथावेपमापटु, वीजीलापुरम, पाली, परियममंगल, मेलनायकनपलायम, सेंगानावरम, मंबकम्म, सोराग्रु, सेनासामुर्दम, दुर्गम, मझायुर, वीमबी, अनेरी, पुडुकोटय, कक्कमपलायम, आन्नदपटटी, कुरूमबकेरी, मिटुर, ए के मुटुर, थथांसवालासीई, कधिरामपट्टी, मदापल्ली, कोन्डांचेरी, पोलीवाक्कम, रामानकोइल, कोपुर, कादमबाथुर, वेल्लेरीथंगल, पुदुमावीलंगै, चित्राम्बक्कम, कील्लाचेरी, माप्पेदु, पालावेदु, अय्यपाक्कम, पाम्मधुकुलाम, अदायलामपटटु, वेलाचेरी, पोन्देश्वरम, अराक्कमबाक्कम, वेनागराम, करालापाक्कम, अलाथूर, कलवई, इरैयूर, टीबी पुरम, पेरूंजेरी, मय्यूर, रामालींगापुरम, इल्लापानैपेटटी, थिरूपेर, गोनीपलायम, नामपक्कम, देसीपलायम, करापदी, कवेलीपलायम, मथमपलायम, नल्लूर, नोचीक्कुटटै, पेरियाकल्लीप्पट्टी, पुन्गर, कोथामंगलम, पानायमपल्ली, अक्करैकोदीवेरय, अराक्कंकोटटै, कनक्कंपलायम, नंजयपुलींपटटी, ओदयागौंदेनपलायम, पेरूमुगई, पुल्लाप्पनैचेंपलायम, पुंजथुरायम पालायम, कोंदायमपलायम, कोंगरापलायम, अंजूर, अय्यमपलायम, अवुदेयापरै, एलूनूथीमंगलम, इचिपलायम, कोल्लाथुपलायम, कोंदालम, कोंगुदैयमपलायम, नंजयकोल्लानाली, वाल्लीपुरम, इलैंडापटटी, अधानूर, अयैनापुरम, नारानमंगालाम, इलैंडकुजी, मावेलांगै, कोलाथुर, पादालूपर, इरूर, किजामाथुर, पेराली, अदुथुरै, अंधुर, वादाक्कलूर, पैरम्मापलायम, किझुमाथूर, वारागूर, कुन्नाम, आसूर, सिंरूमाथुर, किलाप्पसालै, काटटीकुलाम, थांजाकुर, सन्नाथीपुधुकुलाम, पेरूंमचेरी, एम. करीसालकुलाम, वागुडी, कलकुरीची, थैरूक्कु, चांथानुर, सेक्लाथुर, कुलुथुपटटी, मानलुर, पीरनापटटी, पुलुथीपट्टी, कुन्नाथुर, के पुदुपटटी, मेलावान्नारीरूप्पु, उराथुपटटी, उलागामपटटी, मुसुंदापटटी, हुनमानथागुडी, कुदुवोर, थिरूप्पाक्कोटटी, पुथुरानी, कन्नानी, थाथनी, वेंगालोर, कंदीयूर, कन्ननगुडी, सिरूवाची, ए. लक्ष्मीयापुरम, अलांगुलम, गुगनपराइ, जेगावीरनपट्टी, कुन्डाईर्रपू, सेवालपट्टी, थुलुकांकुरीची, वेट्टरीलेयूरानी, सुब्रमण्यपुरम, एलायीरामपन्नाइ, वारालोट्टी, मुस्तकुरूची, पामपट्टी, काम्बीकुडी, वक्कानानकुंडू, मेलाकल्लनकुलम, अलगियानल्लूर, वी. नंगूर, मानथोपे, चेत्तीकुलम, जामीन नल्लामंगलम, अयांकोल्लानकोंडन, सुंदरनाचियापुरम, वेंगानल्लूर (द), मुहावूर, मीनाचीपुरम, गणपथी सुंदरनाचियापुरम, चत्रपति, चोलापुरम, सुंदराजापुरम, कन्नानूर, पुलिवालम, आरासमपट्टी, कुझीपिराय, मेलूर, नचांदूपट्टी, कुरूविकोन्डमपट्टी, रारापुरम, कोत्तूर, थुलेयानूर, मारावमदुरई, ओलीमंगलम, कोप्नापट्टी, कोन्नायपट्टी, कोन्नायमपट्टी,

				मेलामेलनिलाय, नगरपट्टी, नेल्लोर, वेदामपट्टी, चिरूकलम्बूर, लेचुमनमपट्टी, पेराम्बलूर, बुघाकुडी, विरालीमलाय, मीनावेली, केशवानूर, कुमारामंगलम, वदूदापट्टी, थेरावूर, पाकुडी(230)
25.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा(दो)	जिरानिया, हेजामरा, तेलियामुरा, काकराबान, किल्ला, माताबारी (छः)	ब्रिधानगर, दुर्गानगर, मध्य देबेन्द्रनगर, पश्चिम जिरानियाखला, पूर्ब देबेन्द्रनगर, पूर्ब नौगांव, राधाकिशोर नगर, राधापुर, सचिन्द्रनगर, उत्तर मजलीसपुर, सुरेन्द्रनगर, बडकथाती, पश्चिम चांदपुर, पश्चिम तामकारी, बालूरखंध, मेघीलबंध, दुमाराकारीदक, पूरबनागांव, रामशंकर, शंखोला, पश्चिम तेलियामुरा, मध्य क्रिशनपुर, दक्षिण क्रिशिनपुर, होवाईबाडी, हदराई, सरदूकरकरी, मोहारछार ए, चक्माघाट, उत्तरपुलीनपुर, पश्चिम होवाईबाडी, दक्षिण रानी (अ.उ.आ.), धुप्ताली (अ.उ.आ.), हद्रा, हुरीजला, इचाछारा, जमजूरी, मूरापाडा, पूर्ब तुलामूरा (अ.उ.आ.), सिलघाटी, उत्तर सिलघाटी (अ.उ.आ.), किल्ला, रैयाबाडी, काचीगंग, चोयघोरिया, पूर्व खुपीलोंग, कोवाइमुरा, दक्षिण बारामुडा, नोआबारी, उत्तर ब्रजेन्द्रनगर, दक्षिण ब्रजेन्द्रनगर, बाराभाया, दालसिन महारानी, गमरिया, खिलपाडा, महारानी, पूर्ब गोकुलपुर, सलगारा, तेपानिया, उत्तर कलाबान, उत्तर महारानी (60)
26.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ, कुशी नगर, इलाहाबाद, गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ जालौन, बांदा, चित्रकूट(18)	अहिरौला, महराजगंज, कोइल्सा, रामकोला, पदरौना, कैप्टनगंज, सोरांव, चाका, उरवा, इटियाठोक, बाभनजोत, कटराबाजार, पचपेडवा, श्रीदत्तगंज, दुबेपुर, दोस्तपुर, भदइया, चिरईगांव, हरहुआ, मीरगंज, भादपुरा, आलमपुर जाफराबाद, बहजोई, बिलारी, मुरादाबाद, बिलासपुर, शाहाबाद, अनूपशहर, अगौता, खुर्जा, मुरादनगर, गढ़ मुक्तेश्वर, मचरेठा, हरगांव, परसेन्दी, हिलौली, सिकन्दरपुर करण, औरस, मोहनलाल गंज, काकोरी, कोच, जालौन, तिन्दवारी, महुआ, कारवी, मानिकपुर(46)	कुसमहरा, विलारी, गाहजी, पकडी, कोतावली पुर, कोरी घातमपुर, इशाकपुर, सजनी, शाहूवाल असिलाई, शंभूपुर, भटौली, मुरीलपुर, अराजी जजमान जोत, महली देवरा जदीद, बैजुआपुर, गोवर्धनपुर, भीलम पुर, कैप्टनगंज, चौरसी, मोतीपुर, कोडिया, बेंघू किशुनदेव पट्टी, देउरपुर सराय, उसरकुदेवा, भवानीपट्टी, भदौरा, मोलनापुर, रामपुर, दशराजपट्टी, गाजीपुर, करम्हादीगुर पुर, केशवपुर, फरना, लाला चपरा, मोतीपकड, भथाही बुजुर्ग, तरकुलवा, परोर्हा, कुसुम्ही, अब्दुल चक इस्लाम, पिदारी, देवरिया बाबू, जंगल हनुमानगंज, गंगरानी, लमुहा केवल चपरा, सुखपुरा, नदाह, सरपताही बुजुर्ग, शहुआडीह, कल्यान छापर, जंगर नहरछपरा, साखोपर, पेमाली, पकडी, कुंडुर, गंगरई, बौलिया, मुंडेरा, कैप्टनगंज, बलुआ, सुधियानी, पदखोरी, गोहारी, सराय बहार, सहाजी पुर, सराय लाल खातून शिव गढ, पडरैया, राजा पुर मल्हुआ, गौरा, जालूपुर, मलक चतूरी, सिंगार पुर, दाभव, नीबी खुर्द, बालापुर, बारा मार, घोघा पुर, चंपत पुर, चाक पुरे खुर्द, भदारा, नेवादा समोगर, लवायन कला, चिलबिला, अकोधा, लेहादी, कंजौली, चौकठा तिवारियां, पट्टी नाथ राय, उपरौरा, बरवा, राम नगर, अमिलिया, बेलवा शुक्ला, करूआपाडा, सिघवा पुर, लखनी पुर, रमवापुर नायक, अर्जुनपुर, वीरडीहा, बेलवा बहुटा, बहेर कुनवा, ज्ञानपुर खडिहा, भावपुर, मुबारक पुर ग्रान्ट, इटावा खुर्द, बडहरा, बंगवा, धोदउपुर, पीपरा इस्माइल, गौरा बुजुर्ग, इजादी पुर, पीपरा बरखना, सेहरिया कला, सरैयां, नादनवा, बसभरिया, पीपरी मंझा, बाबूपुर, नाखा, चैपुरवा, मेहरबाना बाद, तेरी, धुबौलिया, बाथर, गुरचीहवा, भूसर उचवा, आदमतरा, लौखवा, मनकापुर, चोरसी, गौराभारी, बान्गर पीपरी, महमूद नगर, कपउवाशेरपुर, धोवाडाबर, बेलाई बुजुर्ग, बैभीत, बाभनपुरवा, धमौली, मुजेहना, अगाया बुजुर्ग, चंदनपुर, बैजापुर, रामापुर, बांसी, देहाली मुबारकपुर, कटकौली, बीबीगंज, लौहर पश्चिम, जैतापुर, कैंचिला कला, लौहर दक्षिण, मुस्तफा बडकला, सुखउपुर असरफपट्टी, बानी, सरिया मुस्तफा बाद, गोडई, इमलीगावां, पहाड पुर रायपट्टी, बम्हरौली, अर्जुनईपुर, कटरा चुंघुपुर, केनौरा, पीथीपुर, बेलसडा, करोमी, कुचमुच, अलीपुर, अभिया कला, उंचाहार, सरयाचल, महेसुवा, अल्लोपुर, तिलमापुर, सुल्तानपुर, ल्रास्ती, बरई, दीनापुर, सोनवरसा, मोकलपुर, सरैया बिश्नुपुरा, खालीसपुर, परमानन्दपुर, गणेश पुर, पलियाशंभूपुर, काकलपुर, लोडन, गुहुरा, औशन पुर, गोसाईपुर मोहावन, कोहासी, हरिबल्लभपुर, दिवना, पिपरियामुश्तकिल, पहुंचाबुजुर्गमुश्तकिल, सिमरिया, जुन्हाईमुश्तकिल, बालुपुरा, सिरोधीअंगदपुर, तिलमास, मोहम्मदगंजमुश्तकिल, नगरियाकल्याणपुर, पंनवडियाएलाकाजलालपुर, मरगापुरमरगैया, पहाडपुरउरभगवतीपुर, सुराजपुर परोरिया, ढिमरी, मटकापुर, करूआसाहबगंज, डबरी डबरा, अंबरपुर, गुलरियालेखराज, दरूआपुर, मजनूपुर, कनगांव, चाडपुर नवादिया, सिहुलिया, रसूला, नकतपुर, भोजपुर, बिलौरी, डिकोई, पगोना, फतेहपुर सरीफ नगर, बिसारू, मुलहेटा, बदरिया, चोपा, बहरोली

				ताहरपुर, मैथारा अल्लपुर, किरारी, भावन, देओरा खास, धरम पुर कुइयां, लखनेटा, कुढ फतेह नगर, नगीला जाट, मालेह पुर सिधारी, अटवा चेचेरी, मालेह पुर भवानी, धरम पुर रट्टा, अहलाद पुर खेन उर्फ रायपुर, सोनकपुर, उमरी, वकैनिया माफी, उत्तम पुर बहलाल पुर, बरबर माजरा, लोदीपुर राजपूत, मंगूपुरा, रसूलपुर, सुनवती, भेन्सिया, थीकरी, भाटपुरा तारन, बेदपुर, पिपलिया महतो, मुंडिया कलां, तहरी ख्वाजा, चंदयान, आहरो, जिठनिया जागीर, दलकी, सितौरा, मद्यान बुदेपुर, धौलसर, लोदीपुर, नबाबगंज, उदयपुर जागीर, रायपुर, डोहरिया, खंडेली, रेवना, मित्तरपुर, अहरेओला, किशनखेडा, करनपुर कलां, रूपवास, बग्सरा, हसनपुर बांगर, सलालमतपुर, खनोडा, बिबियाना, सुनाना, पहाडपुर, ततारपुर, अख्त्यारपुर, मीरपुर, अगौता, नीमचना, बगवाला, जासनवाली कलां, खेरी, ब्रारी, पवसरा, सनीता सफीपुर, धरारी, खुर्जा देहात, बिछत, असगरपुर, दस्तुरा, भगवानपुर, सिकरी, मैना कलन्द्रा गढी, अख्त्यारपुर, जलालपुर दिनढल, सरना मुराद नगर, मनौली, सिखैदा हजारी, रेवडी रेवडा, हुसैनपुर, नेकपुर साबितनगर, फिरोजपुर, पैंगा, बडका आरिफपुर, लहदरा, धाना, चित्तौडा महिउद्दीनपुर, धोलपुर, सदुल्लापुर लोदी, चंडेनर, बागडपुर, करीमपुर, सलारपुर, डहरा, हंस खेडा, गुजरेहटा, अनोगी, सिसेन्डी, बिजुबमउ, फतेह नगर, गढी, बरसंधिया, मिर्जापुर उत्तरी, मिर्जापुर दक्षिणी, केउटी कलां, कटेसर, बडखेडवा, वजीरपुर, सेमरी भान, रीछीन, गुरधापा, मदनापुर, बरियाडीह, निगोहन, उदनापुर कलां, मीरनगर, नरसोही, मिसेपुर, मोहरैया कला, कैमहरा वजीरपुर, खदनिया, गौरिया कलां, शाहपुर डलावल, चांदपुर, मरदन पुर, बरधा, अहेसा, बरवा कलां, बहवा, गजौली, खानपुर, नारी चक, महरानी खेडा, मुसंडी, करौंदी, अनूप पुर, बडियान खेडा, भैसई कोयल, रानीपुर, विभौरा चन्दन पुर, टिकरी गणेश, रावत पुर, मवइया माफी, छरिहा, अलीपुर मिचलौला, लाहरू टिकरा बाओ, समद, टिकरा समद, मैनी भावखेडा, कबरोयी, रामपुर खंझडी, बहादुरपुर खंझडी, सीमायू, दयाल पुर, बिन्दौवा, गढी महदौली, दहियार, पारसपुर ठट्टहा, बालसिंह खेडा, समसी, सालसामउ हिलगी, हसनपुर कनेरी, निगोहा, महिपतमउ, सैफलपुर, जेहटा, सरौसा भरौसा, अमेथ्या सलेमपुर, सलेमपुर पतौरा, सरायप्रेम राज, कुसमौरा हलुआ पुर, सैठा, पहिया आजमपुर, आंडा, पहाड गांव, पनयारा, भरसुंडा, गुमवली, बिरगावान बुजुर्ग, सामी, कैथी, कुंडा, जमरेही खुर्द, मकरंद पुरा, धनौरा कलां, नागरी, कुशमारा, मोहन पुर कुदरी, सारंग पुर, गधेला, हरकौटी, उडा मल्लू, अलई पुरा, भुजरख, बंबिया, लौमर, सिंधौली, अत्राहट, बरेरी कला, चिरहुटा, तराही माफी, गोधनी, घोखढिया, रहुसत, नायी, खरौच, मनीपुर, बदेहा श्योधा, बरूवा स्पोथा, प्रेम पुर, दुर्गापुर, बचेही, अनधुवा, गाधीघाट, रमायापुर, बैहर, हरिहरपुर, कादर गंज, इटखारी, खुटहा, भंभाई, बारामाफी, भागनपुर, बंभिया, देवकली, बघौरा, नागर, अरवारा, कोटा कंडैला, बगदारी, नीही, रायपुरा, इटवा दुदैला(460)
27.	उत्तराखण्ड	पौड़ी, देहरादून, पिथोरागढ, अल्मोड़ा (चार)	पौड़ी, खीरसु, एकेश्वर, चकराता, विकास नगर, मुनसीयारी, दीदीहाट, भिकियासेन, द्वाराहाट, धौलादेवी(10)	आयाल, धनाउ मल्ला, बी धंडारी, बौंसारी, उज्यादी, नानकोट, गुमाई, गढ का मारगांव, बादा, क्यार्क, कोथगी, मारखोडा, गजेली, सुमादी, जलेठा, स्वीट, धारीगांव, बदेशु, मिंदनगांव, कोलथा, डयुल्ड, विनजोली, सांगलाकोटी, मटचौरी, मालेथी, नौगांव, मथाना, गोर्ली, पाथार, वाथोली, माह्सक, रजानू, बेहमू, पैनवा, बुल्हड, खरोदा, जादी, कुनवा, अटल, मुंढोल, ढकरानी, बावन धार, फतेहपुर, जामन खाता, माजरी, काता पाथार, मातोगी, बाबूगढ, बरागीवाला, सभावाला, बजेटा, धामीगांव, कुइरी, रिंगु, खसियाबाडा, कोटियूरा, मानीटुंडी, रिंगोनिया, चौना भादेली, रूइस्पाता, लख्तीगांव, दूनाकोट, सितौली, दूरलेख, जखघौलेत, कंदमन सिंह, लेपार्थी, नानपापो, माला झूला, सात्याल गांव, पीपल गांव, इंदा, मायोली, बाजन, सिंगोली, बुधाली, पालीथोली, उगालिया, नैकाना, खडक, सुतार गांव, नौलाकोट, टोडारा, कुई, कुलसिवी, रावादी, इदा सेरा, छना, बावन, सकुनी, खोला, मादाम, मानी अगर, कोथुलीगुंठ, गुरदाबाज, दुनार्थ, नौगांव, चौन डुंगरी, फल्टीया, कुंजा गुन्ठ(100)

28.	पश्चिम बंगाल	बर्धमान, मुर्शीदाबाद, दक्षिण 24 परगना, बांकुरा, जलपाईगुडी(पांच)	सरेंगा, सिमलापल, हिराबन्ध, भंगोर-I, नामखाना, बरूईपुर, बर्धमान-I, जमूरिया, कटवा-II, कलचीनी, धुपगुडी, नागराकाता, सुती-I, रघुनाथगंज-II, बेलदंगा-I (15)	बिक्रमपुर, दुबराजपुर, लक्ष्मीसागर, माचातोरा, मंडलग्राम, परसोला, सिमलापल, बिक्रमपुर, चिलतोड, गरगरिया, गोलबाडी, नेतरपुर, सारेंगा, बाहरामुडी, गोपालपुर, हीराबंध, मालियान, मोसीआरा, बाघड-I, बाघड-II, बंदुल-I, बेलकास, क्षेतिया, कुरमुन-I, रायन-I, रायन-II, सरैतीकर, बहादुरपुर, चिनचौरिया, चुरूलिया, दोबराना, हिजालगडा, केन्दा, मदनतोर, परसिया, श्यामला, तपसी, अग्राद्वीप, गाजीपुर, जगदनन्दपुर, करूई, पलसोना, सिंगी, श्रीबाती, मलांगी, कालचीनी, चौपाडा, दलसिंगपाडा, गारोपाडा, जयगांव I, लताबाडी, मेन्दाबाडी, राजभातखौवा, सताली, बानारहाट I, बानारहाट-II, बिन्नागुडी, चामुर्ची, गादोंग I, गादोंग II, झारालताग्राम II, मागुरमारी II, सकोआझोरा I, सलबाडी I, अंग्रभाषा-I, अंग्रभाषा-II, चंपागुडी, लुकसान, सुल्कापाडा, अहिरान, बहुताली, बांसाबाटी, हरूआ, नूरपुर, सादिकपुर, बरासीमुल-दयारामपुर, गिरिया, जोतकमल, कासियादंगा, लक्ष्मीजोला, मितीपुर, सम्मातीनगर, सेकालीपुर, सेकेंदरा, तेघाडी-I, भाबटा-I, मद्दा, देबकुंडु, चैतन्यपुर I, चैतन्यपुर II, मिर्जापुर I, मिर्जापुर II, मोहुला I, मोहुला II, बोदरा, चंदनेश्वर-I, चंदनेश्वर-II, दुर्गापुर, जुगुलगाछी, नारायणपुर, प्राणगंज, शंकशहर, तारदाह, बुधाखली, फ्रेजरगंज, हरीपुर, मौसुनी, नामखाना, शिबरामपुर, नारायणपुर, हरदाह, शंकरपुर I, बेलगाची, चंपाहाटी, धापधापी II, हरिहरपुर, मल्लीकपुर, रामनगर I, रामनगर II, शिखरबाली II (120)
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	उत्तर एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान (दो)	छोटा अंडमान, प्रोथरापुर, रंगत, दीगलीपुर (चार)	हट बे, नेताजी नगर, राम कृष्णापुर, श्याम नगर, गरचर्मा-I, गोविंद नगर, दशरथपुर, लॉग आईलैंड, परनासाला, किशोरीनगर, कालीघाट, दीगलीपुर, निलांबर, आर.के. ग्राम(14)
30.	दादर एवं नागर हवेली	दादर एवं नागर हवेली (एक)	दादर एवं नागर हवेली (एक)	कला, चौडा, बेसादा, खेदापा, वांसदा, नारोली, बोंटा, साम्रवार्नी, राखोली, सयाली (10)
31.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप (एक)	कावारत्ती, अगात्ती, अमीनी(तीन)	कावारत्ती, अगात्ती, अमीनी(तीन)
32.	पुडुचेरी	पुडुचेरी, करायकल (दो)	आरियानकुप्पम, विल्लीयानूर, करायकल (तीन)	आंडियारपलायम, आरियानकुप्पम पश्चिम, बाहौर (पूर्व), अबिषेगापक्कम, करायमपुथुर, पनयादीकुप्पम, मानामेदु, नेत्तापक्कम, कलमंडपम पंडासोझानल्लूर, सेम्बियापलायम-I नाथमेदु, सूरामंगलम, कालीथेरथल कूप्पम, कत्तेरीकूप्पम, मडगडीपेट, ओडियामपेट, संथाईपुडुकूप्पम, संथमंगलम, सेद्रापेट, सुथुकेनी, थीरूक्कन्नूर, थीरूवंडारकोइल, अंबगरथूर, कीझाइयूर, मेलाकासाकुडी, नेरावी (पूर्व), पेट्टाई, सेल्लूर, थीरूनल्लर (उत्तर), थीरूनल्लर (दक्षिण), पोनबेथी, कुरूम्बाग्राम (30)

अनुबन्ध-3क
वार्षिक योजना/विकास योजना

(पैरागाफ 3.2 के संदर्भ में)

दस्तावेजित वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई या अपूर्ण थी		ग्रा.स. स्तर पर बैठकें नहीं की गई		जिला वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी		ब्लाक-वार परियोजनाओं की शेल्फ तैयार नहीं की गई थी		सृजित श्रमदिवस इंगित नहीं किये गए थे		प्रत्येक योजना की पूर्ण लागत इंगित नहीं की गई थी	
राज्य	ग्रा.प.	राज्य/सं.शा.क्षे.	ग्रा.प.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला	राज्य	ग्रा.प.	राज्य/सं.शा.क्षे.	ग्रा.प.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिला
आन्ध्र प्रदेश	150	कर्नाटक	128	आन्ध्र प्रदेश	5	अरूणाचल प्रदेश	4	आन्ध्र प्रदेश	4	असम	3
अरूणाचल प्रदेश	43	पंजाब	17	अरूणाचल प्रदेश	4	गोवा	2	असम	3	हरियाणा	2
गोवा	14	पश्चिम बंगाल	83	असम	1	गुजरात	6	बिहार	15	नागालैण्ड	3
गुजरात	150	लक्षद्वीप	3	गोवा	2	केरल	4	हरियाणा	2	पंजाब	3
झारखण्ड	167			गुजरात	6	पंजाब	1	झारखण्ड	6	तमिलनाडु	1
महाराष्ट्र	240			सिक्किम	2	तमिलनाडु	2	कर्नाटक	3		
मेघालय	89			तमिलनाडु	7	उत्तर प्रदेश	14	मध्य प्रदेश	9		
नागालैण्ड	54			उत्तर प्रदेश	18	पश्चिम बंगाल	5	ओडिशा	8		
पंजाब	56			पश्चिम बंगाल	3	दादरा एवं नागर हवेली	1	तमिलनाडु	6		
सिक्किम	8			दादरा एवं नागर हवेली	1	पुडुचेरी	2	पुडुचेरी	2		
तमिलनाडु	200										
पुडुचेरी	30										
12	**1201**	**4**	**231**	**10**	**9**	**10**	**41**	**10**	**58**	**5**	**12**

अनुबन्ध-3ख
वार्षिक योजना/विकास योजना

(पैरागाफ 3.2 के संदर्भ में)

जिला योजना में परिणामों को नहीं दिया गया		योजना में क्रॉप पैट्रन डाटा का प्रयोग नहीं किया गया था		जिला योजना ने ग्राम सभा द्वारा निष्पादित 50 प्रतिशत निर्माण कार्यो को सुनिश्चित नहीं किया		विशिष्ट कार्यकोड योजना में निर्माण कार्यो को आबंटथ्त नहीं किया गया था	
राज्य	जिला	राज्य	जिला	राज्य	जिला	राज्य	जिला
आन्ध्र प्रदेश	4	असम	6	बिहार	1	असम	8
असम	3	बिहार	15	हरियाणा	6	बिहार	15
बिहार	15	झारखण्ड	6	महाराष्ट्र	2	झारखण्ड	5
हरियाणा	6	केरल	3	पंजाब	1	केरल	4
झारखण्ड	6	महाराष्ट्र	9			महाराष्ट्र	9
कर्नाटक	8	नागालैण्ड	3			मिजोरम	2
केरल	2	राजस्थान	2			नागालैण्ड	3
मध्य प्रदेश	9	उत्तर प्रदेश	18			राजस्थान	1
नागालैण्ड	3	पश्चिम बंगाल	5			तमिलनाडु	6
ओडिशा	8					उत्तराखण्ड	4
राजस्थान	1					लक्षद्वीप	1
उत्तर प्रदेश	18						
उत्तराखण्ड	4						
13	**87**	**9**	**67**	**4**	**10**	**11**	**58**

अनुबन्ध 3ग(i)
ग्रा.पं. स्तर पर वार्षिक योजना/विकास योजना तैयार करने में विलम्ब

(पैरागाफ 3.2.8 के संदर्भ मे)

क्र.सं.	राज्य जहां वार्षिक योजना तैयार करने में विलम्ब पाये गये	ग्रा.पं. की संख्या	15 अक्तूबर की निर्धारित तिथि के संबंध में विलम्ब (महिनों में
1.	असम	14	2 से 6
2.	बिहार	250	योजना बिना तिथि के थी
3.	छत्तीसगढ़	140	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये
4.	हिमाचल प्रदेश	90	तैयार करने की तिथियां नहीं दी गइ थी
5.	झारखण्ड	167	तैयार करने की तिथियां नहीं दी गइ थी
6.	कर्नाटक	157	तैयार करने की तिथियां प्रस्तुत नहीं की गई थी
7.	केरल	13	1.5से 4
8.	मध्य प्रदेश	56	1 से 21
9.	महाराष्ट्र	240	योजना में तिथियां दज नहीं की गई थी
10.	ओडिशा	200	योजना में तिथियां दज नहीं की गई थी
11.	त्रिपुरा	60	1 से 10
12.	उत्तर प्रदेश	140	योजनाओं का अदिनांकित प्रस्तुतीकरण
		54	4 से 12
		266	तिथि उपलब्ध नहीं थी
13.	उत्तराखण्ड	100	तिथियां दज नहीं की गई थी

अनुबन्ध-3ग(ii)

ग्रा.पं. स्तर पर वार्षिक योजना/विकास योजना तैयार करने में विलम्ब

(पैरागाफ 3.2.8 के संदर्भ मे)

क्र.सं.	राज्य जहां वार्षिकयोजना तैयार करने में विलम्ब पाये गये थे	ब्लाक	30 नवम्बर की निधारित तिथि के संबंध में विलम्ब (महीनों में)
1.	असम	4	2 से 8
2.	बिहार	54	बिना तिथि के योजना
3.	छत्तीसगढ़		अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे
4.	गोवा	4	कोई योजना नहीं केवल ग्रामीण बजट
5.	हिमाचल प्रदेश	9	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे
6.	झारखण्ड	1	5 से 12
7.	कर्नाटक	16	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे
8.	केरल	13	वास्तविक तिथियां उपलब्ध नहीं थी
9.	मध्य प्रदेश	10	1 से 11
10.	महाराष्ट्र	24	तिथियां दर्ज नहीं की गई थी
11.	नागालैण्ड	7	2 से 4 माह
12.	ओडिशा		तिथियां उपलब्ध नहीं थी
13.	पंजाब	2	3
14.	त्रिपुरा	6	3 से 7
15.	उत्तर प्रदेश	10	अदिनांकित योजना
		7	1 से 9
		29	तिथियां उपलब्ध नहीं थी
16.	उत्तराखण्ड	10	1 से 4

अनुबन्ध-3ग(iii)
जिला स्तर पर वार्षिक योजना/विकास योजना तैयार करने में विलम्ब

(पैरागाफ 3.2.8 के संदर्भ में)

क्र.स.	राज्य जहां वार्षिकयोजना तैयार करने में विलम्ब पाये गये थे	जिलों की संख्या	31 दिसम्बर की निधारित तिथि के संबंध में विलम्ब (महीनों में)
1.	असम	1	5
2.	बिहार	8	12
3.	छत्तीसगढ़		अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गये थे
4.	हिमाचल प्रदेश	4	तिथियां प्रस्तुत नहीं की गई थी
5.	झारखण्ड	2	4 से 9
6.	कर्नाटक	8	तिथियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी
7.	केरल	1	2.5
8.	मध्य प्रदेश	7	1 से 11
9.	नागालैण्ड	3	2 से 8
10.	ओडिशा		उ.न.
11.	राजस्थान	8	0.3 से 5.5
12.	त्रिपुरा	2	3 से 5
13.	उत्तराखण्ड	4	3 से 6

अनुबन्ध-3ग (iv)
ग्रामीण बजट तैयार करने में विलम्ब

(पैरागाफ 3.2.8 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य जहां ग्रामीण बजट तैयार करने में विलम्ब पाये गये	31 जनवरी की निर्धारित तिथि के संबंध में विलम्ब (महीनों में)
1.	बिहार	2 से 6
2.	गोवा	2 से 10
3.	गुजरात	लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे
4.	कर्नाटक	लेखापरीक्षा को तिथियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी
5.	केरल	1 से 2
6.	राजस्थान	0.3 से 5.5
7.	त्रिपुरा	2 से 4
8.	उत्तर प्रदेश	0.7 से 2.5
9.	उत्तराखण्ड	1 से 2.8
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3 से 9

अनुबंध-3घ
वार्षिक योजना के बाहर निर्माण कार्यों का निष्पादन

(पैराग्राफ 3.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य जहां वार्षिक योजना के बाहर निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया	जिलों की संख्या	निर्माण कार्यों कीसंख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	असम	2	97	401.81
2.	बिहार	6	144	376.25
3.	छत्तीसगढ़	2	34	443.00
4.	हिमाचल प्रदेश	4	3,859	9,727.24
5.	झारखण्ड	4	58	2,244.24
6.	राजस्थान	3	474	2,426.98
7.	उत्तराखण्ड	3	94	89.94
8.	पश्चिम बंगाल	1	147	174.06
योग		**25**	**4,907**	**15,883.52**

अनुबंध-3ङ
वार्षिक योजनाओं का अप्रभावी निष्पादन

(पैराग्राफ 3.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना में अनुमोदित निर्माण कार्य		संस्वीकृत निर्माण कार्य		पूर्ण निर्माण कार्य	
		सं.	राशि (₹करोड़ में)	सं.	राशि (₹करोड़ में)	सं.	राशि (₹करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	55,83,401	51,086.07	55,83,401	51,086.07	19,32,414	12,225.38
2.	असम	2,32,535	10,516.17	89,345	3,451.47	65,945	2,914.11
3.	छत्तीसगढ़	4,75,521	7,732.28	4,25,136	4,799.07	2,34,289	2,404.51
4.	गोवा	3,003	31.05	3,003	31.05	1,296	15.25
5.	हरियाणा	25,179	242.07	21,900	292.21	12,371	272.02
6.	कर्नाटक	17,42,186	650.94	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	4,71,633	332.84
7.	केरल	6,38,152	3,681.70	5,60,954	3,647.59	4,03,076	2,188.18
8.	मध्य प्रदेश	9,24,305	12,176.89	99,634	1,915.12	39,294	396.72
9.	मेघालय	46,024	922.66	46,024	922.66	27,756	553.32
10.	राजस्थान	19,06,786	24,235.51	1,56,859	10,805.96	53,908	1,464.17
11.	त्रिपुरा	34,929	344.40	11,584	100.72	11,511	98.56
12.	उत्तर प्रदेश	9,71,061	10,430.29	6,56,808	5,916.73	4,69,767	3,948.57
13.	उत्तराखण्ड	1,79,904	1,766.79	1,52,292	825.14	1,00,631	438.01
14.	पश्चिम बंगाल	1,56,419	3,102.54	48,416	654.74	41,232	539.69
15.	लक्षद्वीप	2,562	41.75	253	16.40	11	0.80
योग		**1,29,21,967**	**1,26,961.11**	**78,55,609**	**84,464.93**	**38,65,134 (30 *प्रतिशत*)**	**27,792.13 (22 *प्रतिशत*)**

अनुबंध-3च
जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य जहां जि.प.यो. नहीं बनाई गई	जिला	प्राप्त राशि (₹ लाख में)	जि.प.यो. तैयार करने में किया गया व्यय (₹ लाख में)	अप्रयुक्त राशि (₹ लाख में)
1.	असम	2	20	9.80	10.20
2.	बिहार	7	70	9.20	60.80
3.	छत्तीसगढ़	5	50	2.17	47.83
4.	गुजरात	1	10	5.26	4.74
5.	हरियाणा	2	20	5.39	14.61
6.	हिमाचल प्रदेश	4	40	0	40.00
7.	जम्मू एवं कश्मीर	3	30	3	27.00
8.	झारखण्ड	6	60	4.70	55.30
9.	कर्नाटक	8	80	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं
10.	मध्य प्रदेश	5	40	22.06	17.94
11.	महाराष्ट्र	8	50	13.79	36.21
12.	मणिपुर	1	10	0	10.00
13.	मेघालय	1	10	0	10.00
14.	पंजाब	3	30	8.21	21.79
15.	राजस्थान	6	60	0	60.00
16.	तमिलनाडु	7	70	0	70.00
17.	उत्तर प्रदेश	10	70	6.52	63.48
18.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	20	0	20.00
19.	लक्षद्वीप	1	10	4.49	5.51
20.	पुडुचेरी	2	10	0	10.00
योग		**84**	**760**	**94.59**	**585.41**

अनुबंध-3छ
जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

क्र. सं.	जि.प.यो. तैयार की गई किन्तु रा.रो.गा.प. द्वारा अनुमोदित नहीं की गई	जिलों की संख्या	प्राप्त राशि (₹ लाख में)	जि.प.यो. तैयार करने में किया गया व्यय (₹ लाख में)	अप्रयुक्त राशि (₹ लाख में)
1.	असम	6	60	49.52	10.48
2.	बिहार	2	20	15.33	4.67
3.	गुजरात	3	30	24.48	5.52
4.	हरियाणा	4	20	7.47	12.53
5.	केरल	3	30	26	4.00
6.	मध्य प्रदेश	8	30	8.07	21.93
7.	महाराष्ट्र	1	डाटा उपलब्ध नहीं	5.08	डाटा उपलब्ध नहीं
8.	मणिपुर	3	30	32.45	-2.45
9.	पंजाब	3	30	4.95	25.05
10.	राजस्थान	1	10	3.02	6.98
11.	त्रिपुरा	3	30	8.20	21.80
12.	उत्तराखण्ड	4	40	22.19	17.81
13.	पश्चिम बंगाल	1	10	7.12	2.88
योग		**42**	**340**	**213.88**	**133.65**

अनुबंध-4क
राज्य नियमावलियों को सूचित करने में विलम्ब
(पैराग्राफ 4.2 के संदर्भ में)

क्र.स.	राज्य	राज्य नियमावलियों के विधान की पेय तिथि	राज्य नियमावलियों के विधान की तिथि	नियमावलियों के विधान में विलम्ब
1.	अरूणाचल प्रदेश	फरवरी, 2007	मार्च 2011	चार वर्षों से अधिक
2.	हिमाचल प्रदेश	फरवरी, 2007	दिसम्बर 2009	एक वर्ष से अधिक
3.	केरल	फरवरी, 2007	जुलाई 2009	2 वर्ष
4.	मिजोरम	फरवरी, 2007	सितम्बर 2007	7 माह
5.	सिक्किम	फरवरी, 2007	नवम्बर 2010	3 वर्षों से अधिक

अनुबंध-4ख
तकनीकी सहायता में कमियां
(पैरा 4.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. के नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल की स्थिति)
1.	अरूणाचल प्रदेश	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
2.	असम	नमूना परीक्षित जिलों कचर एवं कामरूप (ग्रामीण) में जुलाई 2009 से 2009 के दौरान क्रमशः 58 तथा 124 (सिविल अभियांत्रिकी डिप्लोमा धारी) मान्यता प्राप्त अभियंता संलग्न थे और तदंतर अप्रैल 2010 से उनकी सेवा से छंटनी कर दी गयी थी क्योंकि उनके पास नियत कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं था जो उनके परिश्रमिक के प्रति क्रमशः ₹ 15.62 लाख और ₹ 29.80 लाख के निष्फल व्यय में परिणत हुई थी।
3.	बिहार	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
4.	गुजरात	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
5.	हरियाणा	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
6.	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
7.	झारखण्ड	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
8.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल का गठन नहीं किया था। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा सृजित अभियंताओं के पदों के 82 से 97 प्रतिशत मार्च 2012 तक रिक्त पड़े रहे।
9.	महाराष्ट्र	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
10.	मणिपुर	मान्यता प्राप्त अभियंताओं का पैनल गठित नहीं हुआ था। जि.ग्रा.वि.अ. अभियंताओं की सेवाएं मनरेगस निर्माण-कार्यों के लिए उपयोग की गयी थीं। राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर तकनीकी सहायता स्टाफ सभी चार चयनित जिलों में तैनात किया था, जिसे जि.का.स. द्वारा तमेंगलोंग एवं थौबल जिलों में अपर्याप्त बताये गये थे।
11.	मेघालय	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।
12.	मिजोरम	राज्य सरकार ने दो नमूना परीक्षित जिलों और उनके अंतर्गत आठ ब्लॉकों में निर्माण अनुमान तथा निर्माण-कार्य को मापने में सहयोग के प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल का गठन नहीं किया था।
13.	नागालैण्ड	तीन नमूना परीक्षित जि.का.स. तथा ब्लॉकों में मान्यता प्राप्त अभियंताओं का पैनल गठित नहीं किया गया था। केवल जि.का.स./ब्लॉक कार्यालय में नियुक्त नियमित अभियंताओं को निर्माण के अनुमान और निर्माण कार्यों को मापने में लगाया गया था।
14.	ओडिशा	राज्य सरकार ने अधिकृत अभियन्ताओं के पैनल की स्थापना नहीं की।

क्र. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. के नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल की स्थिति)
15.	राजस्थान	तीन नमूना परीक्षित जिलों अर्थात, भीलवाड़ा, चुरू तथा धोलपुर में मान्यता प्राप्त अभियंताओं का पैनल गठित नहीं हुआ था।
16.	त्रिपुरा	जिला एवं प्रखंड स्तर पर मान्यता प्राप्त अभियंताओं के पैनल गठित नहीं हुए थे। ग्रामीण विभाग के अभियंताओं की सेवाएं उपयोग में लायी गयी थीं।
17.	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार ने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मान्यता-प्राप्त अभियंताओं के पैनल गठित नहीं किये।

अनुबंध-4ग
नियोजन, रूपांकन, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी सहायता
(पैराग्राफ 4.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य/ सं.शा.क्षे. के नाम	अभ्युक्तियां
1.	असम	तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं हुई थी। यह भी देखा गया था कि प्रयोजन के लिए प्राप्त की गयी ₹ 32.70 लाख की राशि में से ₹ 12.28 लाख स्टेशनरी वस्तुओं की खरीद, वाहनों को किराये पर लेने, यात्रा भत्तों के भुगतान एवं असमी दीवार कैलेण्डर के मुद्रण आदि के लिए आयुक्तालय द्वारा प्रयोग किया गया था जो अनियमित एवं अप्राधिकृत व्यय में परिणित हुआ।
2.	बिहार	राज्य सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर किसी तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं किया था।
3.	हरियाणा	राज्य सरकार ने राज्य /जिला स्तर पर किसी तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं किया था।
4.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने राज्य तथा जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली नियुक्त नहीं किया था।
5.	महाराष्ट्र	तीन जिलों अर्थात, अहमदनगर, भण्डारा और नांदेड़ में तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली मौजूद नहीं थी।
6.	मेघालय	राज्य सरकार ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं की थी।
7.	मिजोरम	राज्य सरकार ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं की थी।
8.	नागालैण्ड	राज्य सरकार ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली गठित नहीं की थी।
9.	सिक्किम	तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली का गठन नहीं हुआ था। राज्य गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा तकनीकी सहायता समिति ने तकनीकी सहयोग एवं पर्यवेक्षण के अभाव के कारण निर्माण की असंतोषजनक गुणवत्ता भी दर्ज की (जून 2011)
10.	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए कदम नहीं उठाया था। तथापि, राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधीन तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (त.ले.प.प्र.) के अभियंताओं की सेवाएं लीं और जनवरी 2011 से लेकर मार्च 2012 तक की अवधि के लिए उनके वेतन और भत्ते हेतु, वाहन आदि पर व्यय को छोड़कर मनरेगस के प्रशासनिक व्यय से भा.स. के आदेशों के उल्लंघन में, ₹ 2.04 करोड़ का भुगतान किया था। आगे यह भी देखा गया कि त.ले.प.प्र. के अभियंताओं का बल केवल 20 था और वे ग्रामीण विकास विभाग के मंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में नियुक्त थे। इनमें से, पांच अभियंताओं के पास मंडलों के दौहरे प्रभार थे। त.ले.प.प्र. के 72 जिलों के लिए संलग्न बीस अभियंता पर्याप्त नहीं थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि भा.स. ने तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए प्रथम भाग के रूप में रू. 54.20 लाख जारी किया (2008) परन्तु राज्य स्तर पर यह राशि बैंक खातों में अव्ययित पड़ी रही।
11.	पश्चिम बंगाल	तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली राज्य एवं जिला स्तरों पर गठित नहीं की गयी थी। प्रत्येक स्तर पर मौजूदा स्टाफ में से तकनीकी व्यक्तियों ने अनुमान बनाने और निर्माण-कार्य को मापने में सहयोग किया।

अनुबंध-4घ
तकनीकी सहायक
(पैराग्राफ 4.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,478 तकनीकी सहायकों की आवश्कयता के प्रति 217 की कमी थी।
2.	अरूणाचल प्रदेश	जि.ग्रा.वि.अ. स्टाफ तकनीकी सहायकों के रूप में कार्य कर रहे थे। पूर्ण-कालिक नियमित तकनीकी सहायकों को संलग्न नहीं किया गया था।
3.	बिहार	2,218 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति 925 (41 प्रतिशत) की कमी थी।
4.	छत्तीसगढ़	1,168 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति 466 की कमी थी।
5.	गुजरात	राज्य स्तर पर तकनीकी सहायक की कमी थी (54 प्रतिशत)। जिलों के लिए, कमी आठ प्रतिशत (दाहोद) तथा 70 प्रतिश्त (अहमदाबाद) के बीच थी।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	यहां 69 प्रतिशत तकनीकी सहायकों की कमी थी।
7.	मध्य प्रदेश	राज्य में अभियंताओं के 2,817 संस्वीकृत पदों के प्रति, केवल 1,447 अभियंता (51 प्रतिशत) ही राज्य के 23,336 ग्रा.पं. को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किये गयेथे। अतः औसतन, प्रत्येक अभियंता को मनरेगस निर्माण-कार्यों को निष्पादित करने के लिए 16 ग्रा.पं. का पर्यवेक्षण करना पड़ रहा था।
8.	महाराष्ट्र	कनिष्ठ अभियंताओं को 240 नमूना परीक्षित पंचायतों के 10 से 15 ग्रा.पं. के चयनित समूह के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अतिरिक्त प्रभार दिये गये थे। बुल्डाना जिले में 18 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति चार की कमी थी।
9.	ओडिशा	पंचायल समिति में विशिष्टतः ग्रा.पं. के मनरेगस कार्यों हेतु चार कनिष्ठ अभियंता एवं दो तकनीकी सहायक थे, लेकिन उन्हें ग्रा.पं. ने अन्य योजनाओं में निर्माण-कार्यों के निरीक्षण भी सौंपा गया था।
10.	पंजाब	2,555 की आवश्यकता के प्रति, पूरे राज्य (पांच ग्रा.पं. के लिए एक) के केवल 74 तकनीकी सहायक ही नियुक्त थे जिससे 2,481 तकनीकी सहायकों (97 प्रतिशत) की कमी छुट रही थी। नमूना परीक्षित जिले में तकनीकी सहायकों की कमी 89 तथा 98 प्रतिशत के मध्य थी।
11.	उत्तर प्रदेश	7,931 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के प्रति 2,533 की कमी थी।

अनुबंध-4ङ
प्रशिक्षण में कमी

(पैराग्राफ 4.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	मनरेगस के तहत कर्मचारियों की कुल संख्या				प्रशिक्षण प्रदान किये गये कर्मचारियों की संख्या				प्रशिक्षण पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
		ग्रा.पं. स्तर	ब्लॉक स्तर	जिला स्तर	कुल	ग्रा.पं. स्तर	ब्लॉक स्तर	जिला स्तर	कुल	
1.	गोवा	36	30	34	100	36	22	20	78	**2.63**
2.	हरियाणा	650	65	11	726	650	53	9	726	**24.13**
3.	राजस्थान	27,265	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	27,265	21,190	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	21,190	**113.60**
4.	उत्तर प्रदेश	85	122	45	252	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	डाटा उपलब्ध नहीं	**56.42**
योग		**28,036**	**217**	**90**	**28,343**	**21,876**	**75**	**29**	**21,994**	**196.78**

अनुबंध-4च
सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियां
(पैराग्राफ 4.7 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	जिला	प्राप्त निधियां (₹ लाख में)	सू.शि.सं. पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
1.	गोवा	2	14.00	6.79
2.	गुजरात	2	14.00	11.00
3.	हरियाणा	6	84.5	38.78
4.	केरल	3	17.30	17.40
5.	पंजाब	6	40.39	28.69
6.	राजस्थान	5	45.00	23.87
7.	त्रिपुरा	2	18.00	18.00
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	5.00	1.88
9.	दादरा नागर एवं हवेली	1	5.00	4.05
10.	लक्षद्वीप	1	7.00	5.84
11.	पुडुचेरी	2	7.00	2.89
योग		**32**	**257.19**	**159.19**

अनुबंध-5क
अव्ययित शेष का समायोजन के बिना मंत्रालय द्वारा निधियों का अधिक निर्गम

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	31.03.2010 तक अव्ययित शेष प्रावधानिक आंकड़े	31.03.2010 तक अव्ययित शेष लेखापरीक्षित आंकड़े	अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना किए गए निर्गम	निर्गम की तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	874.36	1,169.51	1,012.43	15.04.2010
2.	हिमाचल प्रदेश	66.63	103.87	147.12	15.04.2010
3.	कर्नाटक	503.37	821.87	773.05	16.04.2010
4.	मध्य प्रदेश	2,539.98	2,664.92	995.80	15.04.2010
5.	ओड़िशा	44.12	85.22	308.49	16.04.2010
6.	पंजाब	90.06	90.99	34.28	28.04.2010
7.	राजस्थान	1,992.25	3,659.25	1,610.43	16.04.2010
8.	उत्तर प्रदेश	1,275.55	1,196.55	1,419.40	16.04.2010
9.	पश्चिम बंगाल	361.78	312.53	432.25	16.04.2010
कुल		**7,748.10**	**10,104.71**	**6,733.25**	

अनुबंध-5ख

अव्ययित शेष का समायोजन के बिना मंत्रालय द्वारा निधियों का अधिक निर्गम

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	31.03.2011 तक अव्ययित शेष प्रावधानिक आंकड़े	31.03.2011 तक अव्ययित शेष लेखापरीक्षित आंकड़े	अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना किए गए निर्गम	निर्गम की तिथि
1.	कर्नाटक	1,095.53	1,095.93	658.57	1.04.2011
2.	मध्य प्रदेश	1,895.17	1,894.25	434.34	1.04.2011
3.	तमिलनाडु	509.14	502.79	509.84	1.04.2011
4.	पश्चिम बंगाल	237.58	265.94	837.25	1.04.2011
कुल		**3,737.42**	**3,758.91**	**2,440.00**	

अनुबंध-5ग
मंत्रालय द्वारा निधियों का अधिक निर्गम
(पैराग्राफ 5.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	अभ्युक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	2009-10	केन्द्रीय देयता को कुल लागत के 96 प्रतिशत तक सीमित न करने के कारण 2009-10 के दोरान द्वितीय भाग हेतु ₹ 75.10 करोड़ के अधिक निर्गम
		2010-11	केन्द्रीय देयता को कुल लागत के 96 प्रतिशत तक सीमित न करने के कारण 2010-11 के दौरान द्वितीय किस्त हेतु ₹ 89.48 करोड़ के अधिक निर्गम इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2010 तक अथ शेष को कम बताए जाने के कारण ₹ 108.90 करोड़ का अधिक निर्गम किया गया था। यह मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था।
		2011-12	केन्द्रीय देयता के रूप में ₹ 146.24[1] की अधिक निर्गम को कम अव्ययित शेष का समायोजन करके निर्धारित किया गया था।
2.	गुजरात	2010-11	मंत्रालय ने ₹ 492.02 करोड़ की राशि जारी की थी (फरवरी 2011) जिसमें ₹ 184.64 करोड़ की बकाया देयता शामिल थी, जोकि राज्य द्वारा पहले ही अपने मांग प्रक्षेपण में समायोजित कर दिया गया था।
		2011-12	इसी प्रकार, 2011-12 में, मंत्रालय ने ₹ 87.43 करोड़ की राशि जारी की थी (फरवरी 2012) जिसमें ₹ 43.2 करोड (45 करोड़ का 96 प्रतिशत) बकाया देयता के रूप में शामिल थी, जिसे राज्य द्वारा वर्ष हेतु अपने मांग प्रक्षेपण में शामिल कर लिया गया था।

1

क्र.सं.	विवरण	₹ करोड़ में
01.	श्रम बजट में संस्वीकृत राशि	8,272.00
02.	केन्द्रीय देयता (8,272 करोड़ का 96%)	7,941.12
03.	पहला भाग अर्थात् केन्द्रीय देयता का 50%	3,970.56
04.	1.4.2011 तक कम उपलब्ध शेष	3,655.96
05.	राज्य को जारी की जाने वाली निधियां	314.60
06.	मंत्रालय द्वारा निर्गम वास्तविक राशि	460.84
07.	अधिक निर्गम	146.24

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	अभ्युक्तियां
3.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	₹ 100.35 करोड़ के अव्ययित शेष के समायोजन बिना ₹ 228 करोड़ का निर्गम
4.	मध्य प्रदेश	2010-11	01.04.2010 तक अथ शेष को ₹ 2,435.45 करोड़ मानते हुए मंत्रालय ने ₹ 303.18 करोड़ का निर्गम किया, जबकि लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार, अथ शेष ₹ 2,664.92 करोड़ था। इस प्रकार ₹ 229.47 करोड़ का अनुचित/अधिक निर्गम हुआ था।
5.	राजस्थान	2010-11	मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 तक ₹ 1,992.25 करोड़ को अथ शेष मानते हुए ₹ 1,178.39 करोड़ का निर्गम किया था (जून 2010) तथापि, लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार अथ शेष ₹3,659.25 करोड़ था। इस प्रकार ₹ 1,178.39 करोड़ का अनुचित/अधिक निर्गम हुआ था।
6.	पश्चिम बंगाल	2009-10	मंत्रालय ने मार्च 2010 में, फरवरी 2010 में उसी तिमाही हेतु ₹ 219.09 करोड़ के निर्गम का समायोजन किए बिना, 2009-10 वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की आवश्यकता हेतु ₹439.27 करोड़ का निर्गम कर दिया था।
अधिक निर्गमों की कुल राशि			**₹ 2,374.86 करोड़**

अनुबंध-5घ
राज्य के हिस्से का कम निर्गम
(पैराग्राफ 5.8 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य का बकाया हिस्सा	जारी किया गया राज्य का हिस्सा	कम निर्गम
1.	असम (संपूर्ण राज्य)	336.87	307.52	29.35
2.	मणिपुर (संपूर्ण राज्य)	182.30	59.11	123.19
3.	मिजोरम (संपूर्ण राज्य)	105.43	83.52	21.91
4.	नागालैंड (संपूर्ण राज्य)	208.42	91.85	116.57
5.	राजस्थान (तीन जिले)	88.96	78.84	10.12
6.	सिक्किम (संपूर्ण राज्य)	30.79	8.47	22.32
7.	त्रिपुरा (संपूर्ण राज्य)	232.67	99.58	133.09
कुल				**456.55**

अनुबंध-5ड़
राज्य के हिस्से के निर्गम में विलम्ब
(पैराग्राफ 5.9 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिनों में विलम्ब
1.	असम	47 से 354
2.	बिहार	9 से 313
3.	छत्तीसगढ़	5 से 139
4.	झारखण्ड	5 से 293
5.	हिमाचल प्रदेश	15 से 170
6.	मणिपुर	21 से 249
7.	मेघालय	18 से 174
8.	मिजोरम	9 से 317
9.	पंजाब	3 से 527
10.	राजस्थान	17 से 331
11.	सिक्किम	34 से 252
12.	त्रिपुरा	5 से 222
13.	उत्तराखण्ड	8 से 211

अनुबंध-5च
सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. से निधियों के हस्तांतरण न किए जाना/विलंब
(पैराग्राफ 5.11 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्तियां	राशि (₹ करोड़ में)	विलंब की अवधि
1.	बिहार	11 नमूना परीक्षित जिलों (अररिया, बेगूसराय, भभुआ, भोजपुर, दरभंगा, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सीतामढी, और पश्चिम चंपारण) में सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. के ₹ 21.48 करोड़ को मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया गया था। सं.ग्रा.रो.यो./रा.का.ब.अ.का. के अंतर्गत ₹ 77.36 करोड़ के अप्रयुक्त खाद्यान्नों की लागत को चूककर्ता सा.वि.प्र. विक्रेताओं से प्राप्त नहीं किया जा सका और इसलिए मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया जा सका।	21.48 77.36	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
2.	छत्तीसगढ़	महासमुंद (₹ 1 करोड़) तथा कांकेर (₹ 0.22 करोड़) जिलों में, पांच वर्षों से अधिक के विलंब के पश्चात भी निधियों को मनरेगस खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया था।	1.22	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
3.	झारखण्ड	तीन नमूना परीक्षित जिलों (पलामू, रांची, गुमला) में, सं.रो.ग्रा.यो. (खाद्यान्नों को संभावना तथा परिवहन) तथा रा.का.ब.अ.का. ₹ 4.43 करोड़ की निधियों को मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया गया था।	4.43	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
4.	मध्य प्रदेश	लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 नमूना परीक्षित जिलों में से सात ने विलम्ब के साथ सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. की ₹ 6.73 करोड़ की शेष राशि को हस्तांतरित किया था।	6.73	एक से पांच वर्ष
5.	ओडिशा	सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. के अंतर्गत ₹ 2.91 करोड़ (मार्च 2008 तक) की अप्रयुक्त राशि को, मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया गया था।	2.91	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
6.	राजस्थान	नमूना परीक्षित जिलों, ब्लॉकों तथा ग्रा.पं. में, सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. के अंतर्गत ₹ 2.33 करोड़ की राशि के अव्ययित शेष को हस्तांतरित नहीं किया गया था तथा विलंब के साथ ₹ 4.99 करोड़ को हस्तांतरित किया गया था।	2.33 4.99	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्तियां	राशि (₹ करोड़ में)	विलंब की अवधि
				5 महीनों से 40 महीनों तक के विलंब
7.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर जिले के दो नमूना परीक्षित संबंधित विभागों में, ₹0.41 करोड़ तक की राशि का रा.का.ब.अ.का. के शेष को मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया गया था।	0.41	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था
8.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना जिले के भंगर ब्लॉक में सं.रो.ग्रा.यो. के अंतर्गत ₹ 0.08 करोड़ के अप्रयुक्त शेष को मनरेगस को हस्तांतरित नहीं किया गया था।	0.08	अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था

अनुबंध-5छ
अस्वीकार्य मदों पर ब्याज आय का गैर लेखांकन अथवा उपयोग
(पैराग्राफ 5.12 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नमूना जिले/ब्लॉक/ग्रा.पं.	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	असम	डीब्रूगढ़ तथा जोरहाट जिलों के अंतर्गत 13 ग्रा.पं. तथा तीन विकास ब्लॉक	0.18	कार्यालय लेखन सामग्री के प्रापण, बिलों के भुगतान, चारदीवारी के निर्माण, कार्यालय परिसर पर मिट्टी की भराई, जिरॉक्स मशीन के प्रापण आदि हेतु उपयोग किया गया।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	0.14	फरवरी 2012 तक अर्जित 0.97 करोड़ की ब्याज आय में से 0.14 करोड़ का विभाग द्वारा या.भ. दावों, पी.ओ.एल., लेखन सामग्री आदि पर व्यय किया गया था।
		तीन जि.वि.अ. तथा एक सहायक आयुक्त (विकास)	0.16	राशि को पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि निधियों पर ब्याज को बैंकों में जमा कराया गया था।
3.	ओडिशा	आठ में से चार जिले (बोलांगिर, भद्रक, गंजम तथा खुर्दा)	0.38	मार्च 2012 को ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।
4.	पंजाब	होशियारपुर (टांडा ब्लॉक) के नमूना जांच किए जिले, अमृतसर जिला, बरनाला जिला (तीन ग्रा.पं., ब्लॉक बरनाला तथा जिला)	-- 0.02 0.11	होशियारपुर (टांडा ब्लॉक) में, योजना के अंतर्गत बचत खाते में उपलब्ध निधियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया था। अमृतसर जिले में यह पाया गया था कि संबद्ध विभाग द्वारा मनरेगस निधियों पर अर्जित ₹ 0.02 करोड़ के ब्याज संबद्ध विभाग द्वारा अ.उ.आ.(वि.) को वापस नहीं किया गया था। बरनाला जिले में, मनरेगस निधि पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।
5.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद जिले का संबद्ध विभाग (लोक निर्माण कार्य विभाग)	0.27	ब्याज की राशि को जि.ग्रा.वि.अ. के लेखे में दर्ज नहीं किया गया था।
कुल ब्याज			**1.26**	

अनुबंध-5ज
अधिक प्रशासनिक व्यय
(पैराग्राफ 5.13.1 के संदर्भ में)

राज्य	अवधि	जिलों की संख्या	जिलों का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
बिहार	2007-12	7	बंका, बेगुसराय, भभुआ, भोजपुर, मधुबनी, मुंगेर तथा मुजफ्फरपुर	10.40
झारखण्ड	2007-08	1	दुमका	0.82
केरल	2007-11	4	तिरूवनंतपुरम, कोट्टायम, मलप्पुरम और पलक्कड़	6.57
महाराष्ट्र	2007-11	1	बुलधाना	0.30
नागालैण्ड	2007-09	2	मोन	0.26
	2008-09		दीमापुर	0.70
ओडिशा	2007-12	2	केन्द्रपदा तथा सम्बलपुर	0.95
राजस्थान	2010-12	4	बुंदी, धोलपुर, जैसलमेर तथा जालौर	5.02
उत्तर प्रदेश	2007-09	1	गोंडा	6.09
दादरा एवं नागर हवेली	2008-11	1	दादर एवं नागर हवेली	0.12
लक्षद्वीप	2009-12	1	लक्षद्वीप	0.81
कुल		**24**		**32.04**

अनुबंध-5झ
अस्वीकार्य मदों पर व्यय
(पैराग्राफ 5.14 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधियों का विपथन	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम जिले के कोटारउठला ब्लॉक में पंचायती राज अभियांत्रिकी प्रभाग ने आधिक्य में मापन पुस्तिकाऐं खरीदी जिनका उपयोग मनरेगस निर्माण कार्यों के अतिरिक्त, करार पुस्तिकाओं, कम्प्यूटर तथा फर्नीचर की खरीद के लिए किया गया था।	0.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	परियोजना निदेशक, निचली दिबांग घाटी द्वारा स्टाफ के वेतन के प्रति	0.08
3.	असम	जिला कर्बी एगलोंग में रा.स्त.प. के दौरों, गोदाम के किराया, स्वतंत्रता दिवस व्यय, कार्यालय कक्ष के निर्माण तथा वाहनों की मरम्मत पर व्यय के प्रति जिला हैलाकंडी में ब्लॉक गोदाम की मरम्मत, वाहनों की मरम्मत तथा मतदान व्ययों आदि जैसे आकस्मिक व्यय के प्रति	0.45
4.	बिहार	अररिया तथा मुंगेर जिलों में व्यय ग.रे.नी. सर्वेक्षण कार्य के उद्देश्य हेतु तथा जि.ग्रा.वि.अ. तथा जिला परिषद के आकस्मिक व्यय के रूप में किया गया था।	0.86
5.	छत्तीसगढ	जिला परिषद, बस्तर ने 150 कम्प्यूटर खरीदे जिन्हें ग्राम पंचायतों को संवितरण नहीं किया गया था।	0.46
6.	जम्मू एवं कश्मीर	तीन स.आ.वि., एक ब्लॉ.वि.प्रा. तथा निदेशक (ग्रामीण विकास), जम्मू ने मनरेगस से गैर-संबंधित कार्यों जैसे कि जम्मू, लेह, पूंछ तथा राजौरी के जिलों में चुनाव प्रक्रिया, कार्यालयों में टाईलों का निर्धारण, डी.जी. सैट, पे.ते.लू. की खरीद आदि, पर व्यय किया था।	1.06
7.	मध्य प्रदेश	₹ 22.15 लाख का व्यय नीजि प्रींटिंग प्रैस के माध्यम से 11 विभिन्न बैंकों की 1.96 लाख पास बुकों के मुद्रण पर किया गया था तथा इन्हें लाभार्थियों को जारी करने के लिए संबंधित बैंकों के सुपुर्द किया गया था।	0.22
8.	पंजाब	लैपटॉप, सोफा सेटों, फोटोकॉपी मशीनों, इंवर्टरों, एल.सी.डी.टी.वी., स्टेबलाईजरों आदि की खरीद के प्रति	0.28
9.	राजस्थान	फर्नीचर एवं उपस्कर, वातानुकूलन आदि की खरीद के प्रति	0.02
10.	सिक्किम	वाहनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के प्रति	0.03
11.	तमिलनाडु	उप ब्ला.वि.अ. जिसकी सेवाओं का मनरेगस हेतु उपयोग नहीं किया गया था, के वेतन एवं भत्तों के प्रति	0.49
12.	त्रिपुरा	6,035 ग्रामीण शरण गृहों, स्टील फुट ब्रिजों, आर.सी.सी. कैंटीलीवन ब्रिजों, मार्केट स्टॉल, एस.एच.जी. कौशल उन्नयन केन्द्र, बालगृह, पम्प हाउस आदि का निर्माण	21.87
	योग		**25.96**

अनुबंध-5ञ
निधियों का विपथन
(पैराग्राफ 5.14 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र/योजनाएं जिनको निधियों का अपवर्तन किया गया था	राशि (₹ करोड़ में)
1.	झारखण्ड	राँची जिले के कनके ब्लॉक में इंदिरा आवास योजना को। दुमका जिले में सां.स्था.क्षे.वि., सू.प्र.क्षे.का. तथा इ.आ.यो. योजनाओं के लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान के प्रति	0.76
2.	कर्नाटक	अन्य योजना के अंतर्गत ऊपरी कृष्णा परियोजना के नारायणपुर राईट बैंक कैनल की सर्विस सड़क तथा निरीक्षण मार्गों हेतु प्रापण की गई सामग्रियों, सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण के प्रति।	1.98
3.	ओडिशा	अन्य योजनाओं अर्थात् बाढ़ राहत, ग्रा.पं. निधियाँ, इ.आ.यो. तथा वृद्ध पेंशन तथा लो.सं.प्र. के प्रति	2.07
4.	राजस्थान	पुस्तकों की खरीद, दो सहायक अभियंताओं के वेतन निर्धारण बकायों, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती उत्सव तथा अन्य योजनाओं के प्रति। चार नमूना जांच किए गए जिलों में 2007-12 की अवधि हेतु केशव बाडी योजना के प्रति। बढ़े हुए मानदेय के भुगतान तथा जिला परिषद एवं ब्लॉक के सदस्यों सहित जिला प्रमुख, प्रधान तथा सरपंच के भत्तों को पूरा करने के प्रति	0.09 85.17 43.44
5.	उत्तर प्रदेश	विविध प्रशासनिक व्यय, अन्य योजनाओं का आकस्मिक व्यय विकास भवन में सम्मेलन कक्ष के नवीकरण एवं विद्युतीकरण, प्राथमिक विद्यालय तथा हरिजन आवास का निर्माण, कार्यालय व्यय तथा दोपहर के भोजन की योजना के प्रति	1.51
योग			**135.02**

अनुबंध-5ट
निधियों का संदिग्ध/सुनिश्चित दुर्विनियोजन
(पैराग्राफ 5.15 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
1.	असम	कार्यालय प्र.नि., जि.ग्रा.वि.अ. कामरूप ने ब्ला.वि.अ., हाजो विकास ब्लॉक को ₹ 0.03 करोड़ की राशि अदा की। जबकि इस राशि को ब्ला.वि.अ., हाजो ब्लॉक की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया था, फिर भी इसे प्र.नि., जि.ग्रा.वि.अ. कामरूप की बैंक पास बुक में आहरित पाया गया था।	0.03	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		अ.आ. सह जि.का.स., काछर ने अ.प्र.प. प्रस्तुत करते समय कालेन विकास ब्लॉक में ₹ 1.59 करोड़ के गबन का उल्लेख किया।	1.59	दुर्विनियोजन/गबन का सुनिश्चित मामला
		₹ 0.049 करोड़ की राशि का ग्रा.पं. तूकरापारा, कामरूप (ग्रामीण) जिले द्वारा मनरेगस के अंतर्गत आं.प. स्तरीय 'एफ.ए. अहमद महाविद्यालय का भूमि विकास' के निष्पादन हेतु व्यय किया गया था। तथापि, पूर्ण व्यय के समर्थन में लेखापरीक्षा को ₹ 0.022 करोड़ के मस्टर रोल वाउचर उपलब्ध कराए गए थे।	0.03	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
2.	बिहार	कार्यकारी अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं के निष्पादन हेतु ₹ 0.64 करोड़ अदा किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ₹ 0.64 करोड़ को लम्बी अवधि तक अप्रयुक्त रहा पाया। इसमें से ₹ 0.41 करोड़ को लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था तथा शेष ₹ 0.23 करोड़ वसूल किए जाने हेतु रहे।	0.23	कार्यान्वयन अभिकरणों ने बिना उद्देश्य के लंबी अवधि तक निधियां रखीं
3.	गुजरात	दाहोद जिले के फतेपुर तथा दोहोद में अभिलेखों की संवीक्षा ने 2009-11 के दौरान ₹ 5.79 करोड़ (फतेपुर) तथा ₹ 0.29 करोड़ (दाहोद) के दर्ज न किए गए व्यय को प्रकट किया। इन व्ययों को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था न ही का.अ. के पास व्यय के समर्थन में वाउचर उपलबध थे।	6.08	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
4.	हरियाणा	2009-10 के दौरान, 0.12 करोड़ की राशि सरपंच, अर्जन कलां (जिला कुरुक्षेत्र) द्वारा योजना के बैंक खाते से आहरित की गई थी। जिसमें से, 0.074 करोड़ का व्यय जुलाई-अगस्त 2009 में सामग्री घटक हेतु किया गया था फिर भी मॉ.सू.प्र. में व्यय को फरवरी में किया गया दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य के भौतिक सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि सामग्री घटक का उपयोग नहीं किया जा सका था।	0.08	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
5.	झारखण्ड	रा.ग्रा.रो.का.-II प्रभाग रांची में, दो अवसरों अर्थात् 31 मई 2011/1 जून 2011 तथा 30 जून 2011/1 जुलाई 2011 में अंत शेष/अथ शेष में ₹ 2.12 करोड़ का अंतर पाया गया था जबकि अग्रिमों का कोई समायोजन अथवा वापसी नहीं थी। इसलिए, निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना थी।	2.12	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि गुमला तथा राँची में, ₹ 11.63 करोड़ की राशि को 2007-12 के दौरान मनरेगस के अंतर्गत निर्माण कार्यों को निष्पादित करने हेतु पाँच कार्यान्वयन अभिकरणों के वन रेंज अधिकारी (व.रे.अ.) को प्रदान की गई थी परंतु न तो रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टियां की गई थीं और न ही अनुवर्ती अग्रिम जारी करते समय कोई समायोजन वाउचरों की मांग की गई थी। इसका परिणाम ₹ 11.63 करोड़ के गैर-समायोजित अस्थायी अग्रिम के संचयन में हुआ। इसी प्रकार, 2009-10 की अवधि के दौरान जिला बोर्ड, खुंटी तथा विशेष निर्माण कार्य प्रभाग, खुंटी में समायोजन वाउचरों अथवा वापसियों की माँग किए बिना अनुवर्ती अग्रिम प्रदान की थीं जिसने ₹ 10.16 करोड़ की सीमा तक मनरेगस निधियों के दुर्विनियोजन को दर्शाया।	21.79	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		अप्रैल 2008 तथा अगस्त 2009 के बीच ब्ला.वि.अ. द्वारा सेल्फ चैक पर तथा दो ब्लॉक कार्मिकों के नाम पर ₹ 0.02 करोड़ का आहरण किया गया था। इसी प्रकार, भार्नो ब्लॉक, गुमला जिले में, नवम्बर 2007 तथा अक्तूबर 2011 के बीच लाभार्थियों, समितियों, बैंक, डाक घर तथा ब.क्षे.ब.उ.स. के पक्ष में 45 चैकों के माध्यम से ₹ 0.027 करोड़ का आहरण किया गया था। तथापि, किए गए भुगतान के समर्थन में ब्लॉक के पास कोई वाउचर उपलब्ध नहीं थे।	0.29	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		नमूना जाँच की गई जिला परिषद, पश्चिम सिंहभूम जिले में, 2007-11 की अवधि के दौरान रोकड़ बही में ₹ 30.03 करोड़ को ₹ 31.68 करोड़ की अग्रिम के प्रति समायोजित किया दर्शाया गया था। तथापि ₹ 30.03 करोड़ हेतु समायोजन वाउचरों तथा संबंधित मापन पुस्तिकाओं को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। सनदी लेखाकार ने रोकड़ बही में भी पाया (24.10.2011) कि सत्यापन हेतु इसको कोई सहायक वाउचर तथा मापन पुस्तिकाएं प्रस्तुत नहीं की गई थीं।	30.03	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
6.	कर्नाटक	बीजापुर के नमूना जांच किए गए जिले में, 0.13 करोड़ के चैकों को भुगतान से संबंधित सहायक दस्तावेजों के बिना मई 2009 से मार्च 2010 के दौरान चार व्यक्तियों को जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, चिकबालापुर के नमूना जांच किए गए जिले में, ग्रा.पं. थिरूमनी के बैंक खाते की पास बुक के अनुसार 2010-12 के दौरान 18 मामलों में 0.09 करोड़ का अंतरण किया गया था। तथापि, ऐसे लेन-देनों को ग्रा.पं. की पास बुक में दर्ज नहीं किया गया था। ग्रा.पं. के सचिव के कथन (मई 2012) के अनुसार, इन लेन-देनों से संबंधित कोई अभिलेख ग्रा.पं. में उपलब्ध नहीं था।	0.22	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
7.	मणिपुर	2007-10 के दौरान, जि.का.स., तैमनलौंग ने तैमनलौंग तथा नूगबा ब्लॉकां के का.अ. को क्रमशः 0.11 करोड़ तथा 0.16 करोड़ के चैक जारी किए। तथापि जारी राशि को संबंधित का.अ. की पास बुकों में प्राप्त के रूप में नहीं दर्शाया गया था।	0.27	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
8.	नागालैण्ड	जि.का.स. दीमापुर द्वारा 2011-12 के दौरान योजना के प्रति जारी की गई 1.68 करोड़ की राशि को का.अ. धानसीटीपार के पास प्रचालित मनरेगस बैंक खाते में दज नहीं किया गया था। तथापि, का.अ. धानसीटीपार के अन्तर्गत आठ नमूना जांच की गई ग्रा.पं. की पुनः जांच तथा सत्यापन ने उजागर किया कि का.अ. धानसीटीपार द्वारा रोकड़ बही में ऐसी कोई राशि दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए, 1.68 करोड़ के दुर्विनियोजन को निर्धारित नहीं किया जा सका।	1.68	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
		तीन नमूना जिलों में सात नमूना परीक्षित का.अ. ने 2007-12 के दौरान 54 ग्रा.पं. को 114.52 करोड़ आवंटित किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 54 ग्रा.पं. ने केवल 49.14 करोड़ ही प्राप्त किए थे। मनी ट्रेल के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने उजागर किया कि का.अ. के अभिलेखों के अनुसार प्रत्येक ग्रा.पं. को चैक संख्या तथा दिनांक सहित जारी राशियों की प्रविष्टियों को दर्ज किया गया था जबकि का.अ. द्वारा बताई गई राशि वास्तव में ग्रा.पं. खाते में जमा नहीं की गई थी। इस प्रकार, निधियों के हस्तांतरण के दौरान 65.38 करोड़ के वित्तीय रिसाव को निर्धारित नहीं किया जा सका।	65.38	अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण संदिग्ध दुर्विनियोजन का मामला
9.	पंजाब	स.वि.आ. के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा अभिलेखों/शिकायत मिसिल के अनुसार यह पाया गया कि योजना के अंतर्गत 0.65 करोड़ की राशि की जारी निधियों को अमृतसर, भटिण्डा, पटियाला तथा मुक्तसर के जिलों में ग्रा.पं. पर दुर्विनियोजन किया गया था।	0.65	दुर्विनियोजन/गबन का सुनिश्चित मामला

क्र. सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
10.	राजस्थान	ब्लॉक धोलपुर (ग्रा.पं. बसई नीम) में अभिलेखों के समाधान की समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि फर्जी मजदूरी सूची तैयार की गई थी तथा श्रमिकों को भुगतान हेतु डाक घर भेजी गई थी। डाकपाल ने 0.21 करोड़ का भुगतान किया था जो कि जाली था क्योंकि निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया गया था।	0.21	दुर्विनियोजन/गबन का सुनिश्चित मामला
11.	उत्तर प्रदेश	2.06 करोड़ (2010-11 से संबंधित) तथा 1.25 करोड़ (2011-12 से संबंधित) की वसूलनीय राशि सहित 198 मामलों में 2010-12 के दौरान अनियमितताएं पाई गई थीं परंतु राज्य प्राधिकरणों द्वारा केवल 0.71 करोड़ की वसूली की गई थी। मार्च 2012 को 2.60 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी थी।	2.60	दुर्विनियोजन/गबन का सुनिश्चित मामला

योग

क्र.सं.	मामलों के प्रकार	राज्यों की संख्या	राशि
1.	संदिग्ध दुर्विनियोजन के मामले	8	128.23
2.	दुर्विनियोजन के सुनिश्चित मामले	4	5.05

अनुबंध-6क
घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया

(पैराग्राफ 6.2.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की संख्या	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	असम	7 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। दलों को पूर्वाभमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।
2.	बिहार	250 ग्रा.पं.	पंजीकृत होने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने हेतु घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
3.	छत्तीसगढ़	140 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
4.	हरियाणा	38 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	1 जिला	गांवों में घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
6.	झारखण्ड	6 जिले	नमूना जांच किए गए किसी भी गाँव में घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
7.	कर्नाटक	157 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर किए सर्वेक्षण के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
8.	केरल	39 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
9.	मिजोरम	39 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था इसलिए इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण हेतु स्वयं ग्राम परिषद आये थे।
10.	नागालैण्ड	33 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
11.	ओडिशा	199 ग्रा.पं.	योजना के अंतर्गत आवृत्त किए जाने वाले परिवारों का पंजीकरण करने हेतु घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
12.	पंजाब	79 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
13.	राजस्थान	40 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
14.	सिक्किम	8 ग्रा.पं.	योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान हेतु घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
15.	त्रिपुरा	30 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
16.	उत्तर प्रदेश	420 ग्रा.पं.	घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। ब्लॉक/जिला स्तर पर सर्वेक्षण दलों को कोई पूर्वाभमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
	योग	**1479 ग्रा.पं. तथा 7 जिले**	

अनुबंध-6ख
पंजीकरण सूची का गैर-अद्यतन/प्रदर्शन

(पैराग्राफ 6.2.2 के संदर्भ में))

क्र.सं.	राज्य का नाम	सुची के गैर-अद्यतन के संबंध में विवरण			सूची के गैर-प्रदर्शन के संबंध में विवरण		
		ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.	नमूना जांच किए गए	प्रतिशत	ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.	नमूना जांच किए गए	प्रतिशत
1.	असम	--	--	--	6 जिले	8 जिले	75.0
2.	नागालैण्ड	12 ग्रा.पं.	54 ग्रा.पं.	22.2	34 ग्रा.पं.	54 ग्रा.पं.	63.0
3.	ओडिशा	--	--	--	199 ग्रा.पं.	199 ग्रा.पं.	100.0
4.	तमिलनाडु	--	--	--	3 blocks	23 ब्लॉकों	13.0
5.	त्रिपुरा	--	--	--	60 ग्रा.पं.	60 ग्रा.पं.	100.0
6.	उत्तर प्रदेश	176 ग्रा.पं.	460 ग्रा.पं.	38.3	436 ग्रा.पं.	460 ग्रा.पं.	94.8
7.	पश्चिम बंगाल	31 ग्रा.पं.	120 ग्रा.पं.	25.8	34 ग्रा.पं.	120 ग्रा.पं.	28.3
	योग	**219 ग्रा.पं.**	**634 ग्रा.पं.**		**763 ग्रा.पं., 3 ब्लॉक तथा 6 जिले**	**893 ग्रा.पं., 23 ब्लॉक तथा 8 जिले**	

अनुबंध-6ग
बहुल जॉब कार्डों का अनियमित निर्गत
(पैराग्राफ 6.3.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.	परिवारों की सं.	निर्गत कार्डों की सं.	ड्यूप्लिकेट कार्डों की सं.	अभ्युक्तियाँ
1.	बिहार	91 ग्रा.पं.	2,849	5,748	2,899	कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी 3 अथवा 4 जॉब कार्ड
2.	झारखण्ड	1 जिला (राँची)	2,73,904	2,88,668	14,764	संदेहस्पद जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
		एक ब्लॉक की 10 ग्रा.पं.	--	--	620	ड्यूप्लिकेट जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
3.	राजस्थान	7 ग्रा.पं.	--	--	40	दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे।
4.	उत्तर प्रदेश	1 ग्रा.पं. (धर्मपुर क्वान)	--	--	2	मूल तथा ड्यूप्लिकेट जॉब कार्ड दोनों में कार्य आवंटित किया गया था।
	योग	**109 ग्रा.पं. तथा 1 जिला**			**18,325**	

*** प्र.सू.प्र. डाटा के अनुसार**

अनुबंध-6घ
जॉब कार्ड जारी करने में विलम्ब
(पैराग्राफ 6.3.3 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.	जॉब कार्डों की सं.	विलम्ब
1.	असम	1 ब्लॉक (टींगखोक)	912	10 से 528 दिन
		1 ब्लॉक	39	2 से 523 दिन
2.	झारखण्ड	1 ग्रा.पं.	66	11 से 197 दिन
3.	महाराष्ट्र	8 ग्रा.पं.	79	1 से 51 महीने
4.	ओडिशा	3 जिले	232	112 से 1,460 दिन
5.	पंजाब	4 ग्रा.पं.	126	14 से 17 दिन
6.	राजस्थान	8 ग्रा.पं. (धोलपुर जिला)	6,224	2 से 65 दिन
		5 ग्रा.पं. (राजाखेरा, ब्लॉक धोलपुर जिला)	4,210	3 से 75 दिन
7.	उत्तर प्रदेश	2 ग्रा.पं. (बुलन्द शहर जिला)	120	25 से 45 दिन
	योग	**28 ग्रा.पं., 1 ब्लॉक तथा 4 जिला**	**12,008**	

अनुबंध -6ड
जॉब कार्डों में अन्य विसंगतियां
(पैराग्राफ 6.3.4 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.	मामलों की सं. जिनमें फोटो चिपकाई गई नहीं पाई गई			मामलों की सं. जिनमें पंजीकरण सं./जॉब कार्ड जारी करने की तिथि नहीं पाई गई	मामलों की सं. जिनमें हस्ताक्षर नहीं पाए गए (ग्रा.पं./ब्लॉकों/जिलों की सं.)		मामलों की सं. जिनमें भुगतान की प्रविष्टथ् जॉब कार्ड में की गई प्रविष्टि के साथ मेल नहीं खाती	जॉब कार्डों की सं. जो परिवारों की अभिरक्षा में नहीं है
			कोई भी फोटो नहीं है	संयुक्त फोटो नहीं है	पंजीकरण पंजिका पर फोटो नहीं चिपकाई गई		परिवारों के सदस्यों के हस्ताक्षर	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर		
1.	अरूणाचल प्रदेश	4 जिले	15	139	--	--	33	396 (378+18)	--	--
2.	असम	--	536 (15 GPs)	232 (1जिला - चिरांग)	--	--	274 (2 ग्रा.पं.)	--	--	840 (1 ग्रा.पं.)
3.	बिहार	13 जिले	731	--	516	1,053	--	335	523	--
4.	हिमाचल प्रदेश	27 ग्रा.पं.	614	--	--	--	1,097	1,621	--	--
5.	झारखण्ड	1 ग्रा.पं. (चियांक)	--	--	247	599	90	--	--	--
6.	महाराष्ट्र	2 जिले (अहमदनगर और सिंधुदुर्ग)	3,83,021	--	--	--	--	--	--	--
7.	मणिपुर	1 ग्रा.पं.	80	20	--	--	--	--	--	--
8.	राजस्थान	--	49,531 (100 ग्रा.पं.)	--	--	37,707 (58 ग्रा.पं.)	17,754 (50 ग्रा.पं.)	--	--	--
9.	उत्तराखण्ड	100 ग्रा.पं.	--	--	6,309	--	2,444	2,013	--	--
10.	उत्तर प्रदेश	14 ग्रा.पं.	--	--	960	--	--	--	--	--
11.	दादर तथा नागर हवेली	10 ग्रा.पं.	--	--	685	--	610	637	--	--
	योग		**4,32,528 (143 ग्रा.पं. तथा 19 जिलों में)**	**391 (1 ग्रा.पं. तथा 5 जिलों में)**	**8,717 (125 ग्रा.पं. तथा 13 जिलों में)**	**39,359 (59 ग्रा.पं. तथा 13 जिलों में)**	**22,302 (190 ग्रा.पं. तथा 4 जिलों में)**	**5,002 (137 ग्रा.पं. तथा 17 जिलों में)**	**523 (13 जिलों में)**	**840 (1 ग्रा.पं. में)**

अनुबंध-6च
जॉब कार्ड तथा रोजगार से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण

(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जॉब कार्ड आवेदन पंजिका				जॉब कार्ड पंजिका				पंजीकरणों की सं. जिन्हें का.अ. को नहीं भ्जा गया
		निम्न में अनुरक्षित नहीं		निम्न उचित रूप से अनुरक्षित नहीं		निम्न में अनुरक्षित नहीं		Not properly maintained in		
		ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	150	-	-	-	150	-	-	-	-
2.	असम	28	7	-	-	-	-	-	-	-
3.	बिहार	250	54	-	-	-	-	-	-	-
4.	गुजरात	150	15	-	-	-	-	-	-	-
5.	हरियाणा	13	-	-	-	18	-	-	-	-
6.	हिमाचल प्रदेश	-	-	20	-	-	-	-	-	-
7.	जम्मू एवं कश्मीर	113	12	-	-	113	12	-	-	-
8.	झारखण्ड	40	7	127	10	46	8	121	9	-
9.	कर्नाटक	26	-	117	-	-	-	133	-	-
10.	केरल	10	-			-	-	-	-	-
11.	मध्य प्रदेश	167	17	100	10	13	5	248	29	-
12.	मणिपुर	-	-	90	9	-	-	90	9	-
13.	मेघालय	89	8	-	-	-	8	-		-
14.	नागालैण्ड	23	-	-	-	12	-	-	-	-
15.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-	199	--	199
16.	पंजाब	53	6	-	-	37	4	-	-	-
17.	सिक्किम	-	-	8	4	-	-	8	4	-
18.	त्रिपुरा	-	-	-	6	-	6	-	-	-
19.	उत्तराखण्ड	-	-	100	-			-	-	-
20.	उत्तर प्रदेश	7	39	-	-	93	-	-	-	202
21.	पश्चिम बंगाल	83	-	-	-	-	-	83	-	41
22.	दादर एवं नागर हवेली	3	-	2	-	-	-	10	-	-
योग		**1,205**	**165**	**564**	**39**	**482**	**43**	**892**	**51**	**442**
कुल योग		**1,769 ग्रा.पं. और 204 ब्लॉक**				**1,374 ग्रा.पं. ओर 94 ब्लॉक**				**442 ग्रा.पं.**

अनुबंध-6छ
रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन नहीं किया गया
(पैराग्राफ 6.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रा.पं./ ब्लॉक/जिलों की सं.
1.	अरूणाचल प्रदेश	43 ग्रा.पं.
2.	महाराष्ट्र	7 जिले
3.	नागालैण्ड	38 ग्रा.पं.
4.	ओडिशा	199 ग्रा.पं.
5.	तमिलनाडु	4 जिले
6.	उत्तर प्रदेश	446 ग्रा.पं.
7.	पश्चिम बंगाल	69 ग्रा.पं. ग्रा.पं.
8.	लक्षद्वीप	3 ग्रा.पं.
	योग	**798 ग्रा.पं.और 11 जिले**

अनुबंध-7क
बेरोजगारी भत्ते का गैर भुगतान
(पैराग्राफ 7.2.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक /जिलों की संख्या	मजदूरों की संख्या जिनके बेरोजगार भत्ते भुगतानर नहीं किए गए थे	विलम्ब (दिनांक में)	बेरोजगार भत्ते की राशि (₹ लाख में)
1.	**असम***	2 जिले	37,229	--	--
2.	बिहार	1 जिले	77	23 से 87	1.93
3.	छत्तीसगढ	10 ग्रा.पं.	10,041	2 से 407	--
4.	झारखंड	3 जिले	206	33 से 1,218	22.63
5.	केरल	1ग्रा.पं.	46	30	0.52
6.	महाराष्ट्र	1ब्लॉक	77	9 से 201	0.82
7.	पंजाब	1 ग्रा.पं.	11	6 से 427	0.50
	कुल	**12** ग्रा.पं. **1** ब्लॉक **और** **6** जिले	**47,687**		**26.40**

*** मासिक विकास रिपोर्ट के अनुसार डाटा**

अनुबंध-7ख
अभिलेखों के गैर अनुरक्षण/खराब अनुरक्षण
(पैराग्राफ 7.2.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	निम्न में आवेदनों की दिनांकित प्राप्तियां जारी नहीं की गई/अभिलेख का अनुरक्षण न हीं किया गया	रोजगार पंजिका का अनुरक्षण			
			उल्लेखित नहीं किया गया		सही ढंग से उल्लेखित नहीं किया गया	
		ग्रा.पं./ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक
1.	आन्ध्र प्रदेश	150 **ग्रा.पं.**	150			
2.	असम	-	-	-	83	-
3.	बिहार	250 **ग्रा.पं.**	250	54		
4.	गोवा	-	-	-	14	-
5.	गुजरात	150 **ग्रा.पं.**	150	15	-	-
6.	हरियाणा	6 **ग्रा.पं.**	6	-	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	-	32	-	38	-
8.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	12	-	-
9.	झारखण्ड	-	50	8	117	9
10.	कर्नाटक	-	75		72	-
11.	केरल	21 **ग्रा.पं.**	09	-	-	-
12.	मध्य प्रदेश	-	10	4	220	23
13.	महाराष्ट्र	-	160	-	-	-
14.	मणिपुर	--	-	-	90	9
15.	मेघालय	8 **ब्लॉक**	89	8	-	-
16.	मिजोरम	39 **ग्रा.पं.**	-	-	-	-
17.	नागालैण्ड	-	26	-	-	-
18.	ओड़िशा	-	-	-	199	-
19.	पंजाब	-	62	7	-	-
20.	तमिलनाडु	230 **ग्रा.पं.**			-	-
21.	उत्तराखण्ड	-	-	-	100	-
22.	उत्तर प्रदेश	443 **ग्रा.पं.**	7	-	-	-
23.	पश्चिम बंगाल	83 **ग्रा.पं.**	3	-	19	-
24.	दादर एवं नगर हवेली	-	2	-	5	-
25.	पुडुचेरी	30 ग्रा.पं.	30	-	-	-
		1,402 ग्रा.पं.और 8 ब्लॉक	**1,111 ग्रा.पं.**	**108 ब्लॉक**	**957 ग्रा.पं.**	**41 ब्लॉक**

अनुबंध -7ग
मजदूरियों का गैर भुगतान
(पैराग्राफ 7.3.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	मजदूरी की गैर भुगतान राशि (₹ लाख में)	भुगतान की गई मजदूरी की अवधि	गैर भुगतान के कारण/अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1 ब्लाक	1.20	जुलाई से नवम्बर 2010	सॉफ्टवेयर में विसंगतियों के कारण
2.	बिहार	13 जिले	117.85	2007-12	खातों का नहीं खुलना, निधियों की उपलब्धता और मानवीय चक्र
3.	गोवा	1 ग्रा.पं.	4.05	फरवरी से मार्च 2012	173 लाभार्थियों के संबंध में
4.	गुजरात	2 ब्लॉक	0.43	2009-12	मार्च 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
5.	हरियाणा	1 जिला	207.47	2011-12	निधियों की कमी के कारण
6.	झारखण्ड	16 ग्रा.पं. और 1 ब्लॉक	4.92	2007-12	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
7.	पंजाब	4 ब्लॉक और 1 सम्बद्ध विभाग	118.39	2009-12	निधियों के न जारी करने के कारण
8.	उत्तर प्रदेश	1 ब्लॉक	1.30	180 दिन	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
9.	पश्चिम बंगाल	1 जिला	6.80	--	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
		7 ग्रा.पं.	497.00	जनवरी से मई 2012	मई 2012 तक भुगतान नहीं किया गया
	कुल	**24 ग्रा.पं.; 9 ब्लॉक/ मंडलें, 15 जिले और 1 सम्बद्ध विभाग**	**959.41**		

अनुबंध-7घ
मजदूरी-पर्चियों का जारी न किया जाना
(पैराग्राफ 7.3.2 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	नमूना जॉच किये	नमूना जाँच किए का प्रतिशत	अभ्युक्तियॉ
1.	असम	83 ग्रा.पं.	83 ग्रा.पं.	100	मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई
2.	बिहार	14 जिले	15 जिले	93.3	काई मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई
3.	गुजरात	15 ब्लॉक	15 ब्लॉक	100	काई मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई
4.	हिमाचल प्रदेश	90 ग्रा.पं.	90 ग्रा.पं.	100	काई मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई
5.	जम्मू व कश्मीर	12 ब्लॉक	12 ब्लॉक	100	मजदूरी पर्चियां जारी नहीं की गई, मजदूरी के भुगतान में विलम्ब को सत्यापित नहीं किया जा सका।
6.	झारखंड	167 ग्रा.पं.	167 ग्रा.पं.	100	मजदूरी पर्ची के अभाव में मजदूरी का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को हो जाने के जोखिम से परिपूर्ण था।
7.	कर्नाटक	157 ग्रा.पं.	157 ग्रा.पं.	100	इन ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों की सूचना हेतु कोई मजदूरी पर्ची सृजित नहीं की गई थी।
8.	केरल	37 ग्रा.पं.	39 ग्रा.पं.	94.9	मजदूरी पर्ची के अभाव में बैंक खाते में जमा मजदूरी की राशि के विवरण को सूनिश्चित नहीं किया जा सका।
9.	मध्य प्रदेश	247 ग्रा.पं.	290 ग्रा.पं.	85.2	मजदूरी पर्ची के अभाव में किये गये भुगतान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
10.	महाराष्ट्र	9 जिले	9 जिले	100	मजदूरी पर्ची को जारी किए बिना मजदूरों को उनके खाते में जमा की गई मजदूरी के बारे में सूचित किए जाने हेतु कोई तंत्र नहीं था।
11.	नागालैंड	54 ग्रा.पं.	54 ग्रा.पं.	100	मजदूरी पर्ची न तो सृजित की गई थी और न ही दर्ज की गई थी।
12.	सिक्किम	2 जिले	2 जिले	100	मजदूरी पर्चियों को श्रमिकों को उनके द्वारा अर्जित की गई सही मजदूरी जानने हेतु सृजित नहीं किया गया था।

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	नमूना जॉच किये	नमूना जाँच किए का प्रतिशत	अभ्युक्तियॉ
13.	उत्तराखण्ड	100 ग्रा.पं.	100 ग्रा.पं.	100	मजदूरी पर्ची के अभाव में भुगतान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
14.	पश्चिम बंगाल	83 ग्रा.पं.	120 ग्रा.पं.	69.2	मजदूरी पाने के इच्छुकों को मजदूरी पर्ची को नहीं दिया गया/नहीं सृजित किया गया।
15.	लक्षद्वीप	3 ग्रा.पं.	3 ग्रा.पं.	100	कोई मजदूरी पर्ची जारी नहीं की गई।
	योग	**1,021 ग्रा.पं., 27 ब्लॉक और 26 जिले**			

अनुबंध-7ङ
मजदूरी का कम भुगतान
(पैराग्राफ 7.3.3. के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर(₹ में)	भुगतान की गई मजदूरी@ (₹)	मजदूरी का कम भुगतान कम दर के कारण
1.	असम#	2 जिले	130	100	112.79 (3,75, 976 श्रम दिवस 30)
2.	बिहार	8 ग्रा.पं.	104 से 144	75 से 120	--
3.	हिमाचल प्रदेश	5 ग्रा.पं.	100 से 120	24 से 105	1.44 (5,328 श्रम दिवस के लिए)
4.	झारखण्ड	16 ग्रा.पं.	92 से 120	90 से 100	1.25 (10,178 श्रम दिवस के लिए)
5.	कर्नाटक*	8 जिले	--	--	2,371.00
6.	मणिपुर	28 ग्रा.पं.	126	81.40	127.68
7.	मेघालय	8 ब्लॉक	100 से 117	70 से 100	84.18
8.	त्रिपुरा	19 ग्रा.पं.	118	100	34.50
9.	उत्तर प्रदेश	17 ग्रा.पं., 6 ब्लॉक, 2 जिले और 1 संबद्ध विभाग	80 से 120	58 से 100	4.50
10.	पश्चिम बंगाल	1 ग्रा.पं.	195	130	1.10
	योग	94 ग्रा.पं., 14 ब्लॉक 12 जिले और 1 संबद्ध विभाग			**2,738.44**

 # मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर आंकड़े
*** मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली के आधार पर आंकड़े**

अनुबंध-7च
मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान न होना
(पैराग्राफ 7.3.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की संख्या	कार्यो की संख्या	मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से परे विलम्ब	जॉब कार्ड धारकों की संख्या	मजदूरी की राशि (₹ लाख में)	क्षतिपूर्ति की गैर भुगतान राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	23 ग्रा.पं.	--	5 से 1,100 दिन	3,226	12.19	--
2.	अरूणांचल प्रदेश	1 ब्लॉक	4	1 से 3 महीने	1,244	7.81	--
3.	असम	13 ग्रा.पं.	43	4 से 159 दिन	6,263	47.06	93.95 (ह ९ 1,500 द्रड्डद्ध ऱ्वऱ्)
4.	बिहार	172 ग्रा.पं., 3 ब्लॉक, 3 जिले तथा 2 संबद्ध विभाग	657	1 से 700 दिन	--	507.61	--
5.	छत्तीसगढ़	8 ब्लॉक	83	1 से 376 दिन	12,426 म.रो.	959.87	--
6.	गोवा	1 ब्लॉक	--	15 से 310 दिन	3,355	80.93	--
7.	गुजरात	12 ब्लॉक	923	1 से 685 दिन	11,527 म.रो.	1,681.54	--
8.	हरियाणा	8 ब्लॉक	36	8 से 331 दिन	--	54.24	--
9.	हिमाचल प्रदेश	11 ग्रा.पं.	373	15 द्दृ 795 दिन	7,773	110.15	--
10.	झारखण्ड	79 ग्रा.पं.	324	1 से 468 दिन	--	215.39	--
11.	केरल	13 ग्रा.पं.	50	23 से 138 दिन	28,738	39.44	--
12.	मध्य प्रदेश	11 जिले	152	2 से 292 दिन	2,027 म.रो.	472.88	--
13.	महाराष्ट्र	4 जिले	175	15 से 345 दिन	--	7,293.23	--
14.	नागालैंड	1 जिला	--	356 दिन	3,347	256.96	--

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की संख्या	कार्यो की संख्या	मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से परे विलम्ब	जॉब कार्ड धारकों की संख्या	मजदूरी की राशि (₹ लाख में)	क्षतिपूर्ति की गैर भुगतान राशि (₹ लाख में)
15.	ओड़िशा	17 ब्लाक	1,567	3 से 270 दिन	315	166.72	--
16.	पंजाब	48 ग्रा.पं.	107	2 से 790 दिन	13,117	98.95	--
17.	राजस्थान	1 ग्रा.पं. और 15 ब्लाक	--	812 दिनों तक	--	11,813.10	--
18.	तमिलनाडु	22 ग्रा.पं.	--	30 से 482 दिन	--	88.78	--
19.	उत्तराखण्ड	100 ग्रा.पं.	500	1 से 669 दिन	13,278	382.86	199.17 (@ ₹ 1,500 प्रति परिवार)
20.	उत्तर प्रदेश	91 ग्रा.पं., 05 ब्लाक, 04 जिले, और 04 संबद्ध	362	1 से 273 दिन	14,885	144.17	--
21.	पश्चिम बंगाल	04 जिले	--	11 से 810 दिन	--	43,788.73	--
22.	दादर नगर हवेली	05 ग्रा.पं.	5	1 से 123 दिन	251 मस्टर रोल	23.34	--
23.	पुडुचेरी	02 ब्लाक	--	137 दिनों तक	1,882 मस्टर रोल	426.05	--
	कुल	**574 ग्रा.पं., 72 ब्लाक 27 जिले और 6 संबद्ध विभाग**				**68,672.00**	

अनुबंध-7छ
मजदूरियों का अनियमित नकद भुगतान
(पैराग्राफ 7.3.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	मजदूरी के नकद भुगतान की राशि	अवधि
1.	आन्ध्र प्रदेश	2 ग्रा.पं.	0.09	2009-10 और 2011-12
2.	बिहार	2 ग्रा.पं.	0.67	जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009
3.	महाराष्ट्र	1 जिला (थाना)	30.52	2009-10
		1 जिला (बुलधाना)	29.09	सितम्बर 2008 से जुलाई 2009
4.	मणिपुर	20 ग्रा.पं.	1,143.38	2009-10 से 2011-12
5.	पंजाब	4 ग्रा.पं.	6.80	मार्च 2011 से अगस्त 2011
6.	राजस्थान	27 ग्रा.पं.	463.98	अक्तूबर 2008 से मार्च 2009
	योग	**55 ग्रा.पं. और 2 जिले**	**1,674.53**	

अनुबंध -7ज
मेटस की नियुक्ति
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	अनियमितताओं का सारांश
01.	असम	38 ग्रा.पं.	2007-12 के दौरान मैटस की नियुक्ति नहीं की गई थी।
02.	केरल	6 ग्रा.पं.	2007-12 के दौरान मैटस को बारी-बारी नहीं लगाया गया था।
		1 ग्रा.पं.	मैटस को मजदूरी के भुगतान को अकुशल मजदूरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
03.	महाराष्ट्र	9 जिले	नमूना जांच किए जिलों में मैटस की नियुक्ति नहीं की गयी थी।
04.	मिजोरम	39 ग्रा.पं.	2007-12 के दौरान मैटस को नहीं लगाया गया था।
05.	राजस्थान	11 ब्लॉक	मैटस की मजदूरी पर रू. 4.26 करोड़ को मजदूरी घटक के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था। परिणामस्वरूप सही मजदूरी-सामग्री अनुपात को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राज्य ने उत्तरदायित्व को केन्द्रीय सरकार पर डाल दिया
06.	उत्तराखंड	100 ग्रा.पं.	899 नमूना जांच किए गए निर्माण कार्यों में किसी मैट को नहीं लगाया गया।
07.	पश्चिम बंगाल	10 ग्रा.पं.	2007-12 के दौरान मैटस को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

अनुबंध -7झ
मस्टर रोल के साथ छेड़छाड़
(पैराग्राफ 7.5.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	मस्टर रोल की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	11 ग्रा.पं.	93	4.32
2.	बिहार	24 ग्रा.पं.	213	7.84
3.	हरियाणा	14 ग्रा.पं.	22	3.44
4.	झारखंड	46 ग्रा.पं.	321	17.85
5.	कर्नाटक	29 ग्रा.पं.	127	7.94
6.	केरल	9 ग्रा.पं.	26	1.95
7.	मणिपुर	1 ग्रा.पं.	128	9.20
8.	नागालैण्ड	5 ग्रा.पं.	6	10.31
9.	ओडिशा	4 ब्लॉक	78	23.73
10.	उत्तर प्रदेश	61 ग्रा.पं. और 1 ब्लॉक	259	27.00
	योग	**200 ग्रा.पं. और 5 ब्लॉक**	**1,273**	**113.58**

अनुबंध -7ञ
मस्टर रोल में काल्पनिक मजदूरों का दर्ज होना
(पैराग्राफ 7.5.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	काल्पनिक मजदूरों की संख्या	सत्यापित काल्पनिक मजदूरों की संख्या	शामिल राशि (₹ लाख में)
1.	असम*	2 ग्रा.पं.	189	2,016	20.59
2.	हरियाणा	1 ग्रा.पं.	1	1	0.02
3.	झारखण्ड	2 ग्रा.पं.	50	61	2.28
4.	कर्नाटक*	8 जिले	1,659	3,077	23.14
5.	ओडिशा	4 ब्लॉक	5	170	3.34
6.	पंजाब	4 ग्रा.पं.	7	34	0.53
7.	राजस्थान	2 ग्रा.पं.	21	82	--
8.	पश्चिम बंगाल	4 ग्रा.पं.	--	29	0.20
	योग	**15 ग्रा.पं., 4 ब्लॉक और 8 जिले**	**1,932**	**5,470**	**50.10**

***मॉ.सू.प्र. के पैरा के अनुसार**

अनुबंध -7ट

समान अवधि के दौरान विभिन्न मस्टर रोलों के अंतर्गत मजदूरों की तैनाती

(पैराग्राफ 7.5.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/जिलों की संख्या	मस्टर रोलों की संख्या	दौहरी तैनाती के साथ मजदूरों की संख्या (ओवरलेपिंग प्रविष्टियों के साथ)	शामिल राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	24 ग्रा.पं.	75	80	--
2.	असम	2 ग्रा.पं.	57	559	4.90
3.	बिहार	9 ग्रा.पं.तथा 1 जिला	104	159	1.04
4.	गुजरात	7 ब्लॉक	99	201	1.21
5.	हरियाणा	1 ग्रा.पं.	3	3	0.03
6.	झारखण्ड	11 ग्रा.पं.	55	238	2.11
7.	कर्नाटक।	8 ग्रा.पं.	1,154	3,081	54.05
8.	केरल	3 ग्रा.पं.	7	48	0.81
9.	ओडिशा	2 ब्लॉक	4	170	1.22
10.	पंजाब	1 ब्लॉक	2	7	0.22
11.	पश्चिम बंगाल	2 ग्रा.पं. तथा 1 जिला	5	5	0.06
12.	लक्षद्वीप	1 ग्रा.पं.	2	2	0.04
योग		**61 ग्रा.पं., 10 ब्लॉक तथा 2 जिलें**	**1,567**	**4,553**	**65.69**

*** मॉ.सू.प्र. के पैरा के अनुसार**

अनुबंध-7ठ
बिना हस्ताक्षर के मजदूरी का भुगतान
(पैराग्राफ 7.5.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक / जिलों की संख्या	मस्टर रोल/कार्यों की संख्या	मामलों की संख्या	बिना हस्ताक्षर के किया गया भुगतान	शामिल राशि (₹ लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1 ग्रा.पं.	1 म.रो.	4	परिवार	0.07
2.	झारखण्ड	7 ग्रा.पं.	29 म.रो.	95	-वही-	0.52
3.	कर्नाटक	7 ग्रा.पं.	123 म.रो.	1627	-वही-	21.24
4.	मणिपुर	1 ग्रा.पं.	76 म.रो.	82	-वही-	0.46
5.	ओडिशा	5 ब्लॉक	728 म.रो.	5069	-वही-	57.81
6.	पंजाब	6 ग्रा.पं.	17 म.रो.	218	-वही-	1.51
7.	उत्तर प्रदेश	14 ग्रा.पं.तथा 1 जिला	153 म.रो.	2837	-वही-	30.24
योग		**36** ग्रा.पं., **5** ब्लॉक तथा 1 जिला	1127 म.रो.	**9932**		**111.85**
8.	आन्ध्र प्रदेश	1 ग्रा.पं.	1 म.रो.	9	सक्षम अधिकारी	0.05
9.	झारखण्ड	21 ग्रा.पं.	376 म.रो.	--	-वही-	22.08
10.	तमिलनाडु	21 ग्रा.पं.	35 कार्य	--	-वही-	64.10
योग		**43 ग्रा.पं.**	**377 म.रो. तथा 35 कार्य**			**86.23**

अनुबंध-7ड
मजदूरी का संदिग्ध दुर्विनियोजन
(पैराग्राफ 7.5.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.पं./ब्लॉक/ जिलों की संख्या	मस्टर रोल/कार्यों की संख्या	भुगतान के संदिग्ध दुर्विनियोजन के कारण	राशि (₹ लाख में)
1.	बिहार	15 ग्रा.पं.	64 म.रो. (20 कार्य)	कार्य समापन के उपरान्त मजदूरों का लगाया जाना	7.47
2.	गुजरात	2 ब्लॉक	--	म.रो. मा.प. तथा वाऊचरों जैसे किसी सहायक दस्तावेजों के बिना भुगतान	607.39
3.	हिमाचल प्रदेश	2 ग्रा.पं.	13 म.रो. (127 मामले)	अवकाश के दिन किया गया भुगतान	0.14
4.	कर्नाटक	I 8 जिले	2,021 म.रो.	श्रमिकों के लगाए जाने के अंतिम दिन से पहले किया गया भुगतान	568.46
		1 ब्लॉक	24 म.रो.	का.अ. द्वारा कार्य समापन के उपरान्त जारी किए गए मा.रो.	24.48
5.	पंजाब	3 ग्रा.पं.	3 म.रो.	29 फरवरी 2011 के हेतु भुगतान को 31 सितम्बर 2011 को किया गया।	0.05
		2 ग्रा.पं.	2 म.रो.	कार्य निष्पादन से पहले भुगतान किया गया	0.51
6.	उत्तर प्रदेश	1 ग्रा.पं.	1 कार्य	कार्य निष्पादन से पहले भुगतान किया गया	0.04
		11 ग्रा.पं.	250 म.रो. (43 कार्य)	कार्य मापन से पहले / के बिना भुगतान किया गया	22.29
योग		**33 ग्रा.पं., 3 ब्लॉक तथा 8 जिले**			**1,230.83**

*** मॉ.सू.प्र. के अनुसार आंकड़े**

अनुबंध-7ढ

मस्टर रोलों में अपेक्षित विवरणों का दर्ज न किया जाना

(पैराग्राफ 7.5.7 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	ग्रा.प./ब्लॉक/ जिलें की संख्या	मस्टर रोलों की संख्या	मस्टर रोलों की कमियां	भुगतान की राशि (₹ लाख में)
1.	बिहार	7 जिले	--	विशिष्ट पहचान संख्या मस्टर रोलों में नहीं दी गई थी, केवल मुद्रित क्रम संख्या दर्ज	--
2.	हिमाचल प्रदेश	20 ग्रा.पं.	724	म.रो. में वि.प.सं. नहीं थी।	--
3.	झारखण्ड	1 ग्रा.पं.	17	श्रमिकों के नाम दर्ज नहीं थे	0.66
		12 ग्रा.पं.	85	कार्य की अवधि दर्ज नहीं थी	5.35
4.	कर्नाटक	5 ग्रा.पं.	21	जॉब कार्ड संख्या नहीं दी गई	1.34
5.	मणिपुर	1 ग्रा.पं.	322	कार्य का नाम, मजदूरी भुगतान और तिथि आदि दर्ज नहीं थे।	31.46
6.	पंजाब	37 ग्रा.पं.	--	विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं थी	--
7.	सिक्किम	4 ब्लॉक और 8 ग्रा.पं.	--	विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं थी	--
8.	तमिलनाडु	230 ग्रा.पं.	---	विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं थी	--
9.	लक्षद्वीप	3 ग्रा.पं.	35	विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज नहीं थी	--
		317 ग्रा.पं., 4 ब्लॉक और 7 जिले			

अनुबन्ध 8-क

निर्माण कार्य की कुल लागत के 40 प्रतिशत तक सामग्री घटक के प्रतिबंधित किए बिना निष्पादित किए गए निर्माण कार्य

(पैराग्राफ 8.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. प.	राशि (₹ करोड़ में)	अभियुक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	-	-	1,139.49	सामग्री एवं मजदूरी पर क्रमशः ₹1935.49 करोड़ तथा ₹ 54.51 करोड़ व्यय किए गए थे। सामग्री पर ₹1139.49 करोड़ अधिक खर्च किए गए थे जिनसे 10.63 करोड़ श्रम दिवसों सृजन किया जा सकता था।
2.	असम	7	-	-	46.70	सामग्री पर ₹ 46.70 करोड़ राशि की निधियों का अधिक उपयोग होने से 42.64 लाख श्रम दिवसों का कम सृजन हुआ।
3.	बिहार	5	7	19	7.94	
4.	गुजरात	-	1	-	0.54	25 जल निकासी कार्यों पर (फरवरी 2011) रू. 0.90 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय सामग्री घटक पर किया गया था।
5.	झारखण्ड	2	2	34	33.72	ब्लॉक एवं ग्रा.पं.स्तर पर ₹ 50.06 लाख सामग्री घटक पर अधिक खर्च किए गए थे। जिला स्तर पर सामग्री पर ₹ 33.22 करोड़ का अधिक व्यय करने के परिणामस्वरूप 38.073 लाख कम श्रम दिवसों का सृजन हुआ।
6.	पंजाब	1	1	30	2.98	-
7.	राजस्थान	3	7	101	36.31	जिला स्तर पर ₹ 14.28 करोड़, ब्लॉक स्तर पर ₹ 7.32 करोड़ तथा ग्रा.पं. स्तर पर 14.71 करोड़ सामग्री घटक पर अधिक व्यय किए गए थे।
8.	सिक्किम	1	-	2	1.11	सामग्री पर ₹1.11 करोड़ का अधिक व्यय करने से पूर्वी सिक्किम जिले में 1.56 लाख कम श्रम दिवसों का सृजन हुआ।
9.	त्रिपुरा	2	-	-	4.66	सामग्री पर ₹ 4.66 करोड़ का अधिक व्यय करने के कारण 5.48 लाख श्रम दिवसों का कम उत्पादन हुआ।
10.	उत्तर प्रदेश	-	-	460	10.95	-
11.	उत्तराखण्ड	4	-	-	0.26	सामग्री पर ₹ 0.26 करोड़ का अधिक व्यय करने से 21603 कम श्रम दिवसों का रोजगार सृजन हुआ।
12.	दादरा व नागर हवेली	-	-	3	0.07	-
	योग	**25**	**18**	**649**	**1,284.73**	

अनुबन्ध 8-ख
अमान्य निर्माणकार्यों का निष्पादन
(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	अमान्य निर्माणकार्यों की सं.	निष्पादित निर्माणकार्य का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	-	-	55	सीमेंट कंक्रीट सड़कें	2.96	--
		1	-	-	8	मिट्टी की सड़क	0.07	आठ सड़कों का निर्माण मजबूती हेतु कंकड़/पत्थर के बिना किया गया था।
2.	असम	-	3	-	10	पशुओं तथा अन्य जानवरों के लिए उत्थित फ्लेटफार्म का निर्माण	0.58	--
		-	4	-	10	शमशान भूमि का विकास कार्य	0.35	--
		-	2	-	15	मिट्टी/कच्ची सड़कें	1.22	--
3.	बिहार	1जिला तथा 1 संबद्धविभाग	2	12	49	जनरेटर शैड, पक्का प्लेटफार्म, जन सेवा अधिकार केन्द्र, पक्की सीमेंट कंक्रीट सड़कें	2.11	--
		-	3	-	52	वृक्षारोपण कार्य	0.45	बिहार सरकार द्वारा जारी मनरेगस दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके ब्लॉक स्तर पर वृक्षारोपण कार्य का निष्पादन किया गया था। इन दिशानिर्देशों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य केवल ग्रा.पं. स्तर पर किया जाना था।
4.	छत्तीसगढ़	1			6	आगन्तुकों का स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय/राज्यीय राजमार्गों पर सूचना बोर्ड तथा प्रवेश द्वारों का प्रतिस्थापन	0.31	

5.	गोवा	-	-	14	146	कच्ची सड़कें आदि	1.60	62 कच्ची सड़कों पर किए गए ₹ 0.70 करोड़ के व्यय सहित
6.	गुजरात	3	-	1	377	मिट्टी की सड़के, सीमेंट कंक्रीट सड़कें तथा सड़क निर्माणकार्य	6.68	मिट्टी की सड़कों पर ₹ 2.44 करोड़, 7 सीमेंट कंक्रीट की सडकों पर ₹ 0.31 करोड़ तथा सड़क निर्माण कार्य पर ₹ 3.93 करोड़ का व्यय किया गया था।
7.	हरियाणा	-	-	25	31	मिट्टी की सड़कें	1.06	ऊपरी सतह को मजबूत करने तथा निकासी जल के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया था।
		-	-	16	27	सीमेंट कंक्रीट/इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक सड़कें	0.80	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	26	97	कच्ची सड़कें	0.98	ऊपरी सतह को मजबूत करने तथा जल निकासी और पुलियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था।
		3	-	-	723	सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	42.15	तीन जिलो में, जि.का.म. जो ग्राह्य नहीं थे, में सड़कों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के 723 निर्माण कार्यों, लिए हिमाचल प्रदेश लो.नि.वि. को ₹ 42.15 करोड़ संस्वीकृति किए थे।
9.	झारखण्ड	6	-	-	1,176	मिट्टी मुर्रम निर्माणकार्य /मिट्टी की सड़कें	21.43	--
10.	कर्नाटक*	सम्पूर्ण राज्य	-	-	23,816	मिट्टी की सड़कें	77.30	23816 मिट्टी की सड़कों को पूरा किया गया था।
11.	केरल	2	2	-	15	ई.एम.एस. तथा इ.आ.यो. आवास योजना के अंतर्गत मकानों समुद्र भूक्षरण विरोधी कार्य व रबड़ वृक्षारोपण का संस्थापन निर्माण कार्य	0.97	मकानों के काउंडेशन कार्य पर ₹ 0.40 करोड़ , समुद्र भूक्षरण विरोधी कार्य पर ₹ 0.56 करोड़ तथा पौधारोपण पर 0.007 करोड़ का व्यय किया गया था।
		1	-	-	559	मिट्टी की सड़कें	2.22	--
12.	मध्य प्रदेश	-	-	69	132	मिट्टी मुर्रम निर्माणकार्य/मिट्टी की सड़कें	4.90	मिट्टी मुर्रम सड़कें उचित सुसंबद्धता, साइड दलानों, साइड नालियों, दुतरफा निकासी जल तथा अन्य अपेक्षित तकनीकी निविष्टियों के बिना निर्मित की गई थी।
		-	-	10	10	स्नान घाटों/सीढियों का निर्माण	0.34	--
		-	-	34	38	सीमेंट कंक्रीट सड़कें	0.66	--

		-	-	7	10	शमशान भूमि में चबूतरे का निर्माण, समतल बनाना तथा चारदीवारी बनाना	0.22	--
		-	-	8	11	जेट्रोफा वृक्षारोपण	0.09	--
13.	महाराष्ट्र	-	2	-	26	मिट्टी की सड़कें	0.85	लखानी ब्लॉक में , ₹ 0.73 करोड़ के 22 निर्माणकार्यों तथा खेमगांव में ₹ 0.12 करोड़ के चार निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था।
		6	-	-	5,160	ग्रामीण संयोजकता	46.32	संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर निर्मित की गई सड़कें सभी मौसम में पहुंच सड़के होना नहीं पाई गई थी।
14.	मणिपुर	-	-	52	119	सड़क निर्माणकार्य	10.73	संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर, नमूना जांच किए गए 119 निर्माण कार्य सभी मौसमों में पहुंच सडकें होना नहीं पाई गई थी।
15.	मिजोरम	2	-	-	43	मिट्टी की सड़कें	12.57	ग्रामीण संयोजन कार्य पर सामग्री का उपयोग किए बिना (लंगलेई जिले में 30 कि.मी. सड़क के लिए ₹ 3.30 करोड़ तथा लांगतलाई जिले के लिए 368 कि.मी. सड़कों के लिए ₹ 9.27 करोड़) ₹ 12.57 करोड़ का व्यय किया गया था। सृजित की गई परिसंपत्तियां टिकाऊ प्रकृति की नहीं थी।
16.	नागालैण्ड	3	-	-	45	सीमेंट कंक्रीट/ब्लैक टोपिंग द्वारा सड़क का सुदृढीकरण	10.01	--
		3	-	-	127	मिट्टी की सड़कें	17.09	--
17.	ओडिशा	-	10	-	568	सीमेंट कंक्रीट -सड़कें तथा मिट्टी की सड़कें	13.18	मिट्टी की सड़कों के निर्माण पर ₹ 12.36 करोड़ तथा सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर ₹ 0.82 करोड़ का व्यय किया गया था।
18.	पंजाब	-	-	52	67	समिति के लिए दीवार, सीमेंट कंक्रीट सड़कें, टयूवैल आदि का प्रतिधारण करना		--
19.	राजस्थान	-	-	48	66	सीमेंट कंक्रीट सड़को, विश्राम गृह निर्माण तथा कार्यालयी भवन की मरम्मत	5.62	--

		-	-	29	37	संयोजकता के बिना कंकड़ीली सड़कें	2.56	लेखापरीक्षा ने पाया कि 37 सड़कों के निर्माणकार्य का गांवों को संयोजकता किए बिना निष्पादन किया गया था तथा जनता के लिए उसका कोई लाभ नहीं था।
20.	तमिलनाडु	सम्पूर्ण राज्य	-	-	62,588	ग्रामीण संयोजकता कच्ची सड़क	1919.88	लेखापरीक्षा ने पाया कि 62,588 सड़क निर्माणकार्यों का सामग्री का उपयोग किए बिना निष्पादन किया गया था।
21.	त्रिपुरा	-	-	60	2,825	ऊपरी सतह के स्थिरीकरण के बिना कच्ची सड़कें तथा जंगल कटाई कार्य		2765 कच्ची सड़क के निर्माण पर ₹ 5.29 करोड़ तथा 60 जंगल कटाई कार्यों पर ₹ 0.50 करोड़ का व्यय किया गया था।
22.	उत्तर प्रदेश	-	-	393	2,265	मिट्टी की सड़कें	15.60	--
		2 जिले तथा 1 संबद्ध विभाग	12	84	272	पौधों की खरीद, इंटरलॉकिंग कार्य, मिट्टी भराई, आदर्श तालाबों का निर्माण तथा पानी अन्दर आने तथा बाहर जाने की जगह के बिना तालाब का निर्माण तथा पानी के स्त्रोत का अभाव	10.26	--
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	-	-	259	ग्रामीण संयोजकता	8.66	ग्रामीण संयोजकता निर्माणकार्य किसी सामग्री घटक के बिना निष्पादित किए गए थे।
24.	पुडुचेरी	-	1	-	155	जंगल कटाई कार्य	0.64	--
	योग	**40 जिले तथा 2 संबद्ध विभाग**	**41**	**940**	**1,01,995**		**2,250.41**	

* **आंकड़े मा.सू.प्र. के अनुसार**

अनुबन्ध - 8-ग
अयोग्य व्यक्तियों की भूमि पर निष्पादित किए गए निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.4 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लौक	ग्रा.पं.	अभ्युक्तियां
1.	असम	-	-	2	ग्रा.पं. के अध्यक्ष के पिता तथा आंचलिक परिषद सदस्य (अयोग्य लाभार्थियों की भूमियों पर क्रमशः ₹ 1.35 लाख तथा ₹ 1.40 लाख की लागत पर दो निर्माणकार्यों का निष्पादन किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन निर्माणकार्यों को जि.का.स. /ग्रा.प. द्वारा वार्षिक योजना में समाविष्ट नहीं किया गया था।
2.	गोवा	-	-	6	पानी के टैंक जैसे अनुमेय निर्माण कार्य अयोग्य व्यक्तियों की भूमि पर निष्पादित किया गया था तथा ₹ 11.44 लाख के गैर अनुमेय कार्य जैसे कि संरक्षण दीवार, कच्च सड़क, फुटपाथ अहाते की दीवार आदि अयोग्य व्यक्तियों के स्वामित्ववाली भूमि पर निष्पादित किया गया था।
3.	केरल	-	-	1	भूमि विकास कार्य उस मालिक की भूमि पर किया गया था जिके पास पांच एकड़ से अधिक की भूमि थी।
4.	उत्तर प्रदेश	-	-	52	निर्माणकार्यों का निष्पादन व्यक्तियों की स्थिति की पहचान किए बिना उनकी भूमि पर किया गया था।
	योग	**-**	**-**	**61**	

अनुबन्ध-8 -घ
परित्याग किए गए निर्माणकार्यों के विवरण
(पैराग्राफ 8.5के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.प.	अधूरे छोड़े गए निर्माण कार्य	निष्पादित किए गए निर्माणकार्य के प्रकार	खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	असम	-	-	1	1	सार्वजनिक मत्स्यपालन की खुदाई	0.04	निष्पादित भाग जलमग्न होने के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था।
		-	-	1	1	पुजाली बील के निकट पुजाली क्षेत्र में वनरोपण तथा बागवानी फार्म	0.08	--
		-	-	1	1	कटुराजन की सफाई	0.04	सार्वजनिक बाधाओं के कारण निर्माणकार्य पूरा नहीं किया गया था।
		-	-	3	3	सड़क तथा एग्री बंध का निर्माण	0.07	सार्वजनिक बाधाओं के कारण निर्माणकार्य पूरा नहीं किया गया था।
		1	-	-	40	ग्रामीण संयोजकता तथा लघु सिंचाई नहरें आदि	3.24	--
			-	1	1	बाढ़ संरक्षण बांध का प्रमुख भाग	0.31	नदी के किनारे पर प्रारंभिक एहतियाती संरक्षण कार्य का निष्पादन न करने के कारण निर्माण कार्य बाढ़ के पानी में बह गया था।
2.	छत्तीसगढ़	6	-	-	4,700	विभिन्न प्रकार के निर्माणकार्य	164.59	लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न समस्याओं के कारण 4,700 निर्माणकार्य ₹ 164.59 करोड़ का निष्फल व्यय करने के पश्चात रद्द कर दिये थे।
3.	गोवा	2	-	-	13	ग्रामीण संयोजकता, बाढ़ नियंत्रण तथा पांरपरिक जल निकायों का नवीकरण	0.10	--
4.	जम्मू एवं कश्मीर	-	8	-	484	सभी प्रकार के निर्माण कार्य	2.92	अनुवर्ती वर्षों में श्रम की अनुपलब्धता, भूमि विवाद, वन सफाई आदि प्रतीक्षित होने के कारण निर्माणकार्य बीच में छोड़ दिए गए थे।

5.	झारखण्ड	-	-	244	2,472	सिंचाई कुओं का निर्माण	1.72	इसके कारण कार्यनिष्पादन के दौरान कठोर चट्टान स्तरों का प्रकट होना तथा कार्य आदेश जारी करने में विलम्ब होना बताए गए थे।
6.	केरल	-	-	1	5	पानी संचित क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्य	0.04	--
7.	महाराष्ट्र	2	-	-	1,423	नाला सरलीकरण निर्माणकार्य तथा फार्म तालाब	34.22	1203 नाला सरलीकरण निर्माणकार्यों के निष्पादन के दौरान नाला सरलीकरण निर्माण कार्य को अनुज्ञेय कार्य से हटा दिया था। निर्माणकार्य पर ₹ 33.72 करोड़ का निष्फल व्यय करके उसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। 220 फार्म तालाओं के कार्य निष्पादन के दौरान श्रम समस्या तथा कठोर स्तर उत्पन्न हुआ। ₹ 0.05 करोड़ का निष्फल व्यय करके निर्माणकार्य बीच में ही छोड़ दिया गया था।
		-	-	1	1	पेयजल के लिए सार्वजनिक कुएं	0.01	--
8.	ओडिशा	-	6	-	23	ग्रामीण संयोजकता	0.49	--
9.	पंजाब	-	-	2	4	जंगली खर-पतवार की सफाई, तालाब का नवीकरण	0.03	--
10.	उत्तर प्रदेश	2	-	1	47	ईंट कार्य, खरंजा कार्य, पुलिया, पहुंच सड़क तथा जमीन की खुदाई	1.65	--
11.	लक्षद्वीप	-	1	-	1		0.02	--
	योग	**13**	**15**	**256**	**9,220**		**209.57**	

अनुबंध-8-ड़
निर्माणकार्य पर निष्फल व्यय के विवरण
(पैराग्राफ 8.5 के संदर्भ् में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. प.	निष्फल निर्माणकार्य की सं.	निष्पादित किए गए निर्माण कार्य का प्रकार	राशि रू. करोड़ में	अभ्युकतियां
1.	असम	-	-	1	1	पुथीमारी रिंग बंद तटबंध में जॉब कार्ड धारकों को कार्य पर लगाकर दरारे जोड़ना	0.08	निर्माणकर्य अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि रिंग बंध बाढ़ में बह गया था।
2.	बिहार	-	-	1	20	वृक्षारोपण कार्य	0.13	नदी के तटों को चौड़ा करने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा वृक्षारोपण हटा दिया गया था।
3.	छत्तीसगढ़	-	-	1	7	10 लाभार्थियों की भमि पर कुएं	0.03	निष्पादित किए गए निर्माणकार्य गिर गए थे।
4.	गुजरात	-	-	1	1	तालाब को गहरा करना	0.24	संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि तालाब में पानी अन्दर आने और बाहर जाने की जगह नहीं थी अतः तालाब को गहरा करने से तालाब की भण्डारण क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सका इस प्रकार, किया गया व्यय निष्फल था।
5.	केरल	-	-	1	1	कॉन्टूर बांध का निर्माण	0.37	निर्माणकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं था।
6.	पंजाब	-	-	1	1	तालाब का नवीकरण	0.02	तालाब का अनुरक्षण न किए जाने के कारण जंगली खर-पतवार पुनः आ गई थी तथा तालाब के नवीकरण पर किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।
7.	राजस्थान	-	-	3	4	नहरों का निर्माण	0.68	नहरों को जल के स्त्रोतों से जोडे बिना उनका निर्माण किया गया था।
		-	-	7	9	एनिकट रोक बांध, कच्चा बांध आदि का निर्माण	0.81	निर्माणकार्य पर्याप्त आवाह क्षेत्र को सुनिश्चित किए बिना तथा स्थल का गलत चयन करके निष्पादित किए गए थे।
	योग	**-**	**-**	**16**	**44**		**2.36**	

अनुबंध-8-च
अपूर्ण निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.5.के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	अपूर्ण निर्माण कार्यों की सं.	निष्पादित किए गए निर्माणकार्य का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	86	188	सभी प्रकार के निर्माणकार्य	4.73	-
2.	असम	-	-	8	10	भूमि विकास, ग्रामीण संयोजकता तथा माजराबड़ी की नहर प्रणाली	1.10	भूमि विवाद तथा निधियों की प्राप्ति न होने के कारण निर्माणकार्य पूर्ण नहीं किया गया था।
3.	बिहार	3 जिले तथा 3 संबद्धविभाग	10	41	754	मिट्टी की ईटें, पुलिया जैसे पक्के निर्माणकार्य	12.64	--
4.	छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़	6	-	-	29,636	सभी प्रकार के निर्माणकार्य	902.37	संबद्धविभाग अर्थात लो.नि.वि. डब्ल्यू.आर.डी., आर.ई.एस, वन, कृषि तथा रेशमकीट पालन विभाग और ग्रां.पं. को दिए गए निर्माणकार्य अधूरे थे।
		2	-	-	98	वाटर वाउंड्ड मैकेडेम (वा.बा.मै. सड़क का निर्माण	4.47	--
		1	-	-	399	सड़क निर्माण कार्य, तालाबों /टैंकों का उन्नयन, भूमि विकास आदि	3.26	पर्याप्त सरकारी भूमि तथा ठोस कार्य हेतु समय पर रोलर की गैर उपलब्धता के कारण निर्माणकार्य अपूर्ण थे।
5.	गुजरात	-	4	-	392	सार्वजनिक कुआं	5.25	--
6.	झारखण्ड	6	-	-	2,949	कुओं, तालाबों, सड़को आदि का निर्माण	27.91	निर्माणकार्य, गलत नियोजन कार्य की धीमीप्रगति, बहु निर्माणकार्यों में एक ग्राम रोजगार सहायक को लगाने से अपूर्ण रहे।
7.	कर्नाटक*	सम्पूर्ण राज्य	-	-	7,33,897	सभी प्रकार के निर्माण कार्य	3,057.11	--

8.	मणिपुर	-	2	-	5	सार्वजनिक कुओं का निर्माण तथा रबड़ पौधारोपण	0.17	--
9.	ओडिशा	-	8	-	266	अ.जा./अ.ज.जा./ग.रे.नी. परिवारों तथा इ.गां.आ. योजना के लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई की सुविधा देने के लिए बहुउद्देशीय फार्म तालाबों की खुदाई, बागवानी पौधारोपण तथा भूमि विकास सुविधा	0.53	--
10.	राजस्थान	-	-	76	205	कंकड़ीली सड़कें	7.04	--
		-	-	174	664	सभी प्रकार के निर्माणकार्य	36.58	निर्माणकार्य 2008-09 से अधूरे थे।
11.	त्रिपुरा	-	2	-	26	सभी प्रकार के निर्माणकार्य	1.87	निर्माणकार्य स्थल समस्या, आरंभ करने में विलम्ब निर्माण काय की धीमी प्रगति, ईटों की समय पर आपूर्ति न होने के कारण एक से चार वर्षों तक अधूरे थे।
12.	उत्तर प्रदेश	2	1	8	23	ईंट मिट्टी कार्य, खंरचा कार्य, पुलिया, पहुंच सड़क तथा जमीनी कार्य	0.29	--
13.	पुडुचेरी	-	-	10	63	तालाबों को गहरा तथा गाद रहित करना	5.44	निर्माणकार्य दो वर्षों से अधिक समय तक अपूर्ण रहे थे।
	योग	**20 जिले तथा 3 संबद्ध विभाग**	**27**	**403**	**7,69,575**		**4,070.76**	

* **आंकड़े मा.सू.प्र. के अनुसार**

अनुबंध 8-छ
वृक्षारोपण योजना पर निष्फल व्यय के विवरण
(पैराग्राफ 8.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	निष्फल रोपण कार्यों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	21	49	0.42	छोटे पौधे तथा आम के रोपण जीवित नहीं रह सके क्योंकि कार्य का असमय निष्पादन किया गया था और पानी की कमी थी।
2.	बिहार	-	-	66	882	2.06	--
3.	गुजरात	-	-	5	8	0.03	वृक्षारोपण उसका अनुरक्षण् न होने के कारण जीवित नहीं रह पाए।
4.	केरल	-	-	7	47	0.24	--
5.	मणिपुर	-	-	3	4	0.11	--
		-	-	5	6	0.27	--
		4	-	-	124	4.35	--
6.	मिजोरम	-	1	-	123	3.24	स्थानीय रूप से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बीजों के ₹ 5.82 लाख के वृक्षारोपण जीवित नहीं रह पाए।
7.	राजस्थान	-	-	49	329	1.15	केवल 0 से 23 प्रतिशत तक के वृक्षारोपण कार्य जीवित थे।
8.	उत्तर प्रदेश	-	-	46	55,344	0.32	--
	जोड़	**4**	**1**	**202**	**56,916**	**12.19**	

अनुबंध-8ज
टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन न करना
(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

क्र.स.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	कार्य की सं.	कार्य की प्रकार	(राशि ₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य	-	-	2,64,652	प्रत्येक ब्लॉक में 1000 बोरीबांधों का निर्माण	101.25	निर्माणकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं था।
2.	केरल	सम्पूर्ण	-	-	-		2,483.90	राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्माणकार्य सामग्री घटक के बिना निष्पादित किए गए थे।
3.	मिजोरम	-	-	27	27	बाढ़ नियंत्रण हेतु साइड जलनिकासों का निर्माण		बाढ़ नियंत्रण हेतु 27 साइड जलनिकासों का निर्माण सामग्री घटक के बिना आरंभ किया गया था।
4.	तमिलनाडु	सम्पूर्ण राज्य	-	-	1,24,598	तालाबों, लघु सिंचाई टैंकों, आपूर्ति चैनलों तथा सिंचाई कुओं की गाद निकालना	3,921.87	निर्माणकार्य सामग्री घटक के बिना निष्पादित किए गए थे।
5.	पश्चिम बंगाल	-	-	24	293	मिट्टी की सड़कें	6.53	--
6.	पुडुचेरी	-	-	97	2,381	तालाबों को गहरा करना, चैनलों की गाद निकालना, जंगल की कटाई आदि	33.18	--
योग		**-**	**-**	**148**	**3,91,951**		**6,547.35**	

अनुबंध-8-झ
सामग्री की खरीद में अनियमितताएं
(पैराग्राफ 8.8 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.प.	खरीदी गई मदों की सं.	खरीदी राशि गई मद का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभियुक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1 जिला तथा 1 संबद्ध विभाग	-	-	-	पॉलीथिन बैगों, पानी भण्डारण टैंक, सागौन स्टम्प, पानी देने वाले चल टैंकरों की आपर्ति	3.37	मदों/सामग्री की खरीद हेतु बोलियां आमंत्रित नहीं की गई थी।
		-	1	-	-	ग्रा.सं.प. निर्माणकार्यों में साईन बोर्डों की आपूर्ति हेतु नर्सरी तथा ग्रामीण संयोजकता परियोजना (ग्रा.सं.प.) निर्माणकार्य	0.07	नर्ससरी तथा ग्रा.सं.प.निर्माण कार्यों के संबंध में भुगतान आपूर्तिकर्ता/डब्ल्यू.ई.एम. के अलावा अन्य फर्मों को किए गए थे।
		1	-	-	-	जल के प्लास्टिक कंटेनरों का अधिप्रापण	0.30	अधिप्रापण हेतु निर्धारित प्रतिमान /प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	-	6	-	1,32,681	सीमेंट बैग की खरीद	4.67	अधिप्रापण हेतु निर्धारित प्रतिमान /प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
3.	झारखण्ड	1	-	-	-	सभा कक्ष की सजावट	0.13	मैसर्स सनराइज रोडलाइन्स कंस्ट्रक्शन डिविजन चैबासा द्वारा सामग्री की आपूर्ति, सजावट तथा विद्युतीकरण का कार्य अनुमान तैया करने तथा प्रशासनिक अनमोदन से पूर्व किया गया था जो कि अनियमित था। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत यह अनुज्ञेय निर्माणकार्य नहीं था।
		-	-	47	-	सामग्री की अधिप्रापण	11.93	अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री जैसे बोल्डर्स, मेटल, चिप्स, मुर्रम आदि की अधिप्राप्ति पर ₹ 11.93 करोड़ का व्यय किया गया था।
4.	नागालैंड	1	-	-	-	औजारों तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति	0.66	अधिप्रापण हेतु निर्धारित प्रतिमान/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

5.	उत्तर प्रदेश	1	-	-	954	₹ 2,350 की दर पर स्टील अलमारी	0.24	अलमारियां निविदाएं आंत्रित किए बिना खरीदी गई थी।
		1		-	21	₹13990 की दर पर वीडियो कैमरे की खरीद	0.03	वीडियो कैमरे निविदाएं आपंत्रित किए बिना खरीदे गए थे।
		1		-	970	₹ 5,300 की दर पर डिजिटल कैमरे की खरीद	0.51	डिजीटल कैमरे निविदाएं आमंत्रित किए बिना खरीदे गए थे।
		-	3	-	-	निर्माण सामग्रियों की खरीद	1.04	निर्माण सामग्री निविदाएं आपंत्रित किए बिना खरीदी गई थी।
	योग	**7 जिले तथा 1 संबद्ध विभाग**	**10**	**47**			**22.95**	

अनुबन्ध - 8ञ
स्थल पर सामग्री का लेखांकन न करना
(पैरा 8.9 के संदर्भ में)

क्र. स.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	सामग्री की खरीद का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	-	-	बीज/बालवृक्षों का अधिप्रापण		डी एफ ओ, हैदराबाद ने स्टॉक की वास्तविक प्राप्ति/स्टॉक प्राप्त करने से पूर्व स्टॉक सुनिश्चित किए बिना आपूर्तिकत्ताओं को भुगतान किया था।
2.	असम	-	-	14	कंकडीली रेत, स्टोन चिप्स, सीमेंट, बलैक वॉयर, बांस लकड़ी का तख्ता आदि	6.12	ग्रा.पं. स्तरों पर अधिप्राप्त सामग्री के संबंध में कोई स्थल लेखा अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा इसके परिणामस्वरूप ₹6.12 करोड़ मूल्य की सामग्रियां अलेखाबद्ध रही।
		-	2	11	कंकडीली रेत, स्टोन चिप्स, सीमेंट, ब्लैक वॉयर, लकड़ी का तखता आदि	43.28	--
		-	-	11	27 योजनाएं	0.53	लेखापरीक्षा ने पाया कि 27 योजनाओं में कोई स्टॉक पुस्तिका तथा स्थल लेखे का अनुरक्षण किए बिना सामग्री के अधिप्रापण पर ₹ 0.53 करोड़ खर्च किए गए ।
	योग	**1**	**2**	**36**		**50.88**	

अनुबन्ध-8-ट
अनन्य पहचान संख्या दिए बिना निष्पादित किए गए निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.10 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	--
2.	बिहार	15	विकास योजना में अन्नय पहचान संख्या अंतर्विष्ट नहीं थी तथापि मॉ.सू.प्र. में प्रविष्टि करते समय वह दी गई थी।
3.	गुजरात	6	मॉ.सू.प्र. में प्रविष्टि करते समय अन्नय पहचान संख्या प्रणाली द्वारा उत्पन्न कर दी गई थी, तथापि श्रम बजट अनुमान बनाते समय तकनीकी और प्रशासनिक संस्वीकृति के समय काई पहचान संख्या नहीं दी गई थी।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	6	अनन्य पहचान संख्या न तो वार्षिक कार्य योजनाओं में और न ही प्रगति प्रतिवेदनों में दर्शाई गई थी।
5.	केरल	4	वार्षिक कार्य योजना में अनन्य पहचान संख्या नहीं दी गई थी। तथापि, प्रत्येक निष्पादन कार्य हेतु मॉ.सू.प्र. में विशिष्ट पहचान संख्या गई थी।
6.	महाराष्ट्र	2	अनन्य पहचान संख्या मनरेगस की मॉ.सू.प्र. में मस्टर रोल प्रविष्ट करते समय दी गई थी। तथापि विकास योजना में विशिष्ट पहचान संख्या अंतर्विष्ट नहीं थी।
7.	मणिपुर	4	-
8.	नागालैण्ड	3	वर्ष के दौरान या अनुवर्ती वर्ष में, चरणबद्ध रूप में निष्पादित किए गए एक ही निर्माणकार्य के लिए विभिन्न विशिष्ट पहचान संख्या दी गई थी।
9.	पंजाब	2	स्थलों, जहां निर्माणकार्य निष्पादित किए जाने थे, कि प्लाट संख्या दर्शाने की कोई प्रणाली नही थी इसलिए प्रत्येक निर्माणकार्य का कोई विशिष्ट स्थल संख्या नहीं है।
10.	राजस्थान	1	जैसलमेर जिले में, संस्वीकृति के समय प्रत्येक निर्माणकार्य के लिए कोई अनन्य पहचान संख्या उत्पन्न नहीं की गई थी।
11.	तमिलनाडु	6	--
12.	त्रिपुरा	2	वार्षिक कार्य योजना तथा परिसम्पत्ति पंजिका में शामिल प्रत्येक निर्माणकार्य के प्रति अनन्य पहचान संख्या दर्शाई नहीं गई थी। तथापि, मॉ.सू.प्र. में डाटा प्रविष्ट करते समय में ये संख्याएं उत्पन्न की गई थी।
13.	उत्तर प्रदश	10	--
14.	लक्षद्वीप	1	--
	योग	**66**	

अनुबंध -8-ठ
संबद्ध विभाग के सहयोग के बिना निष्पादित निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.11 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	अभ्युक्तियां
1.	केरल	4	--
2.	मिजोरम	2	राज्य सरकार ने ग्राम परिषद के अलावा सरकार के संबद्ध विभाग को कार्यान्वयन अभिकरण के रूप अधिसूचित किया। तथापि, यह पाया गया था कि ग्राम परिषदों द्वारा सभी निर्माणकार्य किसी संबद्ध विभाग को शामिल किए बिना निष्पादित किए गए थे।
3.	नागालैण्ड	3	--
4.	उत्तर प्रदेश	18	--
	योग	**27**	

अनुबंध-8ड
ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.12 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राजय का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	असम	1	-	-	0.21	लकड़ी के पुल के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा ठेकेदार को नियुक्त किया गया था।
2.	छत्तीसगढ़	5	-	-	3.96	मॉ.सू.प्र. में डाटा प्रविष्ट करने के लिए एक प्रतिष्ठान को ठेका दिया गया था।
		1	-	-	0.22	मॉ.सू.प्र. में डाटा प्रविष्ट करने के लिए एक प्रतिष्ठान को ठेका दिया गया था।
3.	केरल	-	1	-	0.03	जिला कृषि फार्म, पीरिंगामाला मं छप्पर डालने वाले शैडों तथा शौचालयों के निर्माण हेतु ठेकेदार को नियुक्त किया गया था।
4.	नागालैण्ड	-	-	1	0.39	सफाई जलनिकासी के निर्माण हेतु ₹ 33.80 लाख तथा सिंचाई की नहर के निर्माण के लिए ₹ 5.26 लाख की निधियां विश्राम गृह तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण के लिए विपथित कर दी गई थी। इसके अतरिक्त, यह पाया गया था कि विश्राम गृह तथा पी.एच.सी. भवनों के निर्माण हेतु ठेकेदार को लगाया गया था।
5.	उत्तर प्रदेश	-	-	1	0.02	ठेकेदार को 7,356 वृक्षारोपण कार्यों के लिए लगाया गया था।
	योग	**7**	**1**	**2**	**4.83**	

अनुबंध-8-ढ़
निर्माणकार्यों का मशीनरी उपयोग के साथ निष्पादन
(पैराग्राफ 8.13 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	बिहार	-	-	33	0.23	50 निर्माणकार्यो के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया गया था।
2.	कर्नाटक	संपूर्ण राज्य	-	-	15.94	ग्रामीण संयोजकता निर्माण कार्यों पर जे.सी.बी. मशीनों का प्रयोग किया गया था।
3.	मणिपुर	3	-	-	1.56	नमूना जांच किए गए 600 निर्माणकार्यों में से 9 निर्माणकार्यों में भारी मशीनरी का उपयोग किया गया था।
4.	ओडिशा	-	1	1	0.06	एक तालाब के निर्माण हेतु जे.सी.बी. मशीन तथा ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया था।
5.	पंजाब	-	-	6	0.02	आठ निर्माणकार्यों मे जे.सी.बी. मशीन तथा मिक्सर मशीन का उपयोग किया गया था।
6.	त्रिपुरा	1	-	-	0.40	तीन निर्माणकार्यो में मशीनरी का उपयोग किया गया था।
	योग	**4**	**1**	**40**	**18.21**	

अनुबंध-8ण
प्रशासनिक तथा तकनीकी संस्वीकति के बिना निर्माणकार्य का निष्पादन
(पैराग्राफ 8.14 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	निष्पादित किए गए निर्माणकार्यों की संख्या/प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	-	1	-	14	2.18
2.	असम	-	-	**1**	(i) नयापुरा से बहाटी लो.नि.वि. रोड तक सड़क का निर्माण तथा (ii) नयापारा हाई मदरसा से डाबरपुर तक सड़क का निर्माण	0.10
		-	-	1	डंडपुर निकट जमुना नदी पर कटाव संरक्षण कार्य	0.28
		-	-	6	11	0.32
3.	छत्तीसगढ़	-	-	1	40 हेक्टरयेर क्षेत्र में एक लाख् पौधों का रोपण	1.08
4.	मिजोरम	-	-	27	0	3.61
5.	ओडिशा	-	7	-	69	1.55
6.	उत्तर प्रदेश	1	6	17	237	13.25
	योग	**1**	**14**	**53**	**334**	**22.37**

अनुबंध-8-त
परियोजना पर संस्वीकृत अनुमान से अधिक आधिक्य व्यय
(पैराग्राफ 8.14 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	निर्माणकार्य की सं.	व्यय की गई आधिक्य राशि (₹. करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	हरियाणा	-	-	1	1	0.02	तालाब के उत्खनन पर ₹ 0.04 करोड़ के संस्वीकृति अनुमान के प्रति ₹ 0.06 करोड़ का व्यय किया गया था।
2.	झारखण्ड	-	-	3	4	0.04	₹ 0.24 करोड़ के संस्वीकृत अनुमान के प्रति ₹ 0.28 करोड़ का व्यय किया गया था।
3.	मेघालय	-	1	-	112	0.40	112 परियोजनाओं पर अंतिम व्यय संस्वीकृति अनुमान से ₹ 0.40 करोड़ तक बढ़ गया था।
4.	नागालैण्ड	-	-	-	2	0.26	दो आधारभूत परियोजनाएं ₹ 0.14 करोड़ की अनुमानित राशि के प्रति ₹ 0.40 करोड़ की लागत पर पूर्ण की गई थी।
5.	पश्चिम बंगाल	-	-	4	5	0.06	--
	योग	**-**	**1**	**8**	**124**	**0.78**	

अनुबंध-8-थ
कार्यस्थल बोर्डों का प्रदर्शन किए बिना निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.15 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	अभ्युक्तियां
1.	गुजरात	6	परियोजनाओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि कार्य आरम्भ होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि तथा कार्य का अन्य तकनकी विवरण दर्शाने वाला कार्यस्थल बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था।
2.	महाराष्ट्र	9	1,164 निर्माणकार्यों में कार्यस्थल बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
3.	मणिपुर	4	कार्यस्थल बोर्डों पर कार्य आरम्भ करने की तिथ, कार्यपूर्ण होने की तिथि तथा कार्य के अन्य तकनीकी विवरण नहीं दर्शाए गए थे।
4.	नागालैण्ड	3	परियोजनाओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर यह पाया गया था कि कार्य स्थल बोर्ड प्रदशित नहीं किए गए थे।
5.	ओडिशा	8	नमूना जांच किए गए 573 निर्माणकार्यों में कार्यस्थल बोर्ड पाए नहीं गए थे।
6.	राजस्थान	8	नमूना जांच किए गए 1190 निर्माणकार्यों में कार्यस्थल बोर्ड नहीं पाए गए थे।
7.	त्रिपुरा	2	234 मामलों में कार्यस्थल बोर्ड नहीं पाए गए थे।
8.	उत्तर प्रदेश	18	नमूनां जांच किए गए 3599 निर्माणकार्यों में पूर्ण विवरण सहित कार्यस्थल बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
9.	पश्चिम बंगाल	1	जलपाई गुड़ी जिले में सभी चयनित कार्यस्थलों पर कार्यस्थल बोर्ड नहीं पाए गए थे।
योग		**59**	

अनुबंध-8-द
राज्य/जिला दर-अनुसूची (द.अ.) का नहीं बनाया जाना
(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	राज्यों/जिलों के लिए मनरेगस निर्माणकार्यों हेतु कोई द.अ. तैयार नहीं की गई थी। ब्लॉकों द्वारा निर्माणकार्यों के अनुमान लो.नि.वि. की मद दरों के आधार पर तैयार किए गए थे।
2.	बिहार	15	राज्य सरकार ने, मनरेगस निर्माणकार्यों के लिए द.अ. तैयार नहीं की थी। लोक निर्माण विभाग की द.अ. को कार्यान्यन अभिकरणों द्वारा अपनाया गया था।
3.	केरल	4	नमूना जांच किए गए चार जिलों में से, मनरेगस हेतु जिला द.अ. केवल कोहटायम में दी बनाई गई थी।
4.	मणिपुर	4	मनरेगस निर्माणकार्यों हेतु कोई पृथक दर अ. निर्धारित नहीं की गई थी(विस्तृत कार्य, समय तथा गति अध्ययनों पर आधारित)। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई मणिपुर दर अनुसूची (म.द.अ.) का मनरेगस निर्माणकार्यों के अनुमान तैयार समय उपयोग किया गया था।
5.	पंजाब	6	राज्य द्वारा मनरेगस हेतु कोई पृथक द.अ. तैयार नहीं की गई थी।
6.	सिक्किम	2	कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सिक्किम लो.नि.. निर्माणकार्य की 2006 की द.अ. को अपनाया गया था।
योग		**35**	

अनुबंध-8-ध
निर्माणकार्यों के मापन के बिना भुगतान
(पैराग्राफ 8.17 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. पं.	निर्माण कार्यों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	असम	-	-	1	4	0.07	क.अ./स.अ. द्वारा निर्माणकार्यो की माप दर्ज किए बिना श्रमिकों को मजदूरी दी गई थी।
		-	-	6	21	0.70	21 निर्माणकार्यों में, मा.पु. में माप दर्ज किए बिना ₹ 0.70 करोड़ का व्यय किया गया था।
2.	बिहार	-	1	8	27	0.68	--
3.	झारखण्ड	-	-	20	587	9.16	निर्माणकार्य के मापन को योग्य तकनीकी कार्मिकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
		-	1	-	1	0.19	यदि निर्माणकार्य का मूल्य ₹ 1.00 लाख से बढ़ जाता है तो निर्माणकार्य के माप का अंतिम रूप से कार्यकारी अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, यह पाया गया था कि भारनो ब्लॉक में कार्यकारणी अभिकरण को कार्यकारी अभियंता के अनुमोदन के बिना ₹ 0.19 करोड़ का भुगतान किया गया था।
4.	केरल	-	-	1	45	0.13	निर्माणकार्य के निष्पादन के दौरान माप लिए बिना ₹ 0.13 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह भी देखा था कि मा.पु. में कार्यस्थल के स्थान के उचित विवरण के बिना माप दर्ज किए गए थे तथा इस प्रकार निर्माणकार्यों को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।
5.	तमिलनाडु	-	-	4	7	0.29	मस्टर रोल भुगतानों के संबंध में तकनीकी स्टाफ द्वारा माप न तो दर्ज किए गए और न ही प्रामाणिक किए गए थे।
		-	-	8	8	0.12	₹ 0.12 करोड़ मूल्य के मस्टर रोज पारित करके उनका भुगतान किया गया। यह पाया गया था कि निर्माणकार्यों की मा.पु. में ब्लॉकों के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा मस्टर रोल भुगतानों हेतु पारित आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।
6.	उत्तर प्रदेश	-	-	5	9	0.09	भुगतान निर्माणकार्यों के माप के बिना किए गए थे।
	योग	**-**	**2**	**53**	**709**	**11.43**	

अनुबंध-8-न
कार्यस्थल सुविधाओं का अभाव
(पैराग्राफ 8.18 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	अभ्युक्तियां
1.	गुजरात	5	कार्यस्थल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई थी
2.	केरल	4	बालबाड़ी के अतिरिक्त कार्यस्थल सुवुधाएं उपलब्ध करायी गई थी।
3.	राजस्थान	1	लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला परिषद से दिसम्बर 2010 की समाप्ति तिथि वाली ₹ 0.36 लाख की 100 चिकित्सा किटें 19 जून 2010 को प्राप्त की गई थी तथा इन्हें मनरेगस श्रमिकों को दिसम्बर 2010 से जून 2011 के बीच वितरित किया गया था।
4.	सिक्किम	2	छः वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों के लिए बालबाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
5.	तमिलनाडु	3	कार्यस्थल सुविधाएं जैसे शैड तथा बालबाड़ी उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
6.	उत्तर प्रदेश	18	पेयजल के अलावा कोई कार्यस्थल सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई थी।
7.	पश्चिम बंगाल	5	नमूना जांच किए गए ग्रा.पं. में किसी में भी कार्यस्थलों पर बच्चों हेतु बालबाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
8.	पुडुचेरी	2	कार्यस्थल पर कार्यस्थल सुविधाएं जैसे पेय जल, शैड प्राथमिक चिकित्सा तथा बालबाड़ी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।
योग		**40**	

अनुबंध-8-प
स्तरीय फोटोग्राफ के बिना निर्माणकार्य
(पैराग्राफ 8.19 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	निर्माणकार्यों की पूर्व-मध्य-पश्च कार्य परियोजना स्तरों को फोटोग्राफ सहित दर्ज नहीं किया गया था।
2.	असम	2	निर्माणकार्यों की पूर्व-मध्य -पश्च स्तरों के कोई फोटोग्राफ दर्ज नहीं किए गए थे
3.	गुजरात	6	नमूना जांच कए गए किसी भी निर्माणकार्य में तीन स्थितियों वाले फोटोग्राफ दर्ज नहीं पाए गए थे।
4.	कर्नाटक*	सम्पूर्ण राज्य	पूर्ण किए गए 5.25 लाख निर्माणकार्यों के संबंध में पूर्व-मध्य-पश्च निर्माणकार्यों की स्तरों के फोटोग्राफ अपलोड नहीं किए गए थे। अन्य 10490 निर्माणकार्यों के संबंध में केवल एक या दो स्तरों के फोटोग्राफ अपलोड किए गए थे।
5.	केरल	4	2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में कार्यस्थल के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
6.	महाराष्ट्र	9	बुलढाना में वन विभाग द्वारा किए गए निर्माणकार्य के अतिरिक्त पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए हैं।
7.	मणिपुर	2	टेमेंगलोंग तथा थोबाल जिलों के 40 ग्रा.पं. में पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
8.	नागालैण्ड	3	नमूना जांच किए गए 54 ग्रा.पं. में से 15 ग्रा.पं. में पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
9.	ओडिशा	8	प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षित 1333 निर्माणकार्यों में से 1098 निर्माणकार्यों में पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं थे।
10.	तमिलनाडु	2	निर्माणकार्यों के पूर्व-मध्य-पश्च स्थितियों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
11.	उत्तर प्रदेश	12	निर्माणकार्यों का संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया था कि 2169 निर्माणकार्यों के पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे और संबंधित निर्माणकार्य मिसलों के साथ संलग्न नहीं पाए गए थे।
12.	लक्षद्वीप	1	ग्रा.प. द्वारा निर्माणकार्यों की पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए। अनुरक्षित नहीं किए गए थे इसलिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए गए थे।
13.	पुडुचेरी	2	निर्माणकार्यों के पूर्व-मध्य-पश्च स्तरों के फोटोग्राफ नहीं लिए गए थे।
योग		**55**	

* **आंकड़े मा.सू.प्र. के अनुसार**

अनुबंध-8-प
परियोजना समापन प्रतिवेदन (प.स.प्र.) का जारी न किया जाना
(पैराग्राफ 8.19 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	निष्पादित निर्माणकार्यों की सं.	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	-	पूर्ण हुए निर्माणकार्यों के संबंध में परियोजना समापन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।
2.	असम	2	-	कामरूप (आर) तथा परवी एंगलोग जिलों में प.स.प्र. तैयार नहीं किए गए थे।
3.	बिहार	15	-	पूर्ण हुए किसी भी निर्माणकार्य में प.स.प्र. संलग्न नहीं पाए गए थे।
4.	गुजरात	6	923	नमूना जांच किए गए किसी भी निर्माणकार्य के अभिलेख में प.स.प्र. नहीं पाए गए थे।
5.	हिमाचल प्रदेश	4	15,366	₹ 120.41 करोड़ के पूर्ण हुए दर्शाए गए 15,366 निर्माणकार्यों के संबंध में प.स.प्र. तैयार नहीं किए गए थे और अभिलेख में नहीं रखे गए थे। जिम्मेदार अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किसी प.स.प्र. के अभाव में पूर्ण किए गए निर्माण्कार्यो की प्रमाणिकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।
6.	कर्नाटक*	सम्पूर्ण राज्य	5,69,000	2008-12 के दौरान पूर्ण हुए दर्शाए गए 5.59 लाख निर्माण कार्यों में से 4.07 लाख के संबंध में प.सृ.प्र. सू.प्र. में अपलोउ नहीं किए गए थे।
7.	केरल	2	-	प.स.प्र तैयार नहीं किए गए थे।
8.	नागालैण्ड	3	145	13 ग्रा.पं. में 145 निर्माणकार्यों के संबंध मे प.स.प्र. उपलब्ध नहीं थी।
9.	पंजाब	3	2,446	चयनित ग्रा.पं. मे किसी भी निर्माणकार्य के संबंध में प.स.रि. तैयार नहीं की गई थी।
10.	राजस्थान	7	307	307 निर्माणकार्य पूर्ण हुए दर्शाए गए थे लेकिन उनकी प.स.प्र. जारी नहीं किए गए थे।
11.	सिक्किम	2	80	प.स.प्र. अभिलेखे में नहीं रखे गये थे।
12.	तमिलनाडु	2	322	प.स.प्र. तैयार नहीं रखे गये थे।
13.	त्रिपुरा	2	600	मस्टर रोल के आवरण पृष्ठ के रिकार्ड बनाने के अतिरिक्त पृथक प.स.प्र जारी नहीं किये गये थे।
14.	उत्तर प्रदेश	16	3,091	₹ 38.22 करोड़ के 3091 निर्माणकार्यों के संबंध में प.स.प्र. निर्माणकार्य की संबंधित फाईलों में नहीं रखे गये थे।
15.	पश्चिम बंगाल	5	-	प.स.प्र. प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी।
16.	पुडुचेरी	2	-	प.स.प्र. प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी।
योग		**75**	**5,92,280**	

* **आंकड़े मा.सू.प्र. के अनुसार**

अनुबंध-8फ
संदेहास्पद/डुप्लीकेट निर्माणकार्य का निष्पादन/संदिग्ध भुगतान
(पैराग्राफ 8.20 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला	ब्लॉक	ग्रा. पं.	निर्माणकार्य की सं.तथा प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	8	-	सिल्ट ले जाने के लिए ट्रैक्टरों का वाहन प्रभार	3.05	ग्रा.पं. द्वारा निर्माणकार्य कार्यकारी सदस्यों (नि.का.स.) के रूप में नामित किए जाने के उपरान्त, सामग्री भुगतानों के उद्देश्य हेतु भारी धनराशियां सरपंच, वार्ड तथा मंज़ल परिषद क्षेत्रीय परिषद सदस्यों, के बैंकखातों में क्रेडिट की गई थी। सिल्ट -परिवहन के उद्देश्य हेतु सरपंच /तकनीकी सहायक के आठ संयुक्त खातों में इस प्रकार के भुगतान ₹ 3.05 करोड़ के थे जिनके या तो कोई अभिलेख नहीं थे या असत्य/जाली अभिलेख सृजित किए गए थे।
2.	असम	-	1	-	2	0.13	दो आंचलिक परिषद स्तर के निर्माणकार्यो का संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।
		-	1	-	12	0.21	संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया था कि बागवानी के 12 निर्माणकार्य विद्यमान नहीं थे। संबंधित अनुमान मा.पु. तथा वाउचर भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
		1	-	-	10	0.22	संयुक्त भौतिक सत्यापन और लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया था कि आं.प. /जि.प. द्वारा निष्पादित दर्शाए गए ₹ 0.22 केराड़ के 10 निर्माणकार्य (ग्रामीण संयोजकता) भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।
		-	1	-	3	0.16	तीन सड़कों के निर्माण पर ₹ 0.23 करोड़ का व्यय किया गया था जिसमें से रू. 0.16 करोड़ कंकड़ीली रेत की अधिप्राप्ति करने पर व्यय किए गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मस्टर रोल में कंकड़ीली रेत का उपयोग करने की कोई प्रविष्टि नहीं थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि इन सड़कों पर कंकड़ीली रेत का छिड़काव नहीं किया गया था।
		-	-	1	-	0.02	नदी के कटाव से उदालगुड़ी गांव तथा उसके 10 निकटवर्ती गांवों के संरक्षण निर्माणकार्य के संबंध में रू. 0.02 करोड़ के मस्टर रोल बिल भुगतान हेतु पारित किए गए थे। यह पाया गया था कि इन म.रो. बिलों में 188 लाभार्थियों के नाम उनकी पहचान संख्य तथा बैंक/डाक घर खाता संख्या दर्शाए बिना दर्ज किए गए थे।
		-	-	8	21	0.31	क्षेत्रीय विकास तथा ग्रामीण संयोजकता के 18 पूर्ण निर्माणकार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दौरन यह पाया गया था कि निर्माणकार्यों का अनुमानों के अनुसार निष्पादन नहीं किया गया था। निष्पादित किए गए निर्माणकार्यों की लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में कमियां थी। इस प्रकार निर्माणकार्य का ₹0.24 करोड़ तक कम निष्पादन हुआ था। भूमि विकास के तीन निर्माणकार्यों में भी रू. 0.07 करोड़ तक कम निष्पादन किया गया था।
		-	-	11	12	0.09	₹ 0.09 करोड़ मूल्य की सामग्री निर्माणकार्य पूर्ण होने के बाद अधिप्राप्त की गई थी।

3.	बिहार	-	-	18	-	0.22	निर्माणकार्यों हेतु सामग्री निर्माणकार्य पूर्ण होने के बाद अधिप्राप्त की गई थी।
		12	-	-	548	2.00	निर्माणकार्यों के निष्पादन हेतु अभिकरणो को ₹ 2.00 करोड़ का अग्रिम दिया गया था। अभिकरणों द्वारा निर्माणकार्यों का निष्पादन नहीं किए जाने के बावजूद और अग्रिम राशि वसूल नहीं की गई थी।
		-	-	14	-	0.08	निर्माणककार्य पूर्ण होने के बाद भी श्रमिकों को कार्य पर लगाया गया था।
		-	-	4	-	0.06	₹ 0.06 करोड़ की राशि बिना किसी कार्य के आहरित की गई थी।
		-	-	5	-	0.03	--
		-	1	-	1	0.01	₹ 0.02 करोड़ के व्यय के दावे में से केवल ₹0.01 करोड़ का व्यय मापन पुस्तिका में दर्शाया गया था।
4.	हरियाणा	-	-	1	1	0.04	डब्ल्यू.बी.एम. सड़के भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थी। सड़कनिर्माण से संबंधित अभिलेखों के साथ साथ रोकड़ बही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
5.	झारखण्ड	-	1	-	20	0.05	2007-08 के दौरान तीन माह के भीतर 20 निर्माणकार्यों को पूर्ण करने के लिए दिये गये ₹ 0.05 करोड़ के अग्रिम को रोकड़ बही में अंतिम व्यय के रूप में माना गया था। इन निर्माणकार्यों को न तो आरंभ किया गया और न ही अग्रिम को वूसल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वार कोई कार्रवाई की गई गई।
		-	2	-	5	0.01	जि.का.स. ने 15 फीट व्यास तथा 35 फीट गहराई के विनिर्देशन वाले कुएं के मॉडल अनुमान का अनुमोदन किया था। सिंचाई कुओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कुओं की गहराई निर्धारित गहराई से 2'6" से 6'3". तक कम थी।
		-	-	5	-	0.09	निर्माणकार्य पूरा होने के तीन से बारह माह के बाद तक सामग्री खरीदी गई थी।
6.	मध्य प्रदेश	-	-	1	3	0.07	संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया था कि सामूदायिक बागवानी के तीन निर्माणकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।
		1	-	-	18	1.06	निर्माणकार्यों का मूल्यांकन तथा भौतिक सत्यापन (कार्यकारी अभियंता, डब्ल्यू.आर.डी. सतना द्वारा संचालित) के दौरान यह पाया गया था कि व्यय किए दर्शाए गए ₹ 3.00 करोड़ में से केवल 1.94 करोड़ के निर्माणकार्य निष्पादित किए गए थे।
7.	मणिपुर	3	-	-	19	1.05	संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया था कि 19 निमार्णकार्य भौतिक रूप से विद्यमान नहीं थे।
		1	-	-	2	0.24	दो निर्माणकार्यो के निष्पादन हेतु ₹ 0.25 करोड़ कार्यान्वयन अभिकरण को दिए गए थे। तथापि कार्यान्वयन अभिकरण ने ₹ 0.01 करोड़ के केवल जमीनी कार्य ही किया।
8.	नागालैण्ड	-	-	54	83	7.65	चयनित ग्रा.पं. में सृजित परिसंपत्तियों के संयुक्त भौतक सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि दिमापुर जिले में रू. 4.22 करोड़ के 60 निर्माणकार्य, मोन जिले में रू. 1.70 करोड़ के सात निर्माणकार्य तथा तरनसेंग जिले में रू. 1.73 करोड़ के 16 निर्माणकार्य भौतिम रूप से विद्यमान नहीं थे।

		-	-	54	23	4.73	निर्माणकार्यों की संयुक्त भौतक सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया। कि उस उद्देश्य हेतु किए गए आबंटनों के प्रति निर्माणकार्यों में यूनिट के निष्पादन के साथ-साथ दीमापुर जिले में ₹ 0.49 करोड़, मॉन जिले में ₹ 2.00 करोड़ तेनसेंग जिले में ₹ 2.24 करोड़ की सामग्री लागत दोनों में कमी थी।
9.	ओडिशा	-	-	1	1	0.02	लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रा.पं. टैंक के उत्खनन का कार्य लगातार दो वर्षों में प्रति का ₹ 0.02 करोड़ की लागत पर दो बार किया गया था।
		-	-	1	1	0.02	एक निर्माणकार्य (पार्वती सागर) के निष्पादन हेतु ₹0.02 करोड़ का भुगतान माप की जांच किए बिना किया गया था।
10.	राजस्थान	-	-	6	9	0.16	संयुक्त भौतिक सत्यापन करने पर यह पाया गया कि 150.50 मीटर की दर्ज मापन प्रविष्टि के प्रति केवल 144.7 मीटर माप वाले छः निर्माणकार्यों का निर्माण किया गया था तथा तीन निर्माणकार्यों की आंशिक मदें विद्यामान नहीं पाई गई थी जो जाली व्यय को इंगित करती है।
	जोड़	**18**	**15**	**184**	**794**	**21.78**	

अनुबंध-10क
अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण की स्थिति
(पैराग्राफ 10.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निम्न में जॉब कार्ड पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया			निम्न में जॉब कार्ड पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया			निम्न में रोजगार पंजिका का अनुरक्षण् नहीं किया गया			निम्नमें मस्टर रोल निगम/प्राप्ति पंजका का अनुरक्षण नहीं किया गया			निम्न में कार्य पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया			निम्न में परिसम्पतति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया			निम्न में शिकायत पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया			निम्न में मासिक आवंटन तथा उ.प्र.प. निगरानी पंजीका का अनुरक्षण नहीं किया गया		
		जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-	1	-	-	14	-	-	-	-	-	1	
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-		9		-	-	-
3.	असम	4	7	28	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	3	-	8	-	-	-
4.	बिहार	15	54	250	-	-	-	15	54	250	15	-	250	15	54	250	15	39	196	1	9	250	-	-	-
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	2	-		-	-	-
6.	गुजरात	6	15	150		-	-	6	15	150	-	-	150	-	15		-	15	150	-	-	150	-	-	-
7.	हरियाणा	-	-	13	-	-	18	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-		-	-	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-	12	113	-	12	113	-	12	-	-	12	-	-	12		-	12	-	-	12	-	-	12	-
10.	झारखण्ड	4	7	40	4	8	46	4	8	50	4	10	65	-	9	56	4	8	54	4	8	62	5	10	75
11.	कर्नाटक	-	-	26	-	-	-	-	-	75	-	16	121	-	-	126	-	-	137	-	-	118	-	-	-
12.	केरल	-	-	10	-	-	-	-	-	9	-	-	1	-	13	11	-	13	6	-	13	6	-	-	-
13.	मध्य प्रदेश	-	17	167	-	5	13	-	4	10	-	8	57	-	24	162	-	11	55	-	24	215	-	18	162
14.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	6	-	160	-	-	-	2	6	60	-	-	-	-	-		-	-	-
15.	मेघालय	4	8	89	-	8	-	4	8	89	-	8	89	-	8	89	-	8	89	4	8	89	4	8	89
16.	नागालैण्ड	-	-	23	-	-	12	-	-	26	-	-	12	-	-	38	-	-	38	-	-	24	-	-	54
17.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
18.	पंजाब	4	6	53	-	4	37	-	7	62	-	7	62		7	62	-	7	62	-	7	62	-	7	62
19.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8	23	230	8	23	230	-	11	140	-	-	-
20.	त्रिपुरा	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	उत्तर प्रदेश	18	39	7	-	-	93	-	-	7	18	1	73	18	16	377	18	10	-	18	7	143	-	-	-
22.	पश्चिम बंगाल	-	-	83	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	83	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23.	दादर एवं नागर हवेली	1	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	3	1	-	-
24.	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-	2	-	30	-	-	-	2	3	30	2	3	30	1	3	30	-	-	-
योग		**56**	**165**	**1205**	**4**	**43**	**482**	**37**	**108**	**1111**	**42**	**74**	**885**	**46**	**200**	**1665**	**48**	**167**	**1063**	**34**	**111**	**1300**	**10**	**56**	**442**

अनुबंध-10 ख
अभिलेखों के गलत अनुरक्षण की स्थिति
(पैराग्राफ 10.3 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जॉब कार्ड आवेदन पंजिका		जॉब कार्ड पंजिका		रोजगार पंजिका		मस्टर रोल निर्गम/प्राप्ति पंजिका		कार्य पंजिका			परिसम्पत्ति पंजिका			शिकायत पंजिका			मासिक आवंटन तथा उ.प्र.प. निगरानी पंजिका	
		ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	ब्लॉक	ग्रा.पं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	15	-	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4.	गोवा	-	-	-	-	-	14	-	-	-	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	हिमाचल प्रदेश	-	20	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	90	-	9	90	-	90
6.	झारखण्ड	10	127	9	121	9	117	7	102	-	8	111	-	9	113	-	9	105	7	92
7.	कर्नाटक	-	117	-	133	-	72	-	31	-	-	20	-	-	8	-	-	39	-	-
8.	मध्य प्रदेश	10	100	29	248	23	220	20	191	-	11	98	-	22	198	-	4	40	8	73
9.	मणिपुर	9	90	9	90	9	90	9	90	2	-	-	2	-		3	-	-	-	-
10.	ओडिशा	-	-	-	199	-	199	-	-	8	20	199	-	-	199	8	20	199	-	-
11.	सिक्किम	4	8	4	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
12.	त्रिपुरा	6	-	-	-															
13.	उत्तराखण्ड	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-
14.	पश्चिम बंगाल	-	-		83	-	19	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
15.	दादरा एवं नागर हवेली	-	2	-	10	-	5	-	-	-	-	9	-	-	3	-	-	-	-	-
	योग	**39**	**564**	**51**	**892**	**41**	**957**	**36**	**422**	**10**	**43**	**551**	**2**	**42**	**736**	**11**	**57**	**473**	**15**	**255**

अनुबंध-10ग
अभिलेखों में अन्य अनियमितताएं
(पैराग्राफ 10.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आपत्ति की प्रकृति
1.	बिहार	मासिक प्रगति रिपोर्ट (मा.प्र.रि.) की संवीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियां प्रकट की: ➢ मुंगेर जिले में 2007-12 के दौरान मा.प्र.रि. में दर्शाए गए व्यय को सनदी लेखाकार की रिपोर्ट की तुलना में ₹ 34.19 करोड़ तक अधिक बताया गया था। ➢ यह पाया गया था कि पश्चिम चम्पारन जिले में संबद्ध विभाग तथा जिला परिषद द्वारा ₹ 8.96 करोड़ की मॉ.सू.प्र. प्रविष्टि नहीं की गई थी।
2.	मध्य प्रदेश	जैसा कि परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 9.22 में निर्धारित है, ग्रा.पं. के रोजगार सृजन डाटा की पाक्षिक रिपोर्टों को ब्लॉक स्तर पर समेकित नहीं किया गया था। इसलिए, योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार का वास्तविक डाटा निष्पादन के किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं था। विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों ने केवल मॉ.सू.प्र. डाटा पर विश्वास किया जिसका सृजन के वास्तविक डाटा के वास्तविक डाटा के साथ समाधान नहीं किया जा रहा था।
3.	राजस्थान	मस्टर रोल की प्राप्ति तथा निर्गम पंजिका का सभी नमूना जांच किए गए ब्लॉकों तथा ग्रा.पं. में अनुरक्षण किया गया था। तथापि, 310 तथा 180 मस्टर रोलों को चक्षु तथा फागी के संबंधित ब्लॉकों के 12 ग्रा.पं.[1] की प्राप्ति पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था तथा काथवाल ग्रा.पं. (ब्लॉक; चक्षु) की मस्टर रोल पंजिका लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मस्टर रोल की गैर-प्राप्ति के अभाव में दुरूप्योग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
4.	तमिलनाडु	2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए मौ.सू.प्र. में उपलब्ध डाटा दर्शाता है कि राज्य द्वारा क्रमशः 324 दिनों, 1,65,284 दिनों तथा 1,75,406 दिनों के बेरोजगारी भत्ता अदा किए जाने हेतु बकाया थे। तथापि, विभाग के उत्तर के अनुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उत्तपन्न नहीं हुआ था क्योंकि कार्य मांग पर तुरंत प्रदान किए गए थे। इस प्रकार, डाटा बेस तथा विभाग के उत्तर के बीच गंभीर विसंगति थी। राज्य सरकार ने बताया (जून 2012) कि मॉ.सू.प्र. डाटा में प्रविष्टियां डाटा इंटरी आपरेटरों द्वारा की गई गलतियों के कारण थीं।

[1] जिला, जयपुर; ब्लॉक, चक्षु (छः ग्रा.पं. : 31 म.रो.) तथा फागी (छः ग्रा.पं. : 180 म.रो.)

अनुबंध-10घ

मॉ.सू.प्र. में डाले डाटा तथा जॉब कार्डों के अनुसार वास्तविक स्थिति के बीच विभिन्नता

(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/सं.शा.क्षे.	विसंगति की प्रकृति	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार (आंकड़े लाख में)	मॉ.सू.प्र. में डाले डाटा के अनुसार (आंकड़े लाख में)	निम्न में पाई गई विसंगति		
					जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.
1.	असम	जारी जॉब कार्डों की संख्या	0.84	0.90	1 (कामरूप)	4	51
2.	गोवा	जारी परिवार जॉब कार्डों की संख्या	0.32	0.29	2		
3.	गुजरात	जारी परिवार जॉब कार्डों की संख्या	2.65	3.25	1	-	-
		परिवारों की संख्या	0.25	0.35	-	1	-
4.	झारखंड	जारी जॉब कार्डों की संख्या	13.37	13.25	6	-	-
5.	नागालैण्ड	जारी जॉब कार्डों की संख्या	0.006	0.007	-	-	पांसा बी ग्रा.पं.
6.	पंजाब	जारी जॉब कार्डों की संख्या-	23.93	25.10	-	-	-
7.	राजस्थान	जॉब कार्डों की संख्या (2009-12)	27.69	28.07	8	8	-
8.	लक्षद्वीप	जारी परिवार जॉब कार्ड	0.09	0.08	1		
		परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की	0.05	0.04	1	-	-
		परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया	0.05	0.04	1	-	-
		परिवार जिन्होंने 100 दिन पूरे किए	0.003	0.001	1	-	-
		सृजित ग्राम दिवस	1.71	1.64	1	-	-

अनुबंध-10ङ
मॉ.सू.प्र. में डाला गया डाटा तथा अथ/अंत शेषों के अनुसार वास्तविक स्थिति में विभिन्नता
(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विसंगति की प्रकृति	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े करोड़ में)	मॉ.सू.प्र. में डाले गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	रो.गा.यो. कार्यालय में योजना निधि 2009-10 में अथ शेष	0.84 (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार)	1,107.74	राज्य स्तर।
		रो.गा.यो. कार्यालय में योजना निधि 2010-11 में अथ शेष	973.03 (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार)	1,169.51	
		रो.गा.यो. कार्यालय में योजना निधि 2009-10 में अंत शेष	973.03 (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार)	1,169.51	
		रो.गा.यो. कार्यालय में योजना निधि 2010-11 में अंत शेष	3,519.24 (सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार)	3,645.75	
2.	गोवा	3132012 को अंत शेष (निधि) (₹ लाख में)	2.19	2.34	2 जिले
3.	केरल	केन्द्रीय निर्गम	1,084.26	951.05	राज्य स्तर
		राज्य का भाग	25.10	25.00	
		विविध प्राप्ति	8.75	7.78	
		व्यय	1,003.83	1,054.90	
4.	महाराष्ट्र	जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	10.51	31.16	नांदेड़ यौतमल भान्द्रा लथूर लुधियाना
		जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	3.83	20.68	
		जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	15.39	7.04	
		जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	5.23	1.34	
		जि.का.स. के अनुसार अंत शेष	8.25	1.26	
5.	नागालैण्ड	2009-12 के दौरान प्राप्त राशि के संबंध में बैंक पास बुक तथा मॉ.सू.प्र. के बीच मेल न होना	49.14	92.86	3 जिले

अनुबंध-10च
रोजगार सृजन के संबंध में डाटा मॉ.सू.प्र. में डाला गया तथा डाटा स्थिति/अनुरक्षित वास्तविक डाटा के बीच विभिन्नता

(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/ सं.शा.क्षे. का नाम	विसंगति की प्रकृति	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े लाख में)	मौ.सू.प्र. में डाले गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े लाख में)	निम्न में पाई गई विसंगतियां			अभ्युक्तियां
					जिला	ब्लॉक	ग्रा. पं.	
1.	बिहार	श्रम दिवसों के अनुसार मॉ.सू.प्र. प्रविष्टि तथा मॉ.प्र.रि. विभिन्नता	830	555.11	14	-	-	
2.	गोवा	31.03.2012 को कुल परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (सं.में)	0.28	0.31	2	-	-	
		31.03.2012 को कुल परिवारों में विभिन्नता जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (सं.में)	0.28	0.32	2	-	-	
3.	गुजरात	श्रम दिवसों के अनुसार मॉ.सू.प्र. प्रविष्टि तथा मा.प्र.रि. के बीच विभिन्नता (2009-12)	403.31	382.87	6	-	-	
		कुल परिवारों में विभिन्नता जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए गए (2009-12)	13.16	13.26	6	-	-	
		परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (2009-12)	11.25	10.48	6	-	-	
4.	झारखण्ड	(2008-12) के दौरान सृजित कुल श्रम दिवसों में विभिन्नता	974.67	885.38	6	-	-	
		(2008-12) के दौरान कुल परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने 100 दिवस पूरे किए	1.51	1.59	6	-	-	
		परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (राज्य स्तर)	69.61	63.83	-	-	-	
		परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (जिला स्तर)	22.25	21.20	6	-	-	
		परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (राज्य स्तर)	69.56	63.53	-	-	-	
		परिवारों में विभिन्नता जिन्होंने रोजगार की मांग की (जिला स्तर)	22.22	21.09	6	-	-	

5.	केरल	पंजीकृत परिवार	18.79	18.68	-	-	-	राज्य स्तर
		परिवार जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए	18.60	18.72	-	-	-	
		परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की	14.18	14.19	-	-	-	
		परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	14.16	14.17	-	-	-	
		वर्ष के दौरान समाप्त निर्माण कार्य	1.49	1.48	-	-	-	
		भूमि विकास	0.51	0.52	-	-	-	
		जल संरक्षण	0.24	0.23	-	-	-	
		ग्रामीण संयोजकता	0.11	0.04	-	-	-	
		अ.जा./अ.ज.जा./ग.रे.नी./इ.आ.यो. को सिंचाई सुविधा	0.06	0.05	-	-	-	
6.	पंजाब	परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की	8.09	7.85	-	-	-	राज्य स्तर
		परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	8.08	7.81	-	-	-	
		सृजित श्रम दिवसों की संख्या	216.65	205.22	-	-	-	
		परिवार जिन्होंने 100 दिन पूरे किए	0.17	0.14	-	-	-	
7.	राजस्थान	परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (2011-12)	13.88	13.51	8	8	-	
		सृजित श्रम दिसवों की संख्या	636.73	665.16	8	8	-	
		परिवार जिन्होंने 100 दिवस पूरे किए	1.14	1.19	8	8	-	
8.	तमिलनाडु	पंजीकृत कुल परिवार (2009-12)	54.85	55.95	8	-	-	
		कुल परिवार जिन्हें जॉब कार्ड जारी किए गए	54.85	58.42	8	-	-	
		कुल परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की	40.62	40.98	8	-	-	
		कुल परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	40.62	40.84	8	-	-	
		सृजित कुल श्रम दिवस	2,059.96	1,920.06	8	-	-	
		कुल परिवार जिन्होंने 100 दिन पूरे किए	7.76	3.88	8	-	-	
		की गई सामाजिक लेखापरीक्षा	0.26	0.004	8	-	-	
9.	उत्तराखण्ड	कुल परिवार जिन्होंने रोजगार की मांग की (2009-12)	6.34	4.67	4	-	-	
		कुल परिवार जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	6.34	4.63	4	-	-	
		सृजित कुल श्रम दिवस	201.07	159.29	4	-	-	
10.	पुडुचेरी	परिवार जिन्हें रोजगार के 100 दिवस प्रदान किए गए (2008-12)	0.006	0.004	2	-	-	

अनुबंध-10छ

मॉ.सू.प्र. में डाले गए डाटा तथा व्यय के अनुसार वास्तविक स्थिति के बीच विभिन्नता

(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	विसंगति की प्रकृति	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े लाख में)	मॉ.सू.प्र. में डाले गए डाटा के अनुसार आंकड़ा (आंकड़े लाख में)	निम्न में पाई गई विसगंतियां			अभ्युक्तियां
			मा.प्र.रि.	मा.सू.प्र.	जिला	ब्लॉक	ग्रा.पं.	
1.	असम	मजदूरी में विभिन्नता (2008-12)	67.57	58.85	1	1	4	आफलाईन रिपोर्ट के अनुसार
		सामग्री में विभिन्नता (2008-12)	38.46	38.18				
		मजदूरियों में विभिन्नता (2010-12)	32.59	30.61	1	1	4	
		सामग्री में विभिन्नता (2010-12)	18.74	24.29	1	1	4	
2.	बिहार	व्यय में विभिन्न्ता(2009-12)	1,64,951.82	1,40,974.21	14	-	-	-
3.	गोवा	2008-12 के दौरान कुल व्यय में विभिन्नता	2,428.14	2,192.27	उत्तर और दक्षिण गोवा			
4.	गुजरात	कुल व्यय	63,754.5	59,396.51	6	-	-	
5.	झारखण्ड	मजदूरियों में विभिन्नता (2008-12)	97,421.43	89,244.23	6	-	-	
		सामग्री पर व्यय में विभिन्नता (2008-12)	61,132.19	64,491.90	6	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	22,548.14	21,523.92	गुमला	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	20,061.93	17,276.64	पालामू	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	31,190.82	29,506.17 l	पश्चिम सिंगभूम	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	1,63,769.54	1,59,401.29	6 नमूना जांच किए गए जिले	-	-	
		व्यय में विभिन्नता (2008-12)	5,14,533.61	4,91,360.10	24	-	-	

6.	पंजाब	निधियों की कुल उपलब्धता में विभिन्नता	63,477.65	66,023.85	-	-	-	राज्य स्तर
		कुल व्यय में विभिन्नता	47,172.20	32,943.39	-	-	-	
		पूणू किए निर्माण कार्यों की संख्या (2011-12)	0.07	0.09	-	-	-	
		पूर्ण किए निर्माण कार्यों पर व्यय में विभिन्नता (2011-12)	5,648.95	8,697.34	-	-	-	
		चालू/स्थगित निर्माण कार्यों की संख्या में विभिन्नता (2011-12)	0.11	0.09	-	-	-	
		चालू/स्थगित निर्माण कार्यों के व्यय में विभिन्नता (2011-12)	9,293.91	6,517.34	-	-	-	
7.	उत्तर प्रदेश	2009-12 के दौरान मॉ.सू.प्र. प्रविष्टि तथा व्यय के अनुसार मा.प्र.रि. के बीच विभिन्नता						
		श्रम	18,196	13,291	गौंडा	-	-	-
		प्रशिक्षित तथा अर्ध-प्रशिक्षित	386	87	गौंडा	-	-	-
		सामग्री	9,822	7,814	गौंडा	-	-	-
		व्यय (2010-12)	20,411	19,996	जलाऊं	-	-	-
		व्यय (2007-12)	353.22	229.92	-	-	6 ग्रा.पं.	-
		व्यय (2009-11)	17,122	16,918	लखनऊ	-	-	-
		2009-12 के दौरान कुल प्राप्ति	116.23	101.23	मुरादाबाद	-	-	रोकड़ बही के अनुसार कुल प्राप्ति रू. 110.44 लाख थी
		2009-12 के दौरान कुल व्यय	104.83	105.07	मुरादाबाद	-	-	रोकड़ बही के अनुसार कुल व्यय रू. 110.27 लाख था।
8.	लक्षद्वीप	कुल व्यय में विभिन्नता	302.59	161.63	1	-	-	-

अनुबंध-10ज
राज्य विशिष्ट निष्कर्ष
(पैराग्राफ 10.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	टिप्पणियां
1.	असम	• वर्ष 2011-12 के दौरान मॉ.सू.प्र. प्रणाली में मनरेगस डाटा डाले गए थे परन्तु मॉ.सू.प्र. सूचना शीट में डाला गया डाटा की विश्वसनीयता संदेहास्पद पाई गई थी क्योंकि मस्टर रोल (म.रो.) बिलों में प्रकट हो रहे जॉब कार्ड धारकों के नाम तथा अन्य आई.डी. संख्याएं या तो नाम अथवा आई.डी. संख्यों जिन्हें मॉ.सू.प्र. में डाला गया था, से मेल नहीं खाती थीं। इसके अतिरिक्त, मा.रो. बिलों में दर्शाए गए निर्माण कार्यों की अवधि मौ.सू.प्र. में डाले गए डाटा से मेल नहीं खाती थी जिसने काल्पनिक/फर्जी जॉब कार्ड धारकों की उपस्थिति के 2,016 मामले दर्शाए। • म.रो. संख्या जिनके प्रति भुगतान किए गए थे, चार मामलों में मॉ.सू.प्र. के साथ मेल नहीं खाती थी जिससे योजना निधियों के संभावित दुर्विनियोजन के साथ वास्तविक रोजगार सृजन के संबंध में चिंता को बढ़ाया। • म.रो.बिलों में दर्शाए निर्माण कार्यों के नाम तथा अवधि तिथि के साथ मेल नहीं खाती थी जिसे मॉ.सू.प्र. में डाला गया था जिससे ₹ 20.59 लाख के व्यय की कुल राशि सहित काल्पनिक जॉब कार्ड धारकों की उपस्थिति को दर्शाया।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	2011-12 के दोरान मनरेगस निर्माण कार्यों पर व्यय की गई ₹77,671.91 लाख की राशि के प्रति केवल ₹36,396.73 से संबंधित डाटा डाला गया था। कमी को स्टाफ की कमी, बार-बार पावर कटों, खराब वैब संयोजकता आदि को आपरोपित किया गया था।
3.	केरल	मॉ.सू.प्र. डाटा के साथ मा.प्र.रि. के डाटा की कोई दोहरा सत्यापन नहीं था जो डाटा प्रविष्टि में गलतियों के सुधार की संभावना को नकारता है। यद्यपि ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी को ग्रा.पं. द्वारा प्रेषित डाटा को सत्यापित करना है फिर भी लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया था कि ऐसे सत्यापन उच्चतर स्तरों को मूल अभिलेखों/मा.प्र.रि. के गैर-प्रेषण के कारण या तो ब्लॉक स्तर या फिर जिला स्तर पर नहीं किए गए थे। मूल आंकड़ों के साथ पुनः जांच किए जाने पर मॉ.सू.प्र. में डाले गए आंकड़ों तथा जॉब कार्ड निर्गम, रोजगार सृजन व्यय की गई निधि, मजदूरी भुगतानों आदि से संबंधित विभिन्न विवरणियों में विसंगतियों की पर्याप्त संख्या पाई गई थीं।
4.	मध्य प्रदेश	शाहडोल जिले में, वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 265.21 लाख का व्यय मॉ.सू.प्र. से बाहर रहा क्योंकि वर्ष 2011-12 के लिए मॉ.सू.प्र. फीडिंग बंद थी (जून 2012)
5.	पंजाब	अमृत जिले में, 93 लाभार्थियों (अलनाता ब्लॉक में 45 तथा वेर्का ब्लॉक में 58) को जॉब कार्डों के निर्गम को मॉ.सू.प्र. में दो बार डाला गया था।
6.	त्रिपुरा	• मॉ.सू.प्र. के अनुसार निधियों का अंत शेष अगले वर्ष के अथ शेष से मेल नहीं खाता था। आधिक्य में अग्रेषित राशि रू. 0.30 लाख से ₹ 366.34 लाख के बीच थी तथा अग्रेषित शेष में कमी ₹ 32.32 लाख् से 11,066.06 लाख के बीच थी। • 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित लेखों से तुलना करने पर मॉ.सू.प्र. में ₹ 1,633.93 लाख तक व्यय को कम बताया गया था तथा ₹ 323.78 लाख तक व्यय का अधिकथन था।
7.	पुडुचेरी	मनरेगा साईट में डाले गए श्रम बजट ने प्रकट किया कि 2010-11 में कराइकल जिले में विद्यमान 16154 कुल ग्रामीण परिवारों के प्रति 20,773 परिवारों को जॉब कार्ड जारी कए गए हैं को दर्शाया गया था।

अनुबंध -11 क
के.रो.ग.प. के सदस्यों द्वारा किये गये फील्ड दौरे
(पैराग्राफ 11.2.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	दौरा किया गया स्थल	दौरे की तिथि	क्या राज्य से कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त किया गया
1.	संजय दीक्षित	बुलन्द शहर, उत्तर प्रदेश	1 से 3.06.2010	नहीं
2.	संजय दीक्षित	कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश	11 से 13.02.2010	नहीं
3.	मधुसूदन मिस्त्री	पोरबन्दर गुजरात	अक्तूबर 2010	नहीं
4.	संजयदीक्षित	सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश	5 से 7.07.2010	नहीं
5.	अश्विनी कुमार	धार, मध्य प्रदेश	17 से 21.11.2009	नहीं
6.	के.एस.गोपाल	भुवनेश्वर, उड़ीसा	8 से 11.12.2009 8 से 10.01.2010 21 से 24.01.2010	नहीं
7.	अश्विनी कुमार	क्योंनझार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2 से 4.02.2010	नहीं
8.	संजय दीक्षित	महोबा, उत्तर प्रदेश	25 से 26.09.2009	हाँ
9.	मधुसूदन मिस्त्री	दाहोद, गुजरात	27 से 29.01.2010	हाँ
10.	मधुसूदन मिस्त्री	राजगढ़, शिवपुरी तथा गुना,मध्य प्रदेश	10 से 12.11.2009	नहीं
11.	मधुसूदन मिस्त्री	कच्छ तथा सब्रकंठा, गुजरात	3 से 4.11.2009	नहीं
12.	आर. ध्रुव नारायण	मैसूर तथा चामराज नगर, कर्नाटक	16.10.2009	नहीं
13.	आर. ध्रुव नारायण	भीलवाड़ा, राजस्थान	23.10.2009	नहीं

अनुबंध -11 ख
रा.स्त.मॉ. का आच्छादन
(पैराग्राफ 11.2.2 के संदर्भ में)

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	जिले जहां रा.स्त.मॉ. ने 2007-08 के दौरान दौरे किये	जिले जहां रा.स्त.मॉ. ने 2008-09 के दौरान दौरे किये	जिले जहां रा.स्त.मॉ. ने 2009-10 के दौरान दौरे किये	जिले जहां रा.स्त.मॉ. ने 2010-1 के दौरान दौरे किये	मनरेगस के अंतर्गत कुंल जिले
आन्ध्र प्रदेश	22	9	8	13	16
अरूणांचल प्रदेश	16	3	1	4	8
असम	27	8	10	5	22
बिहार	38	9	14	24	29
छत्तीसगढ़	18	6	8	11	15
गोवा	2	0	0	0	2
गुजरात	26	7	9	6	25
हरियाणा	21	4	13	4	16
हिमाचल प्रदेश	12	2	4	3	10
जम्मू एवं कश्मीर	22	4	1	6	18
झारखंड	24	10	8	14	12
कर्नाटक	30	9	14	8	21
केरल	14	4	7	6	12
मध्य प्रदेश	50	13	24	26	40
महाराष्ट्र	33	10	10	15	30
मणीपुर	9	3	2	2	5
मेघालय	7	2	2	2	6
मिजोरम	8	2	4	3	8
नागालैण्ड	11	1	3	4	11
ओड़ीशा	30	7	14	13	24
पंजाब	20	9	6	3	18

राजस्थान	33	9	15	13	26
सिक्किम	4	1	1	2	4
तमिलनाडु	31	8	14	13	19
त्रिपुरा	4	2	2	1	4
उत्तर प्रदेश	71	22	23	34	55
उत्तराखंड	13	4	3	6	12
पश्चिम बंगाल	19	3	5	10	10
अं.नि.द्वीप समूह	3	-	-	-	-
दा. एंव ना. हवेली	1	-	-	-	-
लक्षद्वीप	1	-	-	-	1
पुडुचेरी	2	-	-	-	-
योग	**622**	**171**	**225**	**251**	**479**

अनुबंध -11ग

2007-2011 के दौरान रा.स्त.मॉ. द्वारा आच्छादित न किए गए जिले

(पैराग्राफ 11.2.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	जिलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	अरूणांचल प्रदेश	6
3.	असम	4
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू एवं काश्मीर	3
9.	कर्नाटक	1
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	महाराष्ट्र	1
12.	मणीपुर	2
13.	ओड़ीशा	1
14.	पंजाब	1
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	1
17.	उत्तर प्रदेश	3
18.	पश्चिम बंगाल	2
योग		**39**

अनुबंध-11 घ

क्षेत्रीय स्तर पर कार्य की आन्तरिक जांच हेतु राज्यवार विवरण जहां कोई अभिलेख अनुरक्षित /उपलब्ध नहीं कराए गए

(पैराग्राफ 11.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	टिप्पणियां
1.	अरूणांचल प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यो (जिला स्तर का 10 प्रतिशत तथा राज्य स्तर का 2 प्रतिशत) का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थी/मॉनीटर नहीं किया गया था।
2.	छत्तीसगढ़	चयनित इकाइयों में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बस्तर जिले में निरीक्षण किया गया था।
3.	गोवा	कोई जॉच प्रतिवेदन जि.ग्रा.वि.अ. (उत्तरी गोवा) अनुरक्षित/उपलब्ध न हीं थे।
4.	हरियाणा	यह पाया गया कि ब्लाक स्तर पर निर्माण कार्यो की जांच से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण/उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।
5.	मध्य प्रदेश	ग्रा.पं. में विभिन्न स्तरों पर निर्माण कार्यो की जांच के कोई स्थाई अभिलेख नहीं बनाए गए थे तथा नमूना जांच की गई ग्रा.प.,ब्लाक तथा जिलों में से किसी में भी निर्माण कार्यो की जांच की कोई जांच प्रतिवेदन नहीं पाई गई थी ।
6.	ओड़िशा	क.आ.,जिला स्तर अधिकारियों तथा राज्य स्तर अधिकारियों ने भौतिक रूप से निर्माण कार्यो की 100, 10 तथा 2 प्रतिशत जांच नहीं की थी जैसा कि समीक्षा की अवधि के दौरान मासिक प्रगति प्रतिवेदन से देखा गया।
7.	उत्तर प्रदेश	अभिलेखों में निरीक्षण तथा नमूना जांच संचालित किये जाने के संबंध में कुछ नहीं था।
8.	पुडुचेरी	निगरानी के कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए अथवा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

अनुबंध-11ङ
राज्य,जिला तथा ब्लाक स्तर पर जांच में कमी
(पैराग्राफ 11.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य (प्रतिशत)	जिला (प्रतिशत)	ब्लाक (प्रतिशत)
1	बिहार[1]	उ.न.	63	62
2	गुजरात[2]	उ.न.	37	2
3	झारखण्ड	उ.न.	शून्य	42
4	कर्नाटक	98	50	71
5	केरल	94	56	25
6	मणीपुर	94	शून्य	51
7	मेघालय	100	72	39
8	मिजोरम	100	उ.न.	शून्य
9	नागालैण्ड	82	76	53
10	पंजाब	90	-	_
11	उत्तराखण्ड	94	**शून्य**	48

[1] डाटा,कुल 15 चयनित जिलों में से केवल 8 जिलों के संबंध में उपलब्ध था

[2] वर्ष 2009-10 के संदर्भ में कमी।

अनुबंध-11च
राज्य जहां स.म.स. की संस्थापना नहीं की गई थी
(पैराग्राफ 11.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नमूना जांच की गई ग्रा.प. की संख्या जहां स.म.स. की नियुक्ति नहीं की गई	नमूना जांच की गई ग्रा.पं. की कुल संख्या	ग्रा.पं. की प्रतिशतता जहां स.म.स. की नियुक्ति नहीं की गई
1.	आन्ध्र प्रदेश	150	150	100
2.	बिहार	252	250	99
3.	ओड़िसा	200	199	99
4.	तमिलनाडु	230	170	74
5.	उत्तर प्रदेश	460	57	12
6.	पश्चिम बंगाल	120	83	69
	योग	1,412	909	--

अनुबंध -11छ
संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति

(पैराग्राफ 11.8.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	नमूना जांच किए गए ग्रा.पं. में की जाने वाली कुंल लेखापरीक्षा	वास्तव में नमूना जांच किये गए ग्रा.पं. में की गई कुल लेखापरीक्षा
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,500	610
2.	बिहार	2,380	528
3.	हिमाचल प्रदेश	730	313
4.	झारखण्ड[3]	11,786	5,660
5.	कर्नाटक	1,416	232
6.	नागालैंड	488	280
7.	ओड़िसा	1,890	938
8.	पंजाब	1,073	978
9.	राजस्थान	1,560	1,360
10.	सिक्किम[4]	64	24
11.	उत्तर प्रदेश	4,200	982
12.	पुडुचेरी	240	53

[3] चयनित जिलों में सभी ग्रा.पं. से संबंधित डाटा

[4] 2008-09 में संचालित की गई सामाजिक लेखापरीक्षाओं की संख्या को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अनुबंध -11ज
आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की संस्थापना नहीं की गई

(पैराग्राफ 11.8.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	जिले जहां आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की संस्थापना नहीं की गई	नमूना जांच किये गये कुल जिले	नमूना जांच किये गए जिलों की प्रतिशतता जहां आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष की संस्थापना नहीं की गई
1.	बिहार	15	15	100
2.	गुजरात	6	2	33
3.	झारखण्ड	6	6	100
4.	मणिपुर	4	4	100
5.	नागालैंड	3	1	33
6.	ओड़िशा	8	8	100
7.	पंजाब	6	3	50
8.	राजस्थान	8	1	13
9.	उत्तर प्रदेश	18	14	77
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	2	100
11.	पुडुचेरी	2	2	100
योग		**78**	**58**	**--**

अनुबन्ध -11 झ

2007-2012 की अवधि के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों की स्थिति

(पैराग्राफ11.9.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1	असम	180	110
2	बिहार	2,419	1,835
3	छत्तीसगढ़	475	51
4.	कर्नाटक	1,953	1,620
5.	मध्य प्रदेश	6,537	5,428
6	पंजाब	612	548
7.	उत्तर प्रदेश	1,18,043	98,215
योग		**1,30,219**	**1,07,807**

अनुबंध-12क

कार्य प्रगति तालिका में गुम/अस्पष्ट उपयोगकर्ता पहचान हेतु प्रविष्टियां

(पैराग्राफ 12.4.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	असम	29,663
2.	बिहार	4,34,972
3.	गोवा	3,414
4.	गुजरात	54,671
5.	हरियाणा	9,774
6.	हिमाचल प्रदेश	2,52,091
7.	झारखण्ड	2,92,378
8.	कर्नाटक	11,53,017
9.	केरल	79,091
10.	मणिपुर	1,463
11.	मध्य प्रदेश	14,41,259
12.	महाराष्ट्र	67,027
13.	मेघालय	25,232
14.	नागालैंड	30,399
15.	ओड़िसा	6,815
16.	पंजाब	10,629
17.	राजस्थान	5,74,053
18.	सिक्किम	1,002
19.	तमिलनाडु	90,787
20.	उत्तर प्रदेश	10,66,267
योग		**56,24,004**

अनुबंध-12ख
पंजीकरण तालिका में लाभार्थियों के अमान्य नाम
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	अभिलेखों की संख्या	
		विशिष्ट चिन्हों के साथ नाम	एक अथवा दो शब्दों या केवल विशिष्ट चिन्हों के नाम
1.	असम	84	-
2.	बिहार	352	228
3.	गुजरात	633	399
4.	हरियाणा	136	85
5.	हिमाचल प्रदेश	91	-
6.	झारखण्ड	3,940	353
7.	कर्नाटक	626	-
8.	केरल	1,01,463	6,112
9.	मध्य प्रदेश	7,475	-
10.	महाराष्ट्र	1,685	943
11.	मणिपुर	57	52
12.	मेघालय	891	-
13.	ओड़िसा	11	-
14.	पंजाब	56	54
15.	राजस्थान	2,092	-
16.	सिक्किम	40	1
17.	तमिलनाडु	3,441	2,670
18.	उत्तर प्रदेश	776	-
योग		**1,23,849**	**10,897**

अनुबंध -12ग
गुम/अमान्य मकान संख्या पंजीकरण तालिका
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	असम	10,16,918
2.	बिहार	1,22,51,203
3.	गोवा	531
4.	गुजरात	36,33,287
5.	हरियाणा	6,08,293
6.	हिमाचल प्रदेश	8,73,270
7.	झारखण्ड	33,41,044
8.	कर्नाटक	55,86,655
9.	केरल	2,857
10.	महाराष्ट्र	58,82,400
11.	मणिपुर	70,127
12.	मेघालय	3,05,109
13.	नागालैंड	46,736
14.	ओड़िशा	1,47,385
15.	पंजाब	7,75,004
16.	राजस्थान	91,27,735
17.	सिक्किम	40
18.	तमिलनाडु	56,50,099
19.	उत्तर प्रदेश	1,48,96,143
	योग	**6,42,14,836**

अनुबंध-12घ
कार्य प्रगति तालिका में गुम/खत्ता संख्या
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	असम	67,100
2.	बिहार	4,37,931
3.	गोवा	3,342
4.	गुजरात	1,51,770
5.	हरियाणा	33,133
6.	हिमाचल प्रदेश	2,49,526
7.	झारखण्ड	1,32,494
8.	कर्नाटक	3,47,500
9.	केरल	1,95,072
10.	मध्य प्रदेश	9,83,944
11.	महाराष्ट्र	2,30,017
12.	मणिपुर	9,984
13.	मेघालय	32,744
14.	नागालैंड	30,224
15.	ओड़िशा	8,010
16.	पंजाब	19,902
17.	राजस्थान	6,01,627
18.	सिक्किम	7,963
19.	तमिलनाडु	2,02,795
20.	उत्तर प्रदेश	15,63,071
	योग	**53,08,149**

अनुबंध-12ङ
कार्य अनुमोदन तालिका में गुम/डुप्लिकेट वित्तीय संस्वीकृतियां
(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या	
		डुप्लिकेट वित्तीय संस्वीकृतियां	गुम/अस्पष्ट (नल/0/00/एक/दो विशिष्ट चिन्ह) वित्तीय संस्वीकृति
1.	असम	1,908	-
2.	बिहार	2,40,949	6,115
3.	गोवा	824	-
4.	गुजरात	66,979	324
5.	हरियाणा	3,714	18
6.	हिमाचल प्रदेश	66,439	-
7.	झारखण्ड	1,22,712	697
8.	कर्नाटक	2,53,566	-
9.	केरल	1,04,338	314
10.	मध्य प्रदेश	2,06,904	36,929
11.	महाराष्ट्र	32,775	262
12.	मणिपुर	2,124	-
13.	मेघालय	6,644	-
14.	ओड़िशा	8,740	-
15.	पंजाब	8,748	30
16.	राजस्थान	1,23,796	1,148
17.	तमिलनाडु	1,08,656	1,056
	योग	**13,59,816**	**46,893**

अनुबंध-12च
निर्माण कार्य संस्वीकृतियों में कार्य के नाम नहीं दिये गये

(पैराग्राफ 12.4.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या	
		बिना नाम के कार्य	बिना वर्क कोड के
1.	असम	22,770	-
2.	बिहार	4,34,342	272
3.	गोवा	2,821	0
4.	गुजरात	2,98,336	137
5.	हरियाणा	38,664	1
6.	हिमाचल प्रदेश	95,425	7
7.	झारखण्ड	1,63,694	47
8.	कर्नाटक	9,62,791	-
9.	केरल	3,00,706	1,071
10.	मध्य प्रदेश	14,00,673	18,648
11.	महाराष्ट्र	3,64,548	168
12.	मणिपुर	11,164	6
13.	मेघालय	31,690	-
14.	नागालैंड	31,734	1
15.	ओड़िशा	6,724	-
16.	पंजाब	18,521	1
17.	राजस्थान	2,22,314	1
18.	तमिलनाडु	1,99,565	1
	योग	**46,06,482**	**20,361**

अनुबंध-12छ
गलत मजदूरी गणना
(पैराग्राफ 12.4.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेख
1.	असम	12,031
2.	बिहार	4,967
3.	गुजरात	14,209
4.	हरियाणा	1,560
5.	हिमाचल प्रदेश	99,481
6.	झारखण्ड	2,74,045
7.	कर्नाटक	5,765
8.	केरल	41,614
9.	मध्य प्रदेश	34,16,879
10.	महाराष्ट्र	5,39,309
11.	मणिपुर	304
12.	मेघालय	28,651
13.	नागालैंड	90,940
14.	ओड़िशा	58,610
15.	पंजाब	1,787
16.	राजस्थान	48,03,463
17.	तमिलनाडु	10,610
18.	उत्तर प्रदेश	52,374
	योग	**94,56,599**

अनुबंध-12ज
क्रय की गई सामग्री में गलत बिल राशि की गणना

(पैराग्राफ 12.4.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	बिहार	52
2.	गोवा	41
3.	गुजरात	2,013
4.	हिमाचल प्रदेश	188
5.	झारखण्ड	38,909
6.	कर्नाटक	3,562
7.	ओड़िशा	645
8.	उत्तर प्रदेश	68,313
योग		**1,13,723**

अनुबंध-12झ
राज्य,जिला,ब्लाक अथवा पंचायत लेखों में प्रारम्भिक शेष/अंतिम शेष आंकड़ों की गलत गणना के उदाहरण

(पैराग्राफ 12.4.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिलेखों की संख्या
1.	असम	1,37,729
2.	बिहार	6,836
3.	गोवा	1,909
4.	गुजरात	29,762
5.	हिमाचल प्रदेश	2,57,124
6.	झारखण्ड	13,685
7.	मणिपुर	3,014
8.	महाराष्ट्र	65,631
9.	मेघालय	85,052
10.	पंजाब	60,751
11.	राजस्थान	4,83,040
12.	उत्तर प्रदेश	7,66,569
योग		**19,11,102**

अनुबंध-13 राज्य विशिष्टताएं

आन्ध्र प्रदेश

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 23 जिले हैं, जिसमें से मनरेगस के अंतर्गत केवल 22 जिले आवृत्त हैं। पहले चरण में, अर्थात्, 2 फरवरी 2006 से मनरेगस के अंतर्गत 13 जिले आवृत्त किए गए । बाद में, 1 अप्रैल 2007 से छः जिले तथा शेष तीन 1 अप्रैल 2008 से आवृत्त किए गए थे। 2007-12 की अवधि के दौरान, मनरेगस के अंतर्गत राज्य को ₹ 17267.14 करोड़ जारी किए गए थे। नीचे दी गई तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख क्रियान्वयन मापदंडों को दर्शाता है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
8,46,65,533	5,63,11,788	66.51	18,506.08	1,24,00,996	14,604.34

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,30,07,471	17,64,042	13.56	10,850	4,779	44

➢ नियोजन

- राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) वास्तव में कार्यात्मक नहीं था।
- लेनदेन की बड़ी मात्रा और भिन्न गतिविधि की समसबद्ध प्रकृति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, ब्लॉक एवं ग्रा.पं. स्तर पर विभिन्न संवर्गों में काफी रिक्तियां थी।
- मनरेगस के विषय में सूचना, शिक्षा एवं प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल /सामग्री काफी हद तक पर्याप्त थे।

➢ रोजगार सृजन व मजदूरी

- परिवारों को ठीक ढंग से एकल परिवारों में अलग नहीं किया गया था, अतः प्रति परिवार के 100 दिनों के रोजगार के उनके सांविधिक वार्षिक अधिकरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
- जॉब कार्डो के महत्वपूर्ण अनुपात में तस्वीरें नहीं चिपकी थी।
- मस्टर रोल प्रविष्टियों में अतिव्याप्ति के उदाहरण थे अर्थात एक ही मजूदर को एक ही तिथि पर अलग निर्माण कार्यों हेतु दो मस्टर रोलों पर दिखाया गया था।

➢ निर्माण कार्य व संपत्ति सृजन

- 80 से लेकर 100 तक, ग्रा.पं. में बड़ी संख्या में कार्य-प्रगति पर थे। इन निर्माण कार्यों में अधिकांश में निरंतरता के बिना, रोजगार के श्रमदिवसों की काफी कमी थी।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- अगस्त 2011 में ₹ 34.82 लाख की बेमेल राशि का गैर-संसाधन एवं बैंक खातों का अनियमित रूप से खोलना पाया गया।
- 31 मार्च 2011 तक, विभिन्न अभिकरणों को ₹ 262.32 करोड़ की उन्नत राशि समायोजन हेतु लंबित थी। राज्य निधि हेतु लंबित थी। राज्य निधि हेतु लेखारीक्षक की रिपोर्टों में दर्शाए गए अग्रिमों में जिला/ब्लॉक स्तर पर बकाया अग्रिम सम्मिलित नहीं थे।
- रंगारेड्डी जिले में, ₹ 2.54 लाख (जुलाई 2009) का प्रारंभिक शेष ₹ 2.00 करोड़ से अधिक (जून 2010) एवं ₹ 4.00 करोड़ (मार्च 2012) तक वर्धित हुआ था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कई करोड़ रूपयों की पर्याप्त राशि व्यापार सहसंबंधी के पास रखी गई थी, बैंक/व्यापार कोरेस्पॉन्डेन्ट को अनुचित लाभ दर्शाता है।
- मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों को राज्य के अनुपातिक हिस्से को जारी करने में कमियां और विलंब दोनों थे।

➢ मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

- राज्य ने शिकायत/याचिका को दर्ज कराने तथा उस पर कार्रवाई हेतु एक औपचारिक प्रणाली की शुरूआत की, किन्तु शिकायत निवारण की स्थिति को मॉ.सू.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।

➢ अन्य

- नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में, परिचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पित रजिस्टरों का अनुरक्षण नही किया जा रहा था।

अरूणाचल प्रदेश

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 16 जिले हैं। मनरेगस के प्रथम चरण, अर्थात 2 फरवरी 2006 से, में एक जिले को शामिल किया गया था। तदनुपरांत, 2 जिलों को 1 अप्रैल 2007 से आगे शामिल किया गया था एवं शेष 13 को 1 अप्रैल 2008 से। 2007-12 की अवधि के लिए राज्य को मनरेगस के तहत ₹ 172.07 करोड़ जारी किया गया था। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में प्रमुख क्रियान्वयन मापदण्डों में से कुछ को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
13,82,611	10,69,165	77.32	181.40	1,78,220	147.79

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
11,576	4,933	42.60	--	--	--

➢ नियोजन

- 3350 पं.रा.सं. पदाधिकारियों के लक्ष्य के समक्ष केवल 2239 (66.84 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया था। सतर्कता एवं हितधारकों की मॉनीटरिंग के प्रशिक्षण का लक्ष्य 1777 था जिसके प्रति उपलब्धि 419(23.58 प्रतिशत) थी।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- औसत वाषिक रोजगार सृजन 15 से 18 श्रम दिवस थे तथा 100 दिनों का रोजगार प्रदान किये गये परिवारों का प्रतिशत 0.04 से 18.18 था।

➢ निर्माण तथा संपत्ति सृजन

- ₹ 6.21 लाख की लागत वाले दो निर्माणों को जिल्हें पहले ही पूरा कर लिया गया था, फिर से ₹ 21.79 लाख के लिए संचालित किया गया और 7.49 लाख की लागत पर किये गये आठ सड़क निर्माण, संदिग्ध स्थायित्व वाले थे।
- 55 गैर-अनुमेय निर्माणों पर ₹ 2.96 करोड़ का व्यय किया गया था।
- ₹ 2.18 करोड़ राशि के 14 निर्माण किसी प्रशासनिक अनुमोदन अथवा तकनीकी संस्वीकृति के बगैर किये गये थे।

➢ मॉनीटरिंग एंव मूल्यांकन

- मनरेगस के तहत भौ.सू.प्र. एवं भौ.सू.प.सं.प्रौ. उपकरणों को भौ.सू.प्र. को विकेन्द्रित नियोजन, श्रम बजट बनाने, कार्यक्रम क्रियान्वयन संपत्ति मॉनीटरिंग, तथा मूल्यांकन के साथ संबद्ध करने हेतु राज्य द्वारा प्रयुक्त नहीं हुए थे।

- निर्माणों के रिपोर्टों का प्रत्यक्ष सत्यापन (जिला स्तर पर 10 प्रतिशत एवं राजय स्तर पर दो प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध /शुरू नहीं किये गये थे।

- मंत्रालय ने राज्य के गुणवत्ता मॉनीटरों हेतु प्रयोग के लिए संदर्भ के विस्तृत इंगित शर्तों को बनाया था, परन्तु राज्य सरकार ने राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों तथा जिला गुवणत्ता मॉनरीटरों को जिला स्तर पर नियुक्त नहीं किया था।

असम

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 27 जिले हैं। मनरेगस के तहत प्रथम चरण, अर्थात 2 फरवरी 2006 से सात जिले, 6 जिले 1 अप्रैल 2007 के आगे से और शेष 14 जिले 1 अप्रैल 2008 से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए, मनरेगस के तहत ₹ 3295.50 करोड़ राज्य को जारी किया गया था। नीचे की तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन मानदण्डों में से कुछ को दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,11,69,272	2,67,80,516	85.92	4,060.40	39,20,558	1895.55

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,15,691	65,945	57.00	15,870 (2007-08 व 2008-09 उपलब्ध नहीं कराया गया)	14,391 (2007-08 उपलब्ध नहीं कराया गया)	-

➢ नियोजन

- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियां पर्याप्त नहीं थीं और लाभार्थी अपनी हकदारियों से काफी हद तक अनजान थे।
- पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति में कमियां देखी गयी थी और ग्राम रोजगार सहायक/साथियों आदि के विलंगित /गैर-परिनियोजन के मामले भी पाये गये थे। अयोग्य कार्मिकों की मान्यता प्राप्त अभियंताओं को परिनियोजन और बाद में उनकी छटनी ₹ 45.42 लाख के निष्फल व्यय में परिणित हुआ।
- समुचित तकनकी सहायता के माध्यम से योजना की गणवत्ता एवं लागत प्रभावकारिता के उन्नयन का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त होने से रह गया यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ₹ 32.70 लाख खर्च किया गया था।

- वार्षिक योजना एवं जिला परिप्रेक्ष्य योजना (जि.प.यो.) तैयार करने में भी त्रुटियां थीं। जिलों द्वारा ₹ 59.32 लाख की राशि जि.प.यो. बनाने के लिए खर्च की गयी थी। परन्तु यह रा.रो.गा.प. द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये थे।

➢ रोजगार सृजन व मजदूरी

- 88.15 लाख परिवारों में से, जिन्होंने 2007 से 2012 के दौरान रोजगार की मांग की थी, केवल 3.54 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया था।
- जॉब कार्ड जारी करने में अनियमितताएं थीं, यथाः अज्ञात व्यक्तियों को जॉब कार्ड प्रदान करना, पं.रा.सं. सदस्य तथा ग्राम रोजगार सहायक, जॉब कार्ड धारियों का बैंक/डाक घर खाते न खुलना तथा पंजीकरण सूची का अधितत न होना।
- चार जिलों में, जॉब कार्ड-धारियों के परिवारों की पारिवारिक तस्वीरें न तो जॉब कार्ड पर और न ही कार्य पंजी पर चिपकाई गयी थी। अन्य 15 ग्रा.पं. में 536 मामलों में जॉब कार्डों पर परिवार के मुखिया की तस्वीर भी नहीं लगायी गयी थी।
- आठ जिलों में, बेरोजगारी भत्ते की योग्यता तथा परिणाम, आवेदनों के विवरणों एवं अन्य अभिलेखों के अभाव में सत्यापनीय नहीं थी। दो जिलों में 37229 जॉब कार्ड-धारियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा था। दो जिलों में मजदूरी के विलंबित भुगतान के 6263 मामले भी थे जिसके लिए ₹ 93.95 लाख के बकाया मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था।

➢ निर्माण एवं संपत्ति सृजन

- नौ प्रखडों में, योजना एवं नरेगा निर्माण स्थल नियमावली से परे ₹ 2.15 करोड़ को निर्माण किये गये थे।
- लागत के अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्माणों के ग्राम पंचायतों के माध्यम से निष्पादन के मानदंड को दो जिलों में पूरा नहीं किया गया जो अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 1.82 करोड़ के अतिरिक्त अनुमोदन में परिणत हुआ।
- सामग्री की अधिप्राप्ति से संबंधित सा.वि.नि. की व्यवस्था का 25 ग्रा.पं. में पालन नीहं किया गया था और स्. 6.65 करोड़ की राशि की अधिप्राप्ति बिना किसी स्थल लेखा के अनुरक्षण के की गयी थी। ₹ 43.28 करोड़ मूल्य की सामग्री 11 ग्रा.पं. एवं दो प्रखंडों में निर्माण स्थल पर लेखाबद्ध नहीं की गयी थी।
- 15 मिट्टी की /कच्ची सड़कें ₹ 1.22 करोड़ के व्यय पर 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान एक जिले के दो प्रखंडों में बनायी गयी थी जो योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं था।
- एक जिले और सात ग्रा.पं. में 2007-08 से लेकर 2011-12 तक शुरू किये गये 42 निर्माण कार्य की 3.78 करोड़ खर्च करने के बाद अपर्याप्त तकनीकी सुविधाओं, भूमि विवाद, सार्वजनिक बाधा एवं बाढ़ के कारण परिव्यक्त छोड़ दिये गये थे।

- एक प्रखंड में 21.00 लाख व्यय करने के बाद 12 वृक्षारोपण कार्य उपलब्ध नहीं पाये गये थे।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- मार्च 2007 तक सं.ग्रा.रो.यो. के अंतर्गत ₹ 31.07 लाख का अप्रयुक्त शेष का दो जिलों में मनरेगस में निधियों के हस्तांतरण से बचने के लिए अनियमित रूप से उपयोग किया गया था।
- केन्द्र एवं राज्य दोनों के हिस्से का गैर/कम निर्गम हुआ था। कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनियमित प्रशासनिक व्ययों, संदेहास्पद व्ययों, निधियों के कम उपयोग के मामले और डाक घर खातों के गैर-मिलान के मामले देखे गये थे।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- राज्य सरकार ने निर्माणों की गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों को निर्दिष्ट नहीं किया था। राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तरों पर निर्माण/सतर्कता के निरीक्षण की स्थिति भी निम्न स्तर की थी जो एक जिले में का.अ. के स्तर पर ₹ 4.88 लाख की मजदूरी के जाली भुगतान में परणित हुआ।
- सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमियां थीं हालांकि अधिकांश मामलों में, सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए एक वर्ष में ग्राम सभी की दो बैठकें बुलायी गयी थीं। राज्य सरकार ने न ता सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय का गठन किया था न ही निदेशक और आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति ही की थी।
- रा.रो.गा.प. ने न ता किसी दिशानिर्देश का रूपायन किया था न ही मूल्यांकन अध्ययन हेतु किसी मूल्यांकन प्रणाली विकसित की।

बिहार

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 38 जिले हैं जिसमें से 23 जिले मनरेगस के तहत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से तथा शेष 15 जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए, ₹ 6292.44 करोड़ मनरेगस के अंतर्गत राज्य का जारी किया गया था। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों में से कुछ को दर्शाता है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (₹ करोड़ में)
10,38,04,637	9,20,75,028	88.70	8,110.84	1,33,81,535 *	52.97

*जॉब कार्ड धारक

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
7,44,309	3,05,783	41.08	84,630	71,467 (को छोड़कर 2007-08)	-

➢ नियोजन

- वार्षिक योजना विलंब के साथ और श्रम आकलनों के बगैर बनायी गयी थी। जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी गयी थी। छः जिलों में, ₹ 3.76 करोड़ के व्यय को शामिल करते हुए 144 निर्माण कार्यों का निष्पादन वार्षिक योजना के परे किया गया था।
- श्रम बजट को यथार्थवादी तरीके से नहीं बनाया गया था क्योंकि श्रम दिवसों के सृजन में गिरावट (27 से 98 प्रतिशत) देखी गयी थी।

➢ रोजगार सृजन व मजदूरी

- 1997 लाभार्थियों के जॉब-कार्ड सत्यापन के दौरान, 20 प्रतिशत जॉब कार्ड में तस्वीरें नहीं चिपकायी गयी थीं और 26 प्रतिशत मामलों में जॉब कार्ड में प्रविष्ट मजदूरी के भुगतान उनके खातों में जमा राशि के साथ मेल नहीं खा रहे थे।
- मजदूरी के विलंबित और गैर-भुगतान के अनेक मामलों में श्रमिकों को कोई क्षति-पूर्ति नहीं की गयी थी। मांग के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किये जाने के भी मामले थे। अधिकतर मामलों में रोजगार मांगने वालों के मौखिक अनुरोध पर रोजगार प्रदान किये गये थे और रोजगार की मांग के आवदनों को लेखित नहीं किया गया था।

- बकाया मजदूरी तथा लंबित सामग्री बिलों के कारण ₹ 79.54 करोड़ की देनदारियां देखी गयी और मजदूरी के भुगतान में विलम्ब एक से चार वर्षों तक फैल हुए थे।
- प्रति परिवार औसत मजदूरी जिलों में ₹ 513 से ₹ 5407 वार्षिक रूप से थी तथा वार्षिक रूप से राज्य मजदूरी औसत 2007-12 के दौरान ₹ 1717 से ₹ 3788 थे जो राष्ट्रीय मजदूरी औसत की तुलना में कम थे।
- राज्य सरकार के साथ ही कार्यान्वय अभिकरणों को डाक घरों के माध्यम से मजदूरी के भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ।

➢ निर्माण एवं परिसम्पत्ति सृजन

- ₹ 21.48 करोड़ के अनुदान की अव्ययित राशि एवं सम्पर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के ₹ 77.36 करोड़ की राशि के अनाज की अप्रयुक्त मात्रा की लागत मनरेगस खातों में हस्तांतरित नहीं किये गये थे। 1127 अपूर्ण निर्माण कार्यों के सफलतापूर्वक समापन हेतु कदम नहीं उठाये गये थे।
- अधिकत्तर मामलों में, निम्न प्राथमिकता निर्माण कार्यों जैसा कि (अधिनियम के अनुसूची 1 में निर्दिष्ट है), को उच्च प्राथमिकता दी गयी थी और ₹ 2.11 करोड़ राशि के गैर-अनुमेय निर्माण कार्यों का निष्पादन किय गया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- प्रशासनिक व्यय अनुमेय सीमाओं की अधिकता में था।
- राज्य सरकार उपलब्ध अनुदानों को पूरी तरह से उपयोग करने में असफल रही और 2007-12 के दौरान 26 से 40 प्रतिशत तक का अव्ययित शेष पाया गया था।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- राज्य एवं जिला स्तरों पर मॉनीटरिंग प्रणाली प्रभावशाली नहीं थी। राज्य एवं जिला स्तरों पर गुणवत्ता मॉनीटरों की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

➢ अन्य

- समुचित देखभाल के अभाव में तथा स्थल के गलत चुनाव के कारण ₹ 3.12 करोड़ का व्यय कर किया गया वृक्षारोपण (1.76 लाख पौधे) सफल नहीं हुआ।
- सरकार को सूचित डाटा (व्यय/श्रम दिवस) तथा मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली (मा.सू.प्र.) में की गयी प्रविष्टियों में बड़ी भिन्नातएं थीं।

छत्तीसगढ़

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 18 जिले हैं। 11 जिले मनरेगस के तहत प्रथम चरण में अर्थात, 2 फरवरी 2006 के बाद से और शेष तीन 1 अप्रैल 2008 से जोड़े गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए, मनरेगस के अंतर्गत ₹ 6959.36 करोड़ राज्य को जारी किया गया था। नीचे की तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को दर्शाता है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
2,55,40,196	1,96,03,658	76.75	7,839.05	41,20,054	4,595.28

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
6,09,942	3,35,524	55.00	79,360	30,042	37.85

➢ नियोजन

- 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए जिला परिप्रेक्ष्य योजना नमूना परीक्षित जिलों में नहीं बनायी गयी थी।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- एक जिले में, लाभार्थियों को बैंक/डाक घर पास बुक, बैंक/डाक घर में खाता होने के बावजूद जारी नहीं किये गये थे।
- 10 ग्रा.पं. में, 10041 परिवारों को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया गया था।
- जशपुर जिले में, 100 दिनों से अधिक का रोजगार प्रदान किया गया था और मजदूरी का भुगतान मजदूरी रसीदों के साथ छेड़-छाड़ कर किया गया था।
- 14 चयनित प्रखंडों में से आठ में, ₹ 9.58 करोड़ 1 से 376 दिनों के विलम्ब के साथ गयी थी।
- ₹ 69.90 करोड़ रराशि के चैक श्रमिकों को बैंको/डाक घरो की बजाय सीधे भुगतान करने के लिए अनयिमित रूप से सरपंच को जारी किये गये थे।

➢ निर्माण एवं सम्पत्ति सृजन

- ₹ 1.69 करोड़ एवं 0.31 करोड़ के गैर-अनुमेय निर्माण-कार्य (चारदीवारी का निर्माण) दो जिलों में किये गये थे।
- मौजूदा कर्मचारियों से काम कराने के बजाय ₹ 4.18 करोड़ ठेकेदारों को मा.सू.प्र. प्रविष्टि हेतु अनुबंध आधार पर दिया गया था।
- दो जिलों में, कुल ₹ 902.37 के 29636 निर्माण कार्य अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अधूरे पड़े थे।
- बस्तर जिले में, ₹ 4.30 करोड़ राशि के समापन प्रमाण-पत्र 154 अधूरे निर्माण कार्यों के लिए जारी किये गये थे।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- अन्य अभिकरणों द्वारा किये गये निर्माण कार्यों पर सामाजिक लेखापरीक्षा में चर्चा नहीं की गयी थी।

गोवा

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में दो जिले हैं। दोनों जिले 1 अप्रैल 2008 से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 15.20 करोड़ राज्य को मनरेगस के अंतर्गत जारी किया गया था। नीचे तालिका 2007-12 के दौरान के कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को दर्शाती हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
14,57,723	5,51,414	37.83	26.31	4,437	8.62

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
3,003	1,296	43.16	1,134	709	62.52

➢ नियोजन

- राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) की बैठकें बहुत कम अवसरों पर हुई और रा.रो.गा.प. को लगभग गैर-कार्यात्मक कर दिया था।
- योजना का कार्यान्वयन राज्य में 2008-09 में हुआ था, लेकिन वार्षिक योजना तथा परियोजना शेल्फ किसी भी वर्ष के लिए तैयार नहीं किया गया था।

➢ निर्माण एवं संपत्ति सृजन

- ₹1.60 करोड़ की राशि के 146 गैर-अनुमेय निर्माण (कच्ची सड़कों को शामिल करते हुए 14 ग्राम पंचायतों में किये गये थे।
- योजना के अंतर्गत 14 चयनित ग्राम पंचायतों में अधिकतर-निर्माण-कार्यों में मजदूरी-सामग्री अनुपात का पाल नहीं किया गया था।
- ₹ 11.44 लाख मूल्य की संपत्ति कुछ पंचायतों में निजी व्यक्तियों को लाभ देने के लिए सृजित की गयी थी।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- श्रम बजट निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं था और आंकडे मा.सू.प्र. में अपलोड किये गये मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खा रहे थे।

➢ मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

- परनेम प्रखंड में स्थानीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की कार्यशीलता संदिग्ध थी। जन जागरूकता की कमी, निरंतर जन सतर्कता एवं योजना के कार्यान्वयन का सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से कम मॉनीटरिंग के मामले थे।

गुजरात

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 26 जिले थे। छः जिले मनरेगस के तहत प्रथम चरण, अर्थात 2 फरवरी 2006 से, तीन जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से और शेष 17 जिले 1 अप्रैल 2008 से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 2219.80 करोड़ राज्य को मनरेगस के तहत जारी किये गये थे। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान के कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
6,03,83,628	3,46,70,817	57.41	2,105.17	40,76,332	1,691.15

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
6,38,692	3,81,021	59.65	57,128	70,379	100

➢ नियोजन

- राज्य रोजगार गारंटी परिषद के गठन में तीन वर्षों का विलम्ब था।
- जिलों ने वार्षिक योजना एवं परियोजना शेल्फों को तैयार नहीं किया था।
- चरण II एवं III में, जिले जिन्हें 2008-12 की अवधि हेतु जिला परिप्रेक्ष्य योजना बनाने के लिए निधियां दी गयी थीं, उन्होंने इसे नहीं बनाया था।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- श्रम बजट में अनुमानित रोजगार की उपलब्धि में 18 तथा 47 प्रतिशत के बीच गिरावट थी।
- सात प्रखंडों में 201 काल्पनिक श्रमिकों को भुगतान के मामले पाये गये थे।
- मस्टर रोलों का गलत अनुरक्षण किया गया था। मस्टर रोलों पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं थे।
- दाहोद तालुके में ₹ 3.59 करोड़ का संदिग्ध दुर्विनियोजन था। मस्टर रोल पर मजदूरी भुगतान किया गया जो उस तालुके में जारी नहीं किये गये थे।
- योजना के अंतर्गत परिवारों के पंजीकरण दर्शाने वाले डाटा असंगति थी। कार्यक्रम अधिकारी के पास पंजीकरण हेतु आवेदनों के भौतिक अभिलेख नहीं थे। ऑनलाइन डाटा गलत था क्योंकि दिखायेग गये ऑनलाइन जॉब कार्ड मौजूद नहीं थे।

- दुहरे जॉब कार्ड संख्याओं और दुहरे खाता संख्याओं के मामले पांच जिलों में थे।
- रोजगार की मांग और प्रदान किये गये रोजगार का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। जॉब कार्डों पर कोई प्रविष्टि नहीं की गयी थी।
- मजदूरी के भुगतान में 1 दिन से लेकर 685 दिनों के विलम्ब थे और विलम्ब थे और विलम्ब के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गयी थी।

➢ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति सृजन

- अहमदाबाद जिले में भूमिगत जलनिकासी, जिसमें मनरेगस श्रमिक संलग्न नहीं थे, के लिए ₹ 90 लाख का व्यय हुआ था।
- ₹ 101.25 करोड़ का व्यय 2,64,652 बोरी बांधों, मानसून के दौरान पानी के भण्डारण के लिए कीचड़ और बालू की एक सरंचना के निर्माण तथा जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए इसका भूमिगत रिसाव का व्यवस्था पर हुआ जो टिकाऊनहीं था।
- ₹ 5.25 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत दाहोद जिले में 392 कुएं अपूर्ण थे।
- योजना के अंतर्गत सृजित सम्पत्तियों के अनुरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। अहमदाबाद में, ₹ 3.38 लाख की लागत पर किया गया जिला वृक्षारोपण कार्य गैर-अनुरक्षण के कारण सफल नहीं हुआ।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली निपुण नहीं थी और रिपोर्ट असंगत थे।
- दाहोद जिले के दो तालुकों में ₹ 6.07 करोड़ का व्यय हुआ था जो लेखाबद्ध नहीं था।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- शिकायत निवारण तंत्र निपुण नहीं था क्योंकि शिकायतों के निपटान से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं था।
- राज्य सरकार के पास उपलब्ध मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन सांख्यिकी आंकड़ों को जिलों एवं तालुकों के मौलिक अभिलेखों से पुष्ट नहीं किया गया था।

हरियाणा

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 21 जिले थे। दो जिलों को मनरेगस के तहत प्रथम चरण अर्थात, 2 फरवरी 2006 से शामिल किया गया था। तदुपरांत दो जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से और शेष 17 को 1 अप्रैल 2008 से शामिल किया गया था। 2007-12 की अवधि के लिए, ₹ 715.10 करोड़ राज्य को मनरेगस के अंतर्गत जारी किया गया था। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
2,53,53,081	1,65,31,493	65.20	837.38	4,85,817 *	7,002.60

*जॉब कार्ड जारी किये गये परिवार

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
46,779	26,818	57.32	24,160	उ.न.	उ.न.

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- छः ग्रा.पं. द्वारा काम की मांग के लिए आवेदनों की दिनांकित रसीद जारी नहीं की गयी थी।
- मजदूरी के भुगतान में 8 से 331 दिनों के विलम्ब देखे गये थे।
- मस्टर रोलों को काट कर, दुबारा लिखकर, मिटाकर, आदि के द्वारा छेड़-छाड़ के इक्कीस मामले देखे गये थे।

➢ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति सृजन

- सभी मौसमों में उपयोग न की जा सकने वाली मिट्टी की सड़कें ₹ 1.06 करोड़ की लागत पर बनायी गयी थीं।
- योजना के अंतर्गत ₹ 55.90 लाख की लागत पर तालाबों की खुदाई पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बगैर की गयी थी।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- अव्ययित सं.ग्रा.रो.यो. निधियों को मनरेगस खाता में हस्तांतरित नहीं किया गया था।
- जनवरी 2009 से मार्च 2010 में राज्य के हिस्से का ₹ 10.06 करोड़ से कम निर्गम किया गया था।
- सम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु कोई धनराशि खर्च नहीं की गयी थीं।

➢ मॉनीटरिंग एवं मल्यांकन

- वन विभाग द्वारा किये गये ₹ 25.76 करोड़ राशि के निर्माण कार्य के मामले में सतर्कता जांच लम्बित थी।

हिमाचल प्रदेश

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 12 जिले हैं मनरेगस के अंतर्गत दो जिले प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से शामिल किए गए थे। तदन्तर दो जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से तथा शेष आठ जिले 1 अप्रैल 2008 से कवर किए गए थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 1880.34 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती हैं

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
68,56,509	61,67,805	89.95	2,016.41	11,45,000 *	1,068.32

* परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्ड

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
उ.न.	1,34,988	उ.न.	29,432	11005 (2007-08 हेतु आंकड़े उ.न.)	

➢ नियोजन

- राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया (जुलाई 2006)। स.रो.गा.प. ने अपेक्षित दस बैठकों के प्रति जनवरी 2009 में केवल एक बैठक की जिसने यह दर्शाया कि नियोजन प्रक्रिया, निर्माण कार्यों का निष्पादन, निर्माण कार्यों की शेल्फ की तैयारी, कार्य प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने में उपयुक्त जांच नहीं की गई थी।
- नमूना जांच किए गए जिलों में जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई थी।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- मजदूरों को ₹ 1.10 करोड़ की मजदूरी 15 दिनों से 795 दिनों के विलम्ब से दी गई थी।
- 25 ग्रा.पं. में 876 मस्टर रोलों में विशिष्ट पहचान संख्या नहीं दी गई थी।

➢ निर्माणकार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- नमूना जांच किए गए जिलों में, सम विभागों द्वारा 3859 निर्माणकायों के निष्पादन हेतु ₹ 97.27 करोड़ का व्यय किया था। यह पाया गया था कि ये निर्माण न तो संबंधित ग्रा.पं. कीपरियोजनाओं के वार्षिक शुल्क में थे और न ही ग्राम सभा की अनुशंसाओं पर थे।

- निर्माण कार्य प्राथमिकता सूची के अनुसार आरम्भ नहीं किए गए थे। ग्रामीण संयोजकता का निर्माण कार्य जो प्राथमिक सूची में सबसे नीचे था उसे उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण निर्माणकार्यों जैसे सूखा बचाव, वनरोपण तथा भू-संरक्षण का निष्पादन नहीं हुआ।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- निधि प्रबंधन में वित्तीय रिसाव के जोखिम को कम करने तथा पारदर्शिता और यथार्थता के बढ़ाने के लिए लेखे का मासिक वर्गकरण किया जाना था। लेखाओं के मासिक वर्गकरण की प्रथा किसी भी स्तर पर यह सत्यापित करने के लिए, कि निर्मुक्त की गई धनराशि को तीन शीर्षों अर्थात विभिनन स्तरों पर बैंक खाते में रखी राशि, कार्यान्वयन या भुगतान एजेंसियों को आरम्भ तथा व्यय वाऊचर के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया था, लागू नहीं की गई थी।

जम्मू एवं कश्मीर

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 22 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत तीन जिले प्रथम चरण अर्थात 2 फरवरी 2006 से कवर किए गए थे। तदन्तर दो जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से तथा शेष 17 जिले 1 अप्रैल 2008 से कवर किए गए थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 1446.04 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्यन पैरामीटरों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती है।

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
1,25,48,926	91,34,820	72.79	1,501.58	10,05,904 *	851.15

* परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्ड

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,98,627	1,30,449	65.67	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

➢ नियोजन

- योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई थी तथा मंत्रालय को काफी विलम्ब से श्रम बजट प्रस्तुत किया गया था।
- योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों के स्टाफ को कार्य पर लगाने में कुल मिलाकर 76 प्रतिशत (4225 कार्मिक) की कमी पाई गई थी। स्टाफ को प्रशिक्षण देने में कमी 28 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। 785 अनुमोदित निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था तथा वार्षिक योजना में शामिल ₹ 27.79 करोड़ राशि के 2950 निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किया गया था।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- नमूना जांच किए गए 245 मामलों में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने मे 3 से 547 दिनों के बीच का विलम्ब था।
- परिवारों के पंजीकरण तथा रोजगार की मांग करने वालों से संबंधित अभिलेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे। नौ प्रतिशत परिवारों को न तो रोजगार उपलब्ध कराया गया और न ही उनको बेरोजगार भत्ता दिया गया था।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्तियों का सृजन

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कुल निर्माण कार्य का 78 प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची-I के अनुसार उच्च प्राथमिकता निर्माण कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है। 484 निर्माण कार्यों पर ₹ 2.92 करोड़ खर्च करने के बाद उन्हें बीच में ही छोड़ दिया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- अव्ययित शेष ₹ 7.07 करोड़ (अप्रैल 2007) से बढ़कर ₹ 127.66 करोड़ (मार्च 2012) हो गए थे। निधियों के अवरोधन, विलम्बित निर्गमन तथा विपथन के मामले पाए गए थे।
- यद्यपि राज्य रोजगार गारंटी निधि का गठन किया गया था, जैसाकि फरवरी 2012 तक नियत था, उसको काम में नहीं लाया गया था। निधि में ₹ 15.69 करोड़ का अवितरित शेष था जो मुख्यतः मजदूरी में अन्तर के बकाया को निरूपित करता है।

➢ मॉनीटरिंग एवं मल्यांकन

- पूंछ जिले में, जिला गुणवत्ता प्रबोधक तथा ओमबड्समैन नियुक्त नहीं किए गए थे।

झारखंड

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 24 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत बीस जिले प्रथम चरण अर्थात 2 फरवरी 2006 से कवर किए गए थे। तदनन्तर दो जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से तथा शेष दो जिले 1 अप्रैल 2008 से आवृत किए गए थे। मनरेगस के अंतर्गत 2007-12 के दौरान ₹ 5,468.85 करोड़ राज्यों को दिए गए थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,29,66,238	2,50,36,946	75.94	5951.65	3,54,609 *	3,653.85

*केवल नमूना जांच किए गए जिलों के आंकड़े

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
9,84,080	2,69,251	27.36	43,670	13,226	30.28

➢ नियोजन

- राज्य में योजना के अंतर्गत नियोजन प्रक्रिया लोगों की सहभागिता को प्रकाश में लाए बिना औपचारिक तथा अपूर्ण रही।
- नमूना जांच किए गए जिलों में श्रम बजट को बनाने मे कमियों के कारण उत्पादित व्यक्तिदिवसों में वास्तविक उपलब्धियां श्रम बजट के प्रेक्षपणों के अनुरूप नहीं थी।

➢ रोजगार उत्पादन व मजदूरी

- नमूना जांच किए गए छः जिलों में, मजदूरी के भुगतान में 1 से 468 दिनों के विलम्ब होने के बावजूद मजदूरों को किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- 2009-12 के दौरान श्रम बजट में प्रक्षेपित व्यक्तिदिवसों के प्रति केवल 40 से 59 प्रतिशत व्यक्ति दिवस उत्पादित किए गए थे।
- तीन जिलों में एस.जी.आर.वाई. निधि तथा एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. निधियों से संबंधित ₹ 4.43 करोड़ मनरेगस में नहीं मिलाए गए थे।
- 2007-12 के दौरान ₹ 2,994.71 करोड़ की उपलब्ध राशि में से केवल ₹ 2,070.01 करोड़ (69 प्रतिशत) छः जिलों द्वारा व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अव्ययित शेष रहे।

कर्नाटक

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 30 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से पांच जिले आवृत किए गए थे। तदन्तर 1 अप्रैल 2007 के बाद से छः जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 19 जिले आवृत किए गए थे। मनेरगस के अंतर्गत राज्य का 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 5,662.81 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
6,11,30,704	3,75,52,529	61.43	6,271.82	55,83,423	4,100.93

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
17,42,186	4,71,633	27.07	23,130	18,592	80

➢ नियोजन

- नियोजन को सरल बनाने के लिए जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई थी।
- 2009-12 के दौरान मंत्रालय को श्रम बजट भेजने में भारी विलम्ब किया गया था।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- जॉब कार्ड आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जारी करने अपेक्षित थे। 2007-12 के दौरान जॉब कार्ड जारी करने में 10 प्रतिशत तक की कमी थी।
- नमूना जांच किए गए जिलों में 3.49 लाख योग के अभिलेखे गलत प्रविष्टियों के आधार पर स्थायी रूप से हटा दिए गए थे। तथापि, इन मामलों में हटाने की तिथि तक ₹ 22.48 करोड़ योग की मजदूरी वितरित की गई थी।
- 2008-12 के दौरान 19.67 लाख व्यक्तियों के संबंध में हटाने की पर्ची लगाई गई तथापि ₹ 156.10 करोड़ की मजदूरी का भुगतान किया गया था।
- 2009-12 के दौरान एम.आई.एस. आंकड़ों के अनुसार 18 वर्ष से कम तथा 90 वर्ष के बराबर या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को निर्माण कार्यों पर लगाया गया था तथा क्रशमः ₹ 3.26 लाख तथा ₹ 2.65 लाख की मजदूरी प्राप्त की।

- नमूना जांच किए गए ग्रा.पं. में कोई मजदूरी पर्चियां नहीं बनाई गई थी।
- 2007-12 के दौरान मनरेगस निर्माण कार्यों पर लगाए गए 98.58 लाख व्यक्तियों के संबंध में बैंक खाते/ डाक घर के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।
- चिक्का बालापुर जिले के गुडीबंदे तालुक के सात ग्रा.पं. द्वारा निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग किए गए मस्टर रोलों में कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान नहीं लगवाए गए थे।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- दो जिलों में कृष्णा भाग्य जिला निगम लि.मि. (कृ.भा.ज.नि.लि.) निर्माण कार्यों पर ₹ 1.12 करोड़ मूल्य की सामग्री पर व्यय योजना निधि में से किया गया था जो सरकार के अनुदेश के विपरित था क्योंकि सामग्री संघटक पर व्यय कृ.भा.ज.नि. निधियों से किया जाना था।
- साम्रगी के प्रति किसी समर्थित वाउचरों के बिना निर्माण कार्यों को ₹ 213.05 लाख डेबिट किए गए थे।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- राज्य निधि ने दर्शाया कि पी.आर.आई.एस. के बैंक खाते में अंतरित की गई भारी राशियां विभिन्न कारणों से निधि में वापस क्रेडिट की गई थी जिसका अभी तक समाशोधन नहीं किया गया था।
- सिंदागई तालुक में, मार्च 2009 से मार्च 2010 के दौरान चार व्यक्तियों को ₹ 12.61 लाख के चैक जारी किए गए थे जिनके लिए कोई समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। तीन ग्रा.पं. द्वारा ₹ 19.30 लाख के स्वयं चैक आहरित किए गए थे। गुडीबंदे तालुक में, एक ग्रा.पं. द्वारा बिना किसी समर्थित दस्तावेज के तथा रोकड़ बही में प्रविष्टियां किए बिना किसी अनजान खाते में ₹ 9.48 लाख की राशि अंतरित की।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- 2007-12 के दौरान 1416 सामाजिक लेखापरीक्षाओं की निर्धारित सीमा के प्रति दो सौ बत्तीस सामाजिक लेखापरीक्षाएं की गई थीं। डाटा का कोई सारांश तैयार करके सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु की गई बठैक में ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

केरल

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 14 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 दो जिले आवृत किए गए थे। तदन्तर 1 अप्रैल 2007 के बाद से दो जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 10 जिले आवृत किए गए थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 2,390.88 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों में से कुछ का सारांश प्रस्तुत करती हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,33,87,677	1,74,55,506	52.28	2,483.90	18,78,518	1,678.45

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
5,40,073	4,03,076	74.63	1,63,013	1,56,341	95.91

➢ नियोजन

- नियमावली बनाने में 4 से 6 वर्षों तक का विलम्ब था।
- सभी ग्रा.पं. में, अनुमानित मांग तथा वास्तविक रोजगार उत्पादन के बीच भारी अन्तर थे। निर्माण कार्यों की प्रेक्षित लागत तथा व्यय, वास्तविक (व्यय) की तुलना में बहुत अधिक था।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए 39 ग्रा.पं. में द्वार से द्वार सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- दो मामलों के अतिरिक्त, किसी में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया था।
- थिरूवनंतपुरम में सभी ग्रा.पं. में मस्टर रोलों में पाया गया था।
- अधिकांश ग्रा.पं. में, मजदूरी भुगतान में 23 से 138 दिनों तक का विलम्ब किया गया था।
- निर्माण कार्यों का माप किए बिना ₹ 12.86 लाख का भुगतान किया गया था।
- 39 ग्रा.पं. में से 37 ग्रा.पं. में मजदूरी स्लिपें नहीं बनाई गई थी।

- अधिकांश ग्रा.पं. में जॉब कार्ड पर मजदूरी के ब्यौरे दर्ज नहीं किए गए थे।

➢ निर्माण कार्य परिसम्पत्ति सृजन

- निर्माण कार्यों की सामग्री संघटक कुल निर्माण कार्य लागत के 2.5 प्रतिशत से कम था। परिणामतः ₹ 299.48 करोड़ का व्यय करने के पश्चात सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता की सीमा संदेहपूर्ण हो गई।
- राज्य ने 2007-12 के दौरान ₹ 349.59 करोड़ मूल्य के 87,280 निर्माण कार्य छोड़ दिए।
- एक ग्रा.पं. में, निजी भूमि पर किए गए निर्माण कार्य, जिनमें मुख्यतः पौधों को उखाड़ना (₹ 32.37 लाख) शामिल था, को जल संरक्षण तथा जल सिंचाई के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
- सिंचाई विभाग के समुद्र विरोधी भूक्षरण विंग को शामिल न होने के परिणास्वरूप ₹ 55.82 लाख का व्यय करने के पश्चात समुद्र रोक भूक्षरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

➢ मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

- सोशल आडिट बैठकें उस व्यक्ति, जो पंचायत का सदस्य न हो, की अध्यक्षता में की जानी थी तथा पंचात से बाहर के व्यक्ति को सोशल आडिट फोरम का सचिव बनाया जाना था। तथापि, 34 ग्रा.पं. में अध्यक्ष तथा सचिव पंचात के भीतर से ही थे।
- ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने में क्रमशः 100 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा दो प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के प्रति कमी थी।

मध्य प्रदेश

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 50 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से अठारह जिले आवृत किए गए थे। तदन्तर 1 अप्रैल 2007 के बाद से 13 जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 19 जिले आवृत किए गए थे। राज्य को मनरेगस के अंतर्गत 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 15,717.43 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
7,25,97,565	5,25,37,899	72.36	17,193.12	1,18,60,150	11,719.52

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
30,94,945	8,42,629	27.22	1,92,666	86,459	45

➢ नियोजन

- योजना के बारे में लाभार्थियों में जागरूकता की कमी के कारण, राज्य में रोजगार की गारंटी पर आधारित योजना के रूप में इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण करना आवश्यक बनाया तथा उनको जॉब कार्ड जारी किए जिसके कारण चुनिंदा जिलों में 13.35 लाख से 19.74 लाख अपात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया था।
- सम विभागों द्वारा किसी मुआवजे का भुगतान किए बिना 2 से 292 दिनों तक के विलम्ब से ₹ 472.88 लाख की मजदूरी वितरित की गई थी।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- सम विभागों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य ग्रा.पं. की परियोजनाओं के शेल्फ में शामिल नहीं थे। इस प्रकार, इन निर्माण कार्यों द्वारा रोजगार उत्पादन के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

- एक ब्लॉक में जिला परियोजना रिपोर्ट की तैयारी पर ₹ 24.03 लाख का निष्फल व्यय किया गया।
- योजना के अंतर्गत अननुज्ञेय निर्माण कार्यों का निष्पादन हुआ पाया गया था।
- रोपण हेतु तथा बॉयो कम्पोस्ट निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए चिन्हित निधियों को शौचालयों के निर्माण हेतु विपथित किया गया था।
- भौतिक सत्यापन के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों की अविधमानता पाई गई थी।

➢ वित्तीय प्रबंधन

➢ डी.पी.सी. (शाहडोल) द्वारा लाभार्थियों के बैंक पास बुक के मुद्रण पर ₹ 22.15 लाख का व्यय किया गया था।

महाराष्ट्र

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 33 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से बारह जिले, 1 अप्रैल 2007 के बाद से छः जिले तथा 1 अप्रैल 208 से शष 15 जिले आवृत किए गए थे। राज्य को मनरेगस के अंतर्गत 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 1,711.60 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
11,23,72,972	6,15,45,441	54.76	2,820.81	67,35,119	1,595.02

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,21,977	39,294	32.21	480	370	77.08

➢ नियोजन

- शिकायत निवारण तंत्रविधि, बेरोजगार भत्ता आदि से संबंधित नियमावली नहीं बनाई गई थी। राज्य रोजगार गारंटी परिषद की केवल एक बाद बैठक हुई तथा वह विधानसभा में वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने में विफल रही।
- आठ जिलों में, जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं नहीं बनाई गई थी। श्रम बजट में प्रक्षेपित श्रम मांग का निर्धारण अवास्तविक था।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- पांच किलोमिटर से अधिक दूरी पर सौंपे गए निर्माण कार्य के कारण देय ₹ 3.27 लाख राशि की अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक ब्लॉक में ₹ 0.82 लाख के बेरोजगार भत्ते का भी भुगतान नहीं किया गया था।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण की कमी के कारण निर्माण कार्य छोड़ दिए गए थे तथा अननुज्ञेय निर्माण कार्यों को भी आरम्भ किया गया था। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने में कमी थी।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- सितम्बर 2011 में पदनामित मनरेगा आयुक्तालय को महत्वपूर्ण पदों में रिक्तियों को देखते हुए अभी उचित कार्य करने थे। शिकायत निवारण सामाजिक लेखापरीक्षा आदि हेतु विशिष्ट नियमावली का अभाव भी पाया गया था।

मणिपुर

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में नौ जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 13 अप्रैल 2006 एक जिला, 1 अप्रैल 2007 के बाद से नौ जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष छः जिले आवृत किए गए थे। राज्य को मनरेगस के अंतर्गत 2007-12 की अवधि में ₹ 1,832.02 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
27,21,756	18,99,624	69.79	1,853.08	18,06,027	1,312.13

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
38,430	34,709	90.32	24,288	17,019	70.07

➢ नियोजन

- किसी भी नमूना जिले में, जिला परिप्रेक्ष्य योजना (जि.प.यो.) नहीं बनाई गई थी।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- तीन जिलों में, 19 निर्माण कार्यों का निष्पादन किए बिना ₹ 1.05 करोड़ का भुगतान किया गया था।

- 52 ग्रा.पं. में, ₹ 10.73 करोड़ पर निष्पादित 119 सड़क निर्माण कार्यों ने सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं कराया।

➢ वित्तीय प्रबंधन

➢ तीन जिलों (चराचांदपुर, इम्फाल पूर्वी तथा टेमेंगलोंग) में, प्रशासनिक खर्चे के लिए चिन्हित निधियों में से उप आयुक्त के बंगले पर निर्माण कार्यों, हॉल के निर्माण आदि ₹ 5.85 करोड़ का व्यय किया गया था।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- राज्य सरकार ने पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया था। चुराचांदपुर तथा टेमेंगलांग जिलों में ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त नहीं किया गया था। नौ नमूना ब्लॉकों में पर्याप्त तकनीकी सहायकों/क.अ. की नियुक्ति नहीं की गई थी। निर्माण कार्यों के अनुमान तथा मापन में सहयोग देने के लिए मान्यता प्राप्त इंजीनियरों का पैनल नहीं बनाया गया था।

मेघालय

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में सात जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से दो जिले, 1 अप्रैल 2007 के बाद से तीन जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष दो जिले आवृत किए गए थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 843.37 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती है।

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
29,64,007	23,68,971	79.92	597.72	2,60,353	175.39

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
46,024	27,756	60	30,957	957	3

➢ नियोजन

- ईस्ट खासी हिल्स ने 2006-2011 के दौरान जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई थी।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- जॉब कार्ड विनिर्देशनों के अनुसार मुद्रित नहीं किए गए थे।
- आठ चुनिंदा ब्लॉकों में ₹ 84.18 लाख राशि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- रोंग्राम ब्लॉक में 112 परियोजनाओं के संबंध में ₹ 39.94 लाख का आधिक्य व्यय किया गया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय को श्रम बजट के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब होने के कारण मंत्रालय द्वारा राज्य को कब निधियां जारी की गई जिसका परिणाम देयताओं में हुआ।

मिजोरम

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में आठ जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से दो जिले, 1 अप्रैल 2007 के बाद से दो जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष चार जिले आवृत किये गये थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 207-12 की अवधि में ₹ 1,007.94 जारी किये गये थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचित व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
10,91,014	5,29,037	48.49	**1,104.32**	**1,74,749**	**664**

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
16,284	**12,441**	**76**	**182**	**6,770**	**100**

➢ निर्माण कार्य एंव परिसम्पत्ति सृजन

- दो जिलों (लुंगलई तथा लांगतलाई) में मनरेगस का अन्य योजना के साथ अभिसरण की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई थी।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- राज्य सरकार ने ₹ 105.43 करोड़ के सदृश हिस्से के प्रति ₹ 83.52 करोड़ जारी किए। इसके परिणामस्वरूप आठ जिलों को ₹ 21.91 करोड़ कम जारी किये गये।
- राज्य सरकार ने लुंगलई तथा लांगतलाई जिलों को उसके हिस्से के क्रमशः ₹ 17.89 करोड़ तथा 13.87 करोड़ 9 से 317 दिनों के विलम्ब से जारी किए।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- राज्य सरकार ने परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निर्माण कार्यों का निरीक्षण तथा भौतिक सत्यापन नहीं किया था।

नागालैण्ड

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 11 जिले हैं। प्रथम चरण में अर्थात फरवरी 2006 से मनरेगस के अंतर्गत एक जिला, 1 अप्रैल 2007 से चार जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष छः जिले आवृत्त थे। 2007-12 की अवधि हेतु, मनेरगस के अंतर्गत राज्य को ₹ 2060.01 करोड़ जारी किए गए थे। नीच दी गई तालिका में 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाता है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
19,80,602	14,06,861	71.03	2,098.32	3,74,925	518

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
32,878	28,000	85.16	9,874	4,432	44.89

➢ नियोजन

- दो वर्षों के विलंब के साथ राज्य रोजगार गारंटी परिषद स्थापित की गई थी।
- प्रशिक्षण की कमी के परिणामस्वरूप सभी स्तरों पर अभिलेखों का खराब अनुरक्षण हुआ।
- का.अ. से जि.का.स. द्वारा श्रमिक बजट के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब 2 से 4 माह तक तथा जि.का.स. से रा.रो.ग.प. 2 से 8 माह तक का था।

➢ रोजगार सृजन व मजदूरी

- ₹ 10.31 लाख के मजदूरी भुगतान को शामिल करते हुए 54 ग्रा.पं. में से पांच ग्रा.पं. में काटने, अधिलेखन, मिटाने और कागजों को चिपकाकार मस्टर रोल से छेड़छाड़ पाई गई।

➢ निर्माण कार्यों व संपत्ति सृजन

- तीन जिलों ने योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 36 हल्के वाहनों की प्राप्ति हेतु ₹ 2.21 करोड़ का व्यय किया। आगे, इन जिलों ने नई इमारतों के निर्माण हेतु ₹ 58.90 लाख का व्यय किया। जि.का.स. दीमापुर द्वारा मॉ.सू.प्र. में डाटा प्रविष्टि हेतु जिन कम्प्यूटरों की प्राप्ति की गई थी, वह ग्रा.पं. स्तर पर अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान न होने के कारण निष्क्रिय रहे।

- परिप्रेक्ष्य योजना में ₹ 63.99 करोड़ के नियोजित 273 ग्रामीण संयोजकता योजना की अपेक्षा में, 54 ग्रा.पं. ने ₹ 87.82 करोड़ के ग्रामीण संयोजकता हेतु 514 निर्माण कार्य किए गए थे। आगे, इन 54 ग्रा.पं. ने परिप्रेक्ष्य योजना से बाहर ₹ 23.83 करोड़ की राशि के 241 ग्रामीण संयोजकता निर्माण कार्य पूर्ण किए थे।
- ₹ 7.65 करोड़ के तिरासी परियोजनाओं का पूरा होना सूचित किया गया था, मौजूद नहीं थे जोकि 54 ग्रा.पं. में ₹ 7.65 करोड़ का संभावित दुर्विनियोजन दर्शाता है। 23 निर्माण कार्यों के मामलों में गैर-अनुमेय निर्माण कार्यों की विचलन राशि द्वारा कम निष्पादन की कीमत ₹ 4.73 करोड़ तथा ₹ 10.01 करोड़ की कीमत के 45 गैर-अनुमेय निर्माण कार्यों का निष्पाद भी संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया था।
- राज्य स्तर के अधिकारी पिछले पांच वर्षों के दौरान 137 निर्माण कार्यों के लक्ष्य की अपेक्षा में केवल 25 निर्माण कार्यों (18 प्रतिशत) का सत्यापन कर पाए। जिला स्तर अधिकारियों ने 684 निर्माण कार्यों के लक्ष्य की अपेक्षा में केवल 165 निर्माण कार्यों (24 प्रतिशत) का निरीक्षण किया था जबकि 6,837 लक्षित निर्माण कार्यों की अपेक्षा में ब्लॉक अधिकारियों ने 3,217 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- 2007-08 से 2011-12 के दौरान नागालैण्ड की सरकार द्वारा ₹ 116.57 करोड़ के अनुपातिक हिस्से को जारी करने में कमी थी जिसने उस हद तक योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।
- 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान, जि.का.स. मोन एवं दीमापुर ने मंत्रालय द्वारा तय स्वीकार्य प्रशासनिक व्यय से बढ़कर ₹ 96 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।
- 2011-12 के दौरान जि.का.स., दीमापुर द्वारा, कार्यक्रम अधिकारी (का.अ.) धानसिरीपर को जारी की गई ₹ 1.68 करोड़ की निधियों का दुर्विनियोजन संदिग्ध था। का.अ. द्वारा संचालत मनरेगस बैंक खाते में निधियों को लेखाबद्ध नहीं किया गया था।
- तीन जिलों में सात नमूना परीक्षित का.अ. द्वारा 54 नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में निधियों के संचरण के दौरान ₹ 65.39 करोड़ की संदिग्ध वित्तीय रिसाव देखा गया था।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- 54 ग्रा.पं. में 488 सामाजिक लेखापरीक्षा बैठकों की आवश्यकता की अपेक्षा में 280 सामाजिक लेखापरीक्षा (57 प्रतिशत) आयोजित की गई थी। तीन जिलों और सात ब्लॉकों में, 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्रमशः 46 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

➢ अन्य

- चूंकि ग्राम रोजगार सहायक (ग्रा.रो.स.) नियुक्त नहीं किए गए थे, पंचायत सचित द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण किया गया था। 28 ग्रा.पं. में अभिलेखों का गैर/खराब अनुरक्षण पाया गया था।

ओड़िशा

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 30 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत पहले चरण अर्थात, 2 फरवरी 2006 से 19 जिले, 1 अप्रैल 2007 से पांच जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष छः जिले आवृत्त किए गए थे। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत राज्य को ₹ 4401.29 करोड़ जारी किए गए थे। नीच दी गई तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को दर्शाती हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
4,19,47,358	3,49,51,234	83.32	5,369.29	62,18,651	3,123.09

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
3,26,535	1,69,265	51.84	24,936 (2010-11 एवं 2011-12 के लिए आंकड़े)	23,452 (2010-11 एवं 2011-12 के लिए आंकड़े)	--

➢ नियोजन

- मनरेगस निर्माण कार्यों हेतु अपर्याप्त स्टाफ होने के कारण संस्थागत व्यवस्थाएं कमजोर पाई गई थीं।
- महत्वपूर्ण कार्यकताओं को प्रदान किया गया प्रशिक्षण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप क्षमता निर्माण कमजोर हुई।
- ग्रा.पं. को शामिल किए बिना वाषिक कार्य योजना की तैयारी की गई थी।
- प्रभावी निधि प्रबंधन हेतु परिक्रामी निधि का सृजन नहीं किया गया था।

➢ रोजगार सृजन व मजदूरी

- पंजीकरण हेतु पात्र परिवारों की पहचान के लिए किसी घर-घर के सर्वेक्षण को संचालित नहीं किया गया था।
- जॉब कार्डों को जारी करने में विलम्ब थे। जॉब कार्डों के साथ जॉब कार्ड रजिस्टर में तस्वीरें नहीं चिपकाई गई थीं जिससे जॉब कार्डों के दुरूपयोग की संभावना बनती थी।
- मजदूरी के भुगतान में विलंब हुआ था।

➢ निर्माण कार्य व संपत्ति सृजन

- मस्टर रोल के उपयोग में नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप योजना निधियों का दुर्विनियोजन/गलत उपयोग हुआ।
- कम प्राथमिकता के मिट्टी के निर्माण कार्यों की शुरूआत की गई जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी संपत्ति का सृजन हुआ।
- संपत्ति के भौतिक सत्यापन करने पर निर्माण कार्यों के निष्पादन में मशीन का उपयोग पाया गया।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- बैंक जमा से अर्जित ब्याज को रोकड़ पुस्तिका में लेखाबद्ध नहीं किया गय था।
- बंद की गई स.ग्रा.रो.यो. योजना के अंतर्गत निधियों को मनरेगस में हस्तांतरित नहीं किया गया था।
- मनरेगस से निधियों का विचलन पाया गया जिनकी मार्च 2012 तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।
- श्रमिक बजट को अवास्तविक पाया गया क्योंकि अनुमानित आंकड़ों एवं वास्तविक व्यय में काफी विविधताएं थीं।

➢ मॉनटरिंग एवं मूल्यांकन

- सामाजिक लेखापरीक्षा को उचित रूप में संचालित नहीं किया गया था।
- राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों/परियोजनाओं की बड़ी संख्या को पूरा नहीं किया जा सका।

पंजाब

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 22 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से एक जिला, 1 अप्रैल 2007 के बाद से तीन जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 18 जिले आवृत किये गये थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 483.75 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
2,77,04,236	1,73,16,800	62.51	569.30	8,65,656*	277.59

*परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्ड

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
45,680	18,062	39.54	95,709	85,364	89.19

➢ नियोजन

- मनरेगस स्टाफ की 45 से 93 प्रतिशत तक कमी थी।
- चयनित तीन जिलों में वार्षिक योजनाएं, श्रम बजट तथा ग्राम पंचायतों से निर्माणकार्यों की लागत पर विचार किए बिना बनाई गई थी।
- छः जिलों में से तीन ने जिला परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी थी।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- पांच जिलों के 79 ग्रा.पं. में पंजीकरण हेतु कोई घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- 48 ग्रा.पं. में लाभार्थियों को 790 दिनों तक के विलम्ब से मजदूरी का भुगतान किया गया था। विलम्बित भुगतानों के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- 52 ग्रा.पं. में ₹ 1.20 करोड़ राशि के 67 गैर-अनुमेय निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था।

- मजदूरी सामग्री का 60:40 का अनुपात नहीं रखा गय था जिसके परिणामस्वरूप सामग्री संघटक पर आधिकय व्यय किया गया था।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- शिकायतों का 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर निपटान नहीं किया गया था। चुनिंदा जिलों में शिकायतों के निपटान में 673 दिनों तक का विलम्ब हुआ था।
- तीन जिलों में, सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करने तथा उस पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए आंतरिक इकाई का गठन नहीं किया गया था।
- सामाजिक लेखापरीक्षा करने में कमी थी।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने जिलावार मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया था।

➢ अन्य

- चार जिलों में चुनिंदा ग्रा.पं. द्वारा मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर, जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, मासिक आबंटन तथा उ.प्र. निगरानी रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

राजस्थान

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 33 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 2 फरवरी 2006 से छः जिले, 1 अप्रैल 2007 के बाद से छः जिले तथा 1 अप्रगैल 2008 से शेष 21 जिले कवर किए गए थे। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2007-12 की अवधि में ₹ 17,928.73 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन पैरामीटरों का सारांश प्रस्तुत करती हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
6,86,21,012	5,15,40,236	75.11	19,841.04	1,01,55,775	16,140.36

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
6,76,105	3,16,156	46.76	45,885	45,532 (2007-09 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए)	-

➢ नियोजन

- नियम नहीं बनाए गए थे तथा आयोजित की गई रा.बे.गा.प. की बैठकों की संख्या अपर्याप्त थी। स्टाफ की कमी, सूचना, शिक्षा तथा संचार क्रियाकलापों तथा प्रशिक्षण में कमी पाई गई थी।
- वार्षिक योजनाओं की तैयारी विलम्बित तथा अवास्तविक थी।
- आंकलन तथा वास्तविक रोजगार में विभिन्नता देखी गई थी।
- जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं नहीं बनाई गई थी।
- ₹ 24.27 करोड़ शामिल होने वाले निर्माण कार्य, जो वार्षिक योजनाओं के हिस्से नहीं थे, संस्वीकृत किए गए थे।
- सं.ग्रा.रो.यो. तथा रा.का.ब.अ.का. के अव्ययित शेषों को योजना लेखे में अंतरित नहीं किया गया था।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- परिवारों के पंजीकरण तथा जॉब कार्ड जारी करने में अनियमितताएं पाई गई थी।
- मजदूरों को ₹ 4.64 करोड़ की मजदूरी का नकद भुगतान किया गया था। मजदूरी का भुगतान करने में भी विलम्ब हुआ था।
- ₹ 118.13 करोड़ की निधियों का गलत वर्गीकरण पाया गया था।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- निर्माण कार्यों के निष्पादन में मजदूरी और सामग्री के अनुपात का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- ₹ 36.58 करोड़ राशि के निर्माण कार्य अपूर्ण रहे।
- ₹ 1.49 करोड़ का व्यय निष्फल पाया गया।
- ₹ 15.52 लाख मूल्य के निर्माण कार्य विद्यमान नहीं थे।
- ₹ 1.15 करोड़ के पौधारोपण उत्तरजीवित नहीं थे।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- ₹ 128.7 करोड़ राशि की निधियों का विपथन पाया गया था।
- तीन जिलों में, राज्य द्वारा ₹ 10.12 करोड़ की राशि कम जारी की पाई गई थी।
- निधियों के अंतरण में विलम्ब पाया गया था।
- ₹ 5.02 करोड़ का आधिक्य प्रशासनिक व्यय किया गया था।
- डाक घर में ₹ 70.55 लाख मूल्य की निधियां वसूल न की गई/असमायोजित पाई गई थी।

सिक्किम

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में चार जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण में अर्थात 02 फरवरी 2006 से एक जिला, 1 अप्रैल 2007 के बाद से दो जिले तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष एक जिला आवृत्त किया गया था। मनरेगस के अंतर्गत राज्य को 2008-12 की अवधि हेतु, ₹ 281.12 करोड़ जारी किए गए थे। निम्न तालिका राज्य में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों का सारांश प्रस्तुत करती हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
6,07,688	4,55,962	75.03	291.09	3,46,971	81.41

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
10,181	5,029	49.40	1,202 (2007-08 हेतु आंकड़े प्रदान नहीं किए गए)	601 (2007-08 हेतु आंकड़े प्रदान नहीं किए गए)	50

➢ नियोजन

- ग्रा.पं. ब्लॉक तथा जिलों से कोई इनपुट प्राप्त किए बिना जिला परिप्रेक्ष्य योजना बनाई गई थीं। ग्राम सभाओं द्वारा वार्षिक योजनाएं श्रम मांग, आय उत्पन्न करने वाली परिसम्पत्तियों, वंचित वर्गों को प्राथमिकता तथा सृजित परिसम्पत्तियो का अनुरक्षण आदि के किसी संदर्भ के बिना औपचारिक रूप से बनाई गई थी।
- वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट त्रुटिपूर्ण तथा अवास्तविक थे क्योंकि उत्पादन किए जाने वाले प्रत्याशित व्यक्तिदिवसों को कभी प्राप्त नहीं किया गया था। व्यय, वार्षिक कार्य योजना के 83 तथा 88 प्रतिशत के बीच था।

➢ रोजगार उत्पादन एवं मजदूरी

- मजदूरी का भुगतान पन्द्रह दिनों के भीतर नहीं किया गया था तथा 15 दिनों से तीन माह तक का विलम्ब पाया गया था।

➢ निर्माण कार्य एवं परिसम्पत्ति सृजन

- जि.का.स. द्वारा मजदूरी और सामग्री के 60:40 के निर्धारित अनुपात का सख्ती से पालन नहीं किया गया था।
- कई परियोजनाओं में कार्यस्थल सुविधाएं जैसे प्रथम उपचार पेयजल, शेड तथा बालवाड़ी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- राज्य का हिस्सा न तो पूरा और न ही समय पर जारी किया गया था। जिला कार्यक्रम समन्वयकों ने ₹ 5.14 करोड़ से ₹ 38.64 करोड़ की निधियां न केवल वर्ष के अंत तक रोक रखी बल्कि ब्लॉकों को 2 से 131 दिनों के विलम्ब से निधियां जारी की।

➢ अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

- भारत सरकार को मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से सूचित व्यय, लेखापरीक्षित रिपोर्ट तथा वास्तविक व्यय में दर्शाए गए के अनुरूप नहीं था।

➢ अन्य

- योजना का अन्य सोशल सेक्टर कार्यक्रमों के साथ अभिसरण का कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। केवल मु.मं.ग्रा.आ. योजना, जो त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि योजना निधि का सामग्री की लागत के भुगतान के प्रति उपयोग किया गया था, के मामले में अभिसरण प्रक्रिया का प्रयास किया गया था। अभिसरण का अतिरिक्त रोजगार उत्पादन में कोई योगदान नहीं हुआ।
- अभिलेखों का अनुरक्षण दोषपूर्ण था। आवेदन पत्र रजिस्टर पंजीकरण रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, मस्टर रोल, एम आर निर्गम/प्राप्ति रजिस्टर तथा शिकायत रजिस्टरों का उचित ढंग से अनुरक्षण नहीं किया गया था तथा इसलिए विश्वसनीय नहीं थे।

तमिलनाडु

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 31 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत पहले चरण अर्थात, 2 फरवरी 2006 में छः जिले, 1 अप्रैल 2007 से चार जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष 21 जिले आवृत्त थे। 207-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत राज्य को ₹ 8128.96 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ मुख्य कार्यान्वयन मापदण्डों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (करोड़ में)
7,21,38,958	3,71,89,229	51.55	8,510.44	76,48,556	101.31

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
2,57,002	1,11,727	43.47	93,252	1,84,845	100

➢ नियोजन

- 2011-12 में राज्य में योजना के अंतर्गत पंजीकृत 76.49 लाख परिवारों में से, केवल 58.16 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया था। इनमें से, 100 दिनों का रोजगार केवल 14.08 लाख परिवारों (24 प्रतिशत) को प्रदान किया गया था।
- दरों की अनुसूची में वृद्धि प्राप्त वास्तविक औसत दैनिक मजदूरी, न्यूनतम गारंटीकृत मजदूरी से कम थी, क्योंकि मजदूरी का भुगतान, वास्तविकता में किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर किया जाता था।

➢ निर्माण कार्य संपत्ति सृजन

- 1.25 लाख निर्माण कार्य (कुल निर्माण कार्यों का 48 प्रतिशत), जोकि 2007-12 के दौरान ₹ 3921.87 करोड़ की लागत पर ग्राप पंचायतों द्वारा निष्पादित किए गए थे, वह तालाबों की गाद हटाने, लघु सिंचाई टैंक, आपूर्ति चैनल तथा सिंचाई कुओं की श्रेणियों में आते थे। ऐसे निर्माण कार्यों ने स्थायी संपत्ति के सृजन में योगदान नहीं किया।
- सड़क संयोजनकता के अंतर्गत सभी मौसमों में उपयोगि सड़कों को प्रदान करने की बजाय, मौजूदा जल बाध्य रोड़ी की सड़कों की साइड बर्मों के संघनन और सुधार के बिना मिट्टी की सड़कों के निर्माण का निष्पादन किया गया था। 2007-12 के दौरान इस श्रेणी के अंतर्गत

₹ 1,919.88 करोड़ की लागत पर 62,588 सड़क निर्माणों (कुल निर्माण कार्यों का 24 प्रतिशत) को निष्पादित किया गया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- 2007-12 के दौरान निधियों की उपयोगिता की प्रतिशतता 56 से लेकर 82 तक थी। 31 मार्च 2012 तक ₹ 9194.04 करोड़ में से सम्पूर्ण योजना की लागत अकुशल श्रमिक के मजदूरी भुगतान हेतु थी, योजना को 2007-12 की अवधि के दौरान राज्य का हिस्सा (₹ 878.11 करोड़) जारी किया जाना अनावश्यक था।

त्रिपुरा

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में चार जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत पहले चरण अर्थात, 2 फरवरी 2006 से एक जिला, 1 अप्रैल 2007 से दो जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष एक जिला आवृत्त था। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत राज्य को ₹ 2858.82 करोड़ जारी किए गए थे। नीचे दी गई तालिका में 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
36,71,032	27,10,051	73.82	2,996.33	6,69,164	490.13

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
6,57,713 (2007-08 हेतु आंकड़े प्रदान नहीं किए गए)	2,83,539	43.11	600	513	86

➢ नियोजन

- योजना के सभी आवश्यक सरंचनात्मक तंत्र योजना के परिचालन हेतु राज्य रोजगार गारंटी निधि को छोड़कर सभी आवश्यक सरंचनात्मक तंत्र स्थापित किए गए थे, जिन्हें 2012-13 के दौरान परिचालनात्मक किया गया था।
- निर्माण कार्यों को केवल वार्षिक योजनाओं के आधार पर ही निष्पादित किया गया था क्योंकि जिला परिप्रेक्ष्य योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन की प्रलेखन प्रक्रिया संतोषजनक नहीं थी।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- जिन्होंने रोजगार मांग की उन सभी को राज्य ने कथित रूप से रोजगार प्रदान किया था। तथापि, यह सत्यापन योग्य नहीं है क्योंकि विवरण प्रलेखित नहीं थे।
- 2.80 लाख परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार प्राप्त हुआ था। परन्तु ₹ 10.22 करोड़ की अतिरिक्त लागत को राज्य द्वारा वहन करने की बजाय केन्द्रीय हिस्से से पूर्ण की गई थी। न्यूनतम मजदूरी का ₹ 34.50 लाख का कम भुगतान किया गया था।

➢ निर्माण कार्यों एवं संपत्ति सृजन

- 41 प्रतिशत निर्माण कार्यों में, पांच ब्लॉकों में अधिनियम के शब्द और भाव में श्रमिकों को रोजगार प्रदान नहीं दिया गया था।
- इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) के अंतर्गत ₹ 16.60 करोड़ की निधियों को निर्माण कार्य हेतु विचलन किया गया था और अन्य सरंचनात्मक विकास योजनाओं के अंतर्गत आवृत्त उद्देश्य हेतु ₹ 5.27 करोड़ का व्यय किया गया था।
- सभी मौसमों में उपयोग न किए जा पाने वाली कच्ची सड़को का ₹ 5.29 करोड़ की लागत पर निर्माण किया गया था।
- निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाली मशीनों की लागत ₹ 1.56 करोड़ थी।
- 1 से लेकर 4 वर्षों की अवधि हेतु ₹ 17 लाख की लागत के पांच कार्य अधूरे रह गए।
- कार्य रजिस्टरों में निर्माण कार्यों के विशिष्ट पहचान संख्या नहीं पाई गई थी।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग अच्छा और 93.74 से लेकर 98.85 प्रतिशत तक था।
- गलत सूत्र, जोकि छः प्रतिशत के प्रशासनिक लागत का हिसाब लगाने में असफल रहा, को अपनाने के कारण राज्य का हिस्सा ₹ 133.09 करोड़ से कम था।
- 5 से लेकर 222 दिनों में 78 में से 20 किस्तों में राज्य हिस्से को जारी करने में विलम्ब हुआ था, जबकि कुछ मामलों में, इसे अग्रिम भी प्रदान किया गया था।

➢ अन्य

- सहायक अभिलेखों का अनुरक्षण अपूर्ण था।
- मॉ.सू.प्र. में भौतिक त्रुटियां शामिल हैं और इसलिए यह विश्वसनीय नहीं था।
- विभिन्न अच्छे अभ्यास जैसे कि मजदूरी के भुगतान हेतु बैंक सहसंबंधी मॉडल, अनुमानों की तैयारी हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग, सतर्कता समिति द्वारा जांच करने के पश्चात भुगतान, सृजित संपत्ति की अच्छी स्थिति, आदि भी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई थी।

उत्तर प्रदेश

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 72 जिले हैं। 22 जिलों को मनरेगस के तहत प्रथम चरण अर्थात 2 फरवरी 2006 से, 17 जिलों को 15 मई 2007 के बाद से तथा शेष 33 जिलों को 1 अप्रैल 2008 से शामिल किया गया था। 2007-12 की अवधि के लिए ₹ 20,425.74 करोड़ राज्य को मरनेगस के अंतर्गत जारी किया गया था। नीचे की तालिका 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
19,95,81,477	15,51,11,022	77.72	22,174.35	1,42,81,748	13,342.64

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
36,15,602	15,55,093	43.01	4,200*	2,341*	55.74

*आँकड़े केवल नमूना परीक्षित जिलों के लिए

➢ नियोजन

- राज्य सरकार नियमावलियों को, हालाँकि वे अनुमोदित (11 अगस्त 2008) हो गए थे, अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए सूचित करने में विफल रहीं।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा.रो.गा.प.) में और गैर सरकारी सदस्यों को 19 माह के विलम्ब के बाद शामिल किया गया था।
- राज्य सरकार ने राज्य रोजगार गारंटी निधि स्थापित नहीं की थी जिसके फलस्वरूप जिलों को 18 सितम्बर 2009 तक मंत्रालय से सीधे निधियां जारी की गयी थीं।
- राज्य के 820 प्रखंडों में, पूर्ण-कालिक कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। 23 प्रतिशत सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के पद भी रिक्त थे।
- 18 जिलों में, जिला वार्षिक योजना बनाने के लिए पणधारियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। 14 जिलों ने परियोजना शेल्फों का निर्माण नहीं किया था।
- श्रम बजट की प्रस्तुति में 23 से लेकर 74 दिनो का विलम्ब था, परिणामस्वरूप केन्द्रीय हिस्सा 5 से 25 भागों में और राज्य का हिस्सा 2 से 10 भागों में जारी किया गया था।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- पंजीकरण हेतु लोगों की पहचान करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।
- जॉब कार्डो के निर्गम में 25 से 45 दिनों का विलम्ब था।
- जॉब कार्ड आवेदन पंजियों के अनुरक्षण में कमिया थीं। सात ग्राम पंचायतों तथा 39 ब्लॉक पंचायतों में, इनका अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- मजदूरी भुगतान में विभिन्न अनियमियतताएँ थी यथा, मजदूरी भुगतान में विलंब न्यूनतम मजदूरी दरों से कम पर भुगतान किया जाना , निर्माण कार्यों के निष्पादन के पहले भुगतान, एक ही दिन दो स्थलों पर मौजूद श्रमिकों को भुगतान, आदि।
- मस्टर रोलो में अनियमियतताएं देखी गयी थी यानी, प्राप्ति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिए बगैर भुगतान किए गए थे। काटे गए और काट कर लिखे गए को भी सत्यापित नहीं किया गया था।

➢ निर्माण कार्य एवं संपत्ति सृजन

- 84 ग्रा.प., 12 ब्लॉकों, दो जिलों और एक संबंधित अभिकरण द्वारा 2007-12 के दौरान ₹ 10.26 करोड़ राशि के गैर अनुमेय निर्माण किये गये थे। 18 जिलों के 393 ग्रा.प. में 2265 मिट्टी की सड़के बनाने पर ₹ 15.60 करोड़ खर्च किये गये थे, जो सभी मौसमों में उपयोगी नहीं थी।
- 460 ग्रा.प. में 60:40 के निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात का पालत नहीं किया गया था। 170 ग्रा.प. में ₹ 6.75 करोड़ का अधिक अनुमान देखा गया था।
- उन्नाव जिले में, अलमारी, हैण्डीकैम एवं डिजिटल कैमरे के लिए ₹ 78 लाख के क्रय आदेश, निविदाएँ आमंत्रित किये बगैर और क्रय प्रक्रिया का पालन किए बगैर जारी किये गये थे। सीतापुर जिले में, ₹ 1.04 करोड़ मूल्य की निर्माण सामग्री निविदा/निविदा भाव आमंत्रित किये बिना खरीदी गई थी।
- सात जिलों में ₹ 13.25 करोड़ को 237 निर्माण कार्य बिना किसी प्रशासनिक और तकनीकी संस्वीकृति के किये गये थे।
- 10 जिलों में, ₹ 13.26 करोड़ के लिए निष्पादित 1199 निर्माण कार्यों को वि.प.स. नहीं दिये गये थे।
- एक ग्रा.प. और दो जिलों में, ₹ 1.65 करोड़ राशि के 47 निर्माण कार्य परित्यक छोड़े गए थे। ₹ 29 लाख राशि के 23 निर्माण कार्य, आठ ग्रा.प., एक ब्लॉक और दो जिलों में अधूरे पड़े थे।
- 16 ग्रा.प. में 3091 निर्माण-कार्यों के समापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थे।
- 444 ग्रा.प. में, 4242 निर्माण-कार्यों को उपभोक्ता-समूहो को नहीं सौंपा गया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- राज्य सरकार ने निधियों के हस्तांतरण और उपयोग के लिए कोई ठोस वित्तीय प्रबंधन प्रणाली नहीं बनायी गई थी। ग्रा.प. को निधि जारी करने के लिए किसी मानदंड की स्थापना नहीं की गई थी।
- ₹ 1.51 करोड़ की निधि का विविध प्रशासनिक व्यय, अन्य योजनाओं के आकस्मिकता व्यय, विकास भवन के सम्मेलन कक्ष के नवीकरण एवं विद्युत्तीकरण, प्राथमिक विद्यालय और हरिजन आवास के निर्माण , कार्यालय व्यय तथा मध्याह्न भोजन योजना के लिए विपथान हुआ था।
- श्रम बजट राज्य स्तर पर समीक्षा के बगैर मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। श्रम बजट और मा.प्र.रि. में सूचित वास्तविक व्यय के मध्य तथा राज्य एवं जिला स्तर पर आँकड़ों के मध्य विविधताएं थी। दो जिलों में, श्रम बजट परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं बनाया जाना था।
- निधियों के निर्गम में सभी स्तरों पर विलंब थे।
- सीतापुर जिले के दो संबंधित विभागों ने राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम निधि के ₹ 41 लाख के अव्यवित शेषों के मनरेगस में हस्तांतरित नहीं किया था।
- एक जिले में 2007-09 के दौरान प्रशासनिक व्यय चार प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिकता में किये गये थे।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- शिकायतों को एक समय बद्ध तरीके से निवारण के लिए लोकपालों को नियुक्त नहीं किया गया था।
- योजना के अंतर्गत शुरू किये गये निर्माण -कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता के मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी ग्राम मानीटरिंग समितियों को 57 ग्रा.प. में स्थापित नहीं किया गया था।

उत्तराखण्ड

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 13 जिले हैं। मनरेगस के अंतर्गत पहले चरण, अर्थात, 2 फरवरी 2006 से तीन जिलें, 01 अप्रैल 2007 से दो जिले और 1 अप्रैल 2008 से शेष 8 जिले आवृत किये गए थे। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगतस के अंर्तगत राज्य को 1154.13 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 के दौरान राज्य में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडो को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
1,01,16,752	70,25,583	69.45	1,312.88	10,10,169	813.09

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,52,292	1,00,631	66.07	65,092	28,557	44

➢ नियोजन

- राज्य रोजगार गारंटी परिषद को स्थापित किया गया था परन्तु नियमित अंतरालों पर बैठकें नहीं हुई थीं जिसके कारणवश प्रमुख नीति निर्णय नहीं लिए जा सके।
- मंत्रालय द्वारा सुझाए गए प्रशासनिक प्रतिमान अधिसुचित किया गया था लेकिन विभिन्न संवर्गो में स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई थी। कुल कमियाँ 45 से लेकर 90 प्रतिशित तक थीं।
- जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं केवल चार जिलों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं और रा.रो.ग.प. द्वारा अभी तक अनुमोदित किया जाना था।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- अनुमानित तथा वास्तविक रूप से सूजित श्रमदिवसों में 23 से 61 प्रतिशत तक की काफी विभिन्नताएं थीं।
- श्रमिकों को सामायिक भुगतान नहीं किए गए थ तथा 01 से लेकर 699 दिनांक तक के विलंब पाए गए थे। 500 निर्माण कार्यो में, 74 दिनों का औसत विलंब था। नमूना परीक्षित ग्रा.प. में किसी भी श्रमिक को विलंब हेतु प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं की गई थी।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- निर्धारित समय सीमा में राजय का हिस्सा जारी नहीं किया गया था। चार जिलों में 8 से 211 दिनांक का विलंब पाया गया था।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- निर्माण कार्यों के निरीक्षण में राज्य स्तर पर 94 प्रतिशत तथा कार्यक्रम अधिकारियों के स्तर पर 48 प्रतिशत की कमी पाई गई थी।

➢ अन्य

- देहरादून जिले के अलमोड़ा एवं चक्रता ब्लॉक के घौलादेवी एवं द्वारहाट ब्लॉको में ₹ 1.73 करोड़ की देयताए पाई गई जाकि मार्च 2012 तक भुगतान नहीं किया गया था।
- मनरेगा वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की प्रमाणिकता को सत्यापित करने हेतु किसी तंत्र की गैर-मौजूदगी पाई गई क्योंकि माँ.सू.प्र. एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट डाटा के मध्य 1 से लेकर 71 प्रतिशत भिन्नताएँ थीं।

पश्चिम बंगाल

➢ पृष्ठभूमि

राज्य में 19 जिले थे। दस जिले मनरेगस के अंतर्गत प्रथम चरण, अर्थात, 2 फरवरी 2006 से, सात जिले 1 अप्रैल 2007 के बाद से और शेष दो जिले 1 अप्रैल 2008 से शामिल किये गये थे। 2007-12 की अवधि के लिए, राज्य को मनरेगस के अंतर्गत ₹ 8307.31 करोड़ जारी किया गया था। नीचे तालिका 2007-12 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को दर्शाती है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
9,13,47,736	6,22,13,676	68.11	7,409.20	1,10,34,713 *	6,353.84

*जॉब कार्ड जारी किया गया

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
राज्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये	5,58,938	उपलब्ध नहीं	1,43,404	73,700	51.39

➢ नियोजन

- मनरेगस के लिए कोई सूचना, शिक्षा तथा संचार योजना नहीं बनायी गयी थी।
- रा.रो.गा.प. ने मनरेगस के योजना कार्यान्वयन के निष्पादन एवं इसके प्रभाव को मूल्यांकन नहीं किया था।
- अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।
- अधिकांश जिलों ने परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनायी थी और चयनित 83 ग्रा.पं. में से किसी में परियोजना -शेल्फ नहीं देखा गया था।
- वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने और अनुशंसा करने के लिए उत्तरदायी ग्राम सभा बैठकें, चयनित ग्रा.पं. में से किसी में भी 2 अक्तूबर को आयोजित नहीं की गयी थीं।

- पांच जिलों में श्रम बजट अवास्तविक तरीके से बनाया गया था क्योंकि श्रम दिवसों का वास्तविक सृजन श्रम बजट में उनके अनुमान का 35 से 125 प्रतिशत था।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- चयनित ग्रा.पं. में, पंजीकरण पंजी और काम के लिए आवेदनों की पंजी का अनुरक्षण नहीं किया गय था। 41 ग्रा.पं. में पंजीककरण सूची सूचना पट पर प्रदर्शित नहीं की गयी थी।
- पांच जिलों में अधिकतर जॉब कार्डों पर तस्वीरें नहीं चिपकायी गयी थीं।
- मा.सू.प्र. ने 2010-12 के दौरान ₹ 437.89 करोड़ राशि की मजदूरी के विलम्बित भुगतान दिखाया लेकिन कोई क्षति-पूर्ति नहीं की गयी थी। मजदूरी के भुगतान में 11 से 810 दिनों के विलम्ब चार जिलों में देखा गया था।
- बेरोजगारी भत्ता के रूप में ₹ 83.007 की राशि केवल 218 श्रमिकों को दी गयी थी जबकि यह 2007-12 के दौरान 1,10,161 परिवारों के लिए बकाया था।

➢ निर्माण-कार्य एवं संपत्ति सृजन

- सड़क निर्माण-कार्य (कुल निर्माण-कार्य का 29 प्रतिशत) कुल व्यय के 39 प्रतिशत के लिए किये गये। सभी चयनित ग्रा.पं. ने मिट्टी की सड़कों जैसे अस्थायी संपत्तियों का निर्माण किया था। 32 ग्रा.पं. में मजदूरी-सामग्री अनुपात का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- किसी भी चयनित ग्रा.पं. में निर्माण पंजियों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- बांकुड़ा, 24 परगना तथा मुर्शिदाबाद जिलों में, ₹ 6.37 लाख मूल्य का वृक्षारोपण कार्य सफल नहीं हुआ।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- सं.ग्रा.रो.यो. के अंतर्गत ₹ 8.42 लाख के अव्ययित शेष मई 2012 तक मनरेगस में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, जलपाइगुड़ी और दक्षिण 24 परगना जिले के 48 ग्रा.पं. में, ग्रा.पं. के खाते सामाजिक लेखापरीक्षा के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

➢ अन्य

- मनरेगस का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण किसी चयनित ग्रा.पं. ने प्रमाणित नहीं था।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

➢ पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) में तीन जिले हैं जो कि 1 अप्रैल 2008 से मनरेगस के अंतर्गत आवृत्त थे। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत सं.शा.क्षे. को ₹ 34.91 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 के दौरान सं.शा.क्षे. के प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,79,944	2,44,411	64.33	39.79	41,512	19.66

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
1,314	1,093	83.18	608	356	58.55

➢ नियोजन

- सं.शा.क्षे. हेतु रोजगार गारंटी परिषद (रो.गा.प.) को फरवरी 2008 में गठित किया गया था। परिषद 2008-09 और 2011-12 के मध्य एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही बार मिली है।
- जिलों द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी जबकि जिला परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी हेतु अनुदान जारी कर दिए गए थे। केवल वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी।
- परियोजनाओं के शेल्फ की तैयारी तदर्थ आधार पर की गई थी।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- कार्य हेतु आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान न किए जाने के मामले थे। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी नहीं किया गया था।
- 100 दिनों का रोजगार केवल 5.05 प्रतिशत मामलों में प्रदान किया गया था।
- सभी ग्राम पंचायतों में मजदूरी के विलम्बित भुगतान पाए गए थे।
- "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" (रा.स्वा.बी.यो.) के अंतर्गत कोई लाभार्थी आवृत हीं था। जबकि सं.शा.क्षे. के पास काफी लाभार्थी थे जो वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम करते थे।

➢ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति का सृजन हुआ था।

- केवल अस्थायी सम्पत्ति का सृजन हुआ था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- वित्तीय प्रबंधन की त्रुटिपूर्ण प्रणाली, बढ़े हुए सं.शा.क्षे. के हिस्से का कारण बनी।
- कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की सामग्री एवं मजदूरी हेतु सं.शा.क्षे. के हिस्से के 25 प्रतिशत को जारी न किए जाना एवं तथ्यात्मक रूप से गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र पाए गए थे।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- "रोजगार गारंटी निधि" की लेखपरीक्षा नहीं की गई थी तथा सं.शा.क्षे. प्रशासन ने जिलों हेतु लेखों का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया था।
- सामाजिक लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की गई थी। योजना की गतिविधियों को समन्वित करने हेतु केंद्रक व्यक्ति निदेशक/ग्रा.वि., पं.रा.सं. व यू.एल.बी., को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकार नियुक्त किया गया था।

➢ अन्य

- अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया गया था।
- अभिलेखों का अनुरक्षण (मुख्यतः दक्षिण अण्डमान जिले में) खराब था।
- मॉ.सू.प्र. में अपलोड किए गए डाटा को जांचने एवं सत्यापित करने हेतु पर्याप्त तंत्र बनाया नहीं गया था। पंचायती राज संगठनों (प.रा.सं.) में उपलब्ध सूचना, मॉनीटरिंग एवं सूचना प्रणाली (मॉ.सू.प्र.) आंकड़ो से नहीं मिलती थी।
- भा.नि.म.ले.प. की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रकाशित की गई कमियां, अभी भी थीं।

दादर एवं नागर हवेली

➢ पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र (स.शा.क्षे.) में एक जिला है जो कि 01 अप्रैल 2008 से मनरेगस के अंतर्गत आवृत है। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत सं.शा.क्षे. को ₹ 2.77 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 की अवधि के दौरान सं.शा.क्षे. के कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया हैः

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
3,42,853	1,83,024	53.38	4.71	11,697	2.11 (2007-08 हेतु आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए)

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
127	30	23.62	44	30	68.18

➢ नियोजन

- संघ शासित क्षेत्र में रोजगार गारंटी परिषद (रो.गा.प.) को गठित नहीं किया था।
- प्रारम्भिक एवं सू.शि.स. गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था।
- संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन ने वार्षिक योजना एवं परियोजनाओं के शेल्फ तैयार नहीं किये थे।
- संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने 2007-12 की अवधि हेतु न तो परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी तथा न ही इस कार्य को किसी अभिकरण को सौंपा था।

➢ रोजगार सृजन व मजदूरी

- पाँच ग्रा.प. में जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर अनुरक्षित/उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गए थे तथा 10 ग्रा.पं. में जॉब कार्ड रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किये गये थे।
- जारी किए गए जॉब कार्डों पर श्रमिको की तस्वीरें नहीं थी और बिना प्राधिकार एवं श्रमिकों के हस्ताक्षर के बिना जारी कर दिए गए थे।

- ग्रा.पं. में रोजगार रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
- मजदूरी के भुगतान में 1 से लेकर 123 दिनों तक के विलम्ब थे तथा विलम्ब हेतु कोई प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अप्रभावी थी ओर रिपोर्ट के आँकडे असंगत थे। स.शा.क्षे.रो.गा.नि. को गठित नहीं किया गया था।
- वित्तीय रिपोर्टिंग अप्रभावी था तथा लेखापरीक्षित लेखों तथा मा.प्र.रि. डाटा के मध्य विभिन्नताएं थी।
- सामग्री हेतु ग्रा.पं. को दिए गए ₹ 37.08 लाख के अव्ययित शेष को व्यय के रूप में माना गया था।
- 2008-11 के दौरान अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय हुआ था।

➢ मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

- ग्रा.पं. के पास समाजिक लेखापरीक्षा अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- ग्रा.पं. में सर्तकता एवं मॉनीटरिंग समितियाँ निर्मित थीं लेकिन किसी भी ग्रा.पं. में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
- शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी नहीं था और किसी भी स्तर पर शिकायत रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था।

लक्षद्वीप

➢ पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) में 1 अप्रैल 2008 से मनरेगस के अंतर्गत एक जिला आवृत है। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत सं.शा.क्षे. को ₹ 7.76 करोड़ जारी किए गए थे। 2007-12 के दौरान सं.शा.क्षे. में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदंडों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
64,429	14,121	21.92	10.47	8,886	6.49

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
828	17	2.05	80	40	50

➢ नियोजन

- सं.शा.क्षे. रोजगार गारंटी परिषद, आज तक केवल दो बार ही मिली थी, जिसने पसंदीदा निर्माण कार्यों के चयन, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा, प्रक्रिया एवं परिणामों के मूल्यांकन, सभी स्तरों पर जवाबदेही एवं पारदर्शिता को प्रतिफूल रूप से प्रभावित किया था।
- नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में, पूर्णकालिक समर्पित का.अ. को नियुक्त नहीं किया गया था। योजना के कार्यान्वयन हेतु स्टाफ नियुक्त नहीं किया गय था तथा ब्लॉक स्तर पर योजना से संबंधित कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था।
- मनरेगस के अंतर्गत निर्माण कार्यों के चयन हेतु अलग ग्राम सभा बैठकें नहीं की गई थीं।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में, न तो आवेदन रजिस्टर अनुरक्षित किए गए थे और न ही परिवारों को दिनांकित रसीदें जारी की गई थीं।
- नमूना परीक्षित ग्रा.पं. में मस्टर रोलों एवं भुगतान आदेशों की संवीक्षा से पता चला कि मजदूरी के भुगतानों में 15 से लेकर 65 दिनों के विलम्ब थे।
- का.अ. को जॉब कार्ड रजिस्टर में वृद्धि और विलोपन की सूची के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

➢ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति सृजन

- 92:08 के मजदूरी सामग्री अनुपात को अपनाकर अनुमान तैयार किए गए थे। नमूना परीक्षित ग्रा.पं. हेतु अनुमानों के सत्यापन से पता चला कि केवल मजदूरी रोजगार को ध्यान में रखकर ही अनुमानों को तैयार किया गया था। कुशल श्रमिकों और सामग्री की अनुपस्थिति के कारणवश स्थायी सम्पत्ति का सृजन नहीं हो पाया था।
- अधिनियम में परिकल्पित निर्माण कार्यों के पूर्व -मध्य-उत्तर चरणों की तस्वीरों को ग्रा.पं. द्वारा लिया/अनुरक्षित नहीं किया गया था।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- 2009-10 से 2011-12 के दौरान मनरेगस का प्रशासनिक व्यय ₹ 81.00 लाख से अधिक था।

पुडुचेरी

➢ पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) में दो जिले हैं जो कि मनरेगस के अंतर्गत 1 अप्रैल 2008 से आवृत्त थी। 2007-12 की अवधि हेतु, मनरेगस के अंतर्गत सं.शा.क्षे. को ₹ 40.06 करोड़ जारी किए गए थे। 2008-12 के दौरान सं.शा.क्षे. में कुछ प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता	संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत परिवारों की संख्या	सृजित संचयी श्रमदिवस (लाख में)
12,44,464	3,94,341	31.69	35.50	67,120	35.21

शुरू किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता	शेष सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	पूर्ण किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
3,478	2,383	68.52	**776**	**159**	20.49

➢ नियोजन

- ग्राम पंचायतों ने परियोजनाओं के शेल्फ तथा वार्षिक योजना को तैयार नहीं किया था। जि.ग्रा.वि.अ. एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, करैकल ने दीर्घकालिक रोजगार सृजन एवं सतत विकास हेतु जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी।
- दिसम्बर 2011 में गठित सं.शा.क्षे. रोजगार गारंटी परिषद की एक बार भी बैठक नहीं हुई।

➢ रोजगार सृजन एवं मजदूरी

- रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त करने, दिनांकित रसीदों को जारी करने एवं रोजगार रजिस्टर के अनुरक्षण हेतु कोई औपचारिक प्रणाली नहीं थी।
- मजदूरी के भुगतान में किसी भी विलम्ब का सूचित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था। कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी, यद्यपि, मजदूरी के भुगतान में 137 दिनों तक के विलम्ब पाए गए थे।

➢ निर्माण कार्य एवं सम्पत्ति सृजन

- 2008-12 के दौरान सं.शा.क्षे. द्वारा सामग्री लागत पर कोई व्यय नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी सम्पत्ति का सृजन हुआ था।

- 2008-12 के दौरान शुरू किए गए 2502 निर्माण कार्यों में से, 63 निर्माण कार्य पिछले दो वर्षों से प्रगति में है।

➢ वित्तीय प्रबंधन

- मार्च 2011 तक अव्ययित शेषों के संचय, के परिणामस्वरूप ₹ 31.28 करोड़ की आवश्यकता के प्रति 2011-12 हेतु एक करोड़ का टोकन संकेतक अनुदान के रूप में दिया गया।